खण्ड-388, अंक-1
सोमवार, 11 आश्विन, शक संवत् 1910
(3 अक्टूबर, 1988 ई0)

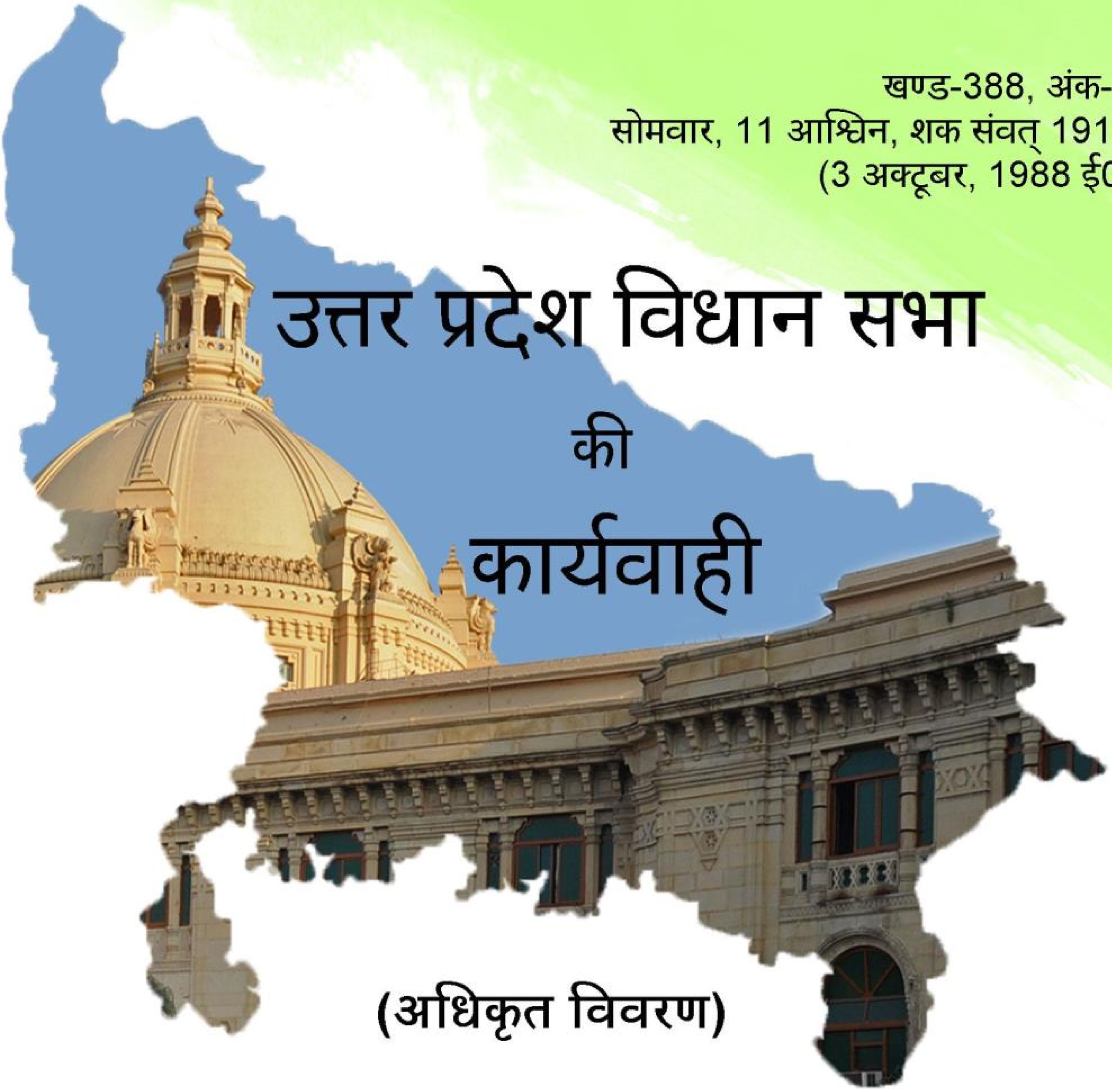

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 388 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल .. .. .. | ग–च |
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | छ |
| सदन का नेता विषयक विवाद पर व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास | 1 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | 2–110 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री रणजीत के निधन पर शोकोद्गार .. | 111–119 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री ब्रजमोहन लाल शास्त्री, भैरवदत्त धूलिया, विद्याभूषण, अवधेश चन्द्र सिंह, बदल राम, बसंत लाल, रणंजय सिंह, मलिखान सिंह, तेजबहादुर तथा श्री ब्रजगोपाल सक्सेना के निधन पर शोकोद्गार .. .. .. .. | 120–129 |
| पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद जिया उलहक, बैडमिन्टन खिलाड़ी सैय्यद मोदी, फिल्म अभिनेता श्री राजकपूर तथा साहित्यकार श्री वियोगी हरि के निधन पर शोकोद्गार .. .. .. .. | 130–135 |
| अमर उजाला के सम्पादक श्री डोरी लाल अग्रवाल के निधन पर शोकोद्गार | 136–141 |
| नस्थियां .. .. .. .. .. | 142–155 |


अ मुद्रा विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## राज्यपाल

**श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ**

### मंत्रि–परिषद्

1—श्री नारायण दत्त तिवारी, .. मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, आवास प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सूचना, पूर्त धर्मस्व, आबकारी मद्य निषेध एवं उद्योग मंत्री।

2—श्री बलदेव सिंह आर्य .. नगर विकास मंत्री।

3—श्री लोकपति त्रिपाठी .. सिचाई मंत्री।

4—श्री अजीत प्रताप सिंह .. वन मंत्री।

5—चौधरी नरेन्द्र सिंह .. ऊर्जा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम मंत्री।

6—श्री अम्मार रिजवी .. सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री।

7—श्री गोपी नाथ दीक्षित .. जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री।

8—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी .. शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री।

9—श्री श्याम सूरत उपाध्याय .. ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री।

10—श्री सईदुल हसन .. श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री।

11—श्रीमती सुशीला रोहतगी .. गृह मंत्री।

12—श्री अरुण कुमार सिंह .. दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री।

13—श्री हुकुम सिंह .. खाद्य एवं रसद मंत्री।

14—श्रीमती बेनी बाई .. लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री।

15—श्री रघुवीर सिंह यादव .. नियोजन मंत्री।

16—श्री कृष्णवीर सिंह कौशल .. कृषि मंत्री।

17—श्री माता प्रसाद .. राजस्व मंत्री।

### राज्य मंत्री

1—श्रीमती दीपा कौल .. हरिजन एवं समाज कल्याण।

2—श्री ओम प्रकाश रिछारिया .. न्याय एवं विधायिका, वित्त, संस्थागत वित्त, बिक्री-कर मनोरंजन कर, पंजीयन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क।

3—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री .. गन्ना विकास, गृह।

4—श्री मानपाल सिंह .. जेल, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेंशन।

5—श्री समर पाल सिंह .. सहकारिता।

6—श्री प्रमोद तिवारी .. परिवहन।

7—श्री मुईद अहमद .. सिंचाई।

उत्तर प्रदेश सभा

| | | |
|---|---|---|
| 8—श्री नरेश चन्द्र | .. | नगर विकास, सूचना, संसदीय कार्य । |
| 9—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान | .. | शिक्षा । |
| 10—श्री बिहारी लाल दोहरे | .. | स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिशु कल्याण, महिला कल्याण । |
| 11—श्री चेतराम गंगवार | .. | बीस सूत्री कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण । |
| 12—श्री सीताराम निषाद | .. | राजस्व, प्रान्तीय विकास दल, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय एकीकरण । |
| 13—श्री जगदम्बिका पाल | .. | शिक्षा, वन, संसदीय कार्य । |
| 14—श्री शिव बालक पासी | .. | कृषि । |
| 15—श्री गौरी शंकर | .. | नियोजन, ग्राम्य विकास, प्रोटोकाल । |
| 16—श्री सईदुज्जमा | .. | गृह । |
| 17—श्री राम औतार दीक्षित | .. | ऊर्जा । |
| 18—श्री गुलाब सिंह | .. | पर्यटन, पर्वतीय विकास । |
| 19—श्री कोकब हमीद | .. | ऊर्जा, खाद्य तथा रसद । |
| 20—श्री अजीत सिंह सेठी | .. | शिक्षा, नगर विकास । |
| 21—श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव | .. | श्रम, दुग्ध विकास |
| 22—श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा | .. | सार्वजनिक निर्माण । |
| 23—श्री श्रीनाथ सिंह | .. | आवास, जल सम्पूर्ति, क्षेत्रीय विकास । |

उप मंत्री

| | | |
|---|---|---|
| 1—श्रीमती हितेश कुमारी | .. | सिंचाई । |
| 2—श्री निसार हुसैन | .. | लघु उद्योग, गन्ना । |
| 3—श्रीमती प्रमिला बद्धवार मेहरा | .. | परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य । |
| 4—श्री शैलेन्द्र कुमार | . | हरिजन एवं समाज कल्याण, वन । |
| 5—श्रीमती रीना कुमारी | .. | ऊर्जा । |
| 6—श्री राम दुलारे यादव | .. | बीस सूत्रीय कार्यक्रम, सहकारिता । |

नेता विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

विधान सभा सचिवालय

## उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिष्ठाता मण्डल

1—श्री खान गुफरान जाहिदी, सदस्य, विधान सभा (फतेहपुर)
2—श्री राम सकल तिवारी, सदस्य, विधान सभा (देवरिया)
3—श्री कर्नल केशरी सिंह सदस्य, विधान सभा (बस्ती)
4—श्री मनहरन नाथ कौल, सदस्य, विधान सभा (बहराइच)
5—श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)
6—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा)
7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर)
8—श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी)
9—डा० शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा (गढ़वाल)
10—श्री कौशिक, रमाशंकर, सदस्य, विधान सभा (मुरादाबाद)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 3 अक्टूबर, 1988

9183

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

| नाम | जिला | नाम | जिला |
|---|---|---|---|
| अफजाल अन्सारी, श्री | गाजीपुर | मुलायम सिंह यादव, श्री | इटावा |
| अफसर यू0 अहमद, श्री | बस्ती | मुस्तमन्द अली खां, श्री .. | मथुरा |
| अमिताभ लवानियां, श्री | आगरा | मैनेजर सिंह, श्री .. | बलिया |
| अमीर आलम खां, श्री | मुजफ्फरनगर | मोहम्मद असलम खां, श्री | सहारनपुर |
| इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री | बुलन्दशहर | रमाकान्त, श्री . | आजमगढ़ |
| कल्यान सिंह, श्री | अलीगढ़ | रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री .. | रायबरेली |
| काशी सिंह ऐरी, श्री | पिथौरागढ़ | राजकिशोर सिंह, श्री .. | वाराणसी |
| किरनपाल सिंह, श्री .. | बुलन्दशहर | राजीव कुमार सिंह, श्री .. | बाराबंकी |
| किशोरी लाल सकलानी, श्री | देहरादून | राजेन्द्र सिंह, श्री .. | अलीगढ़ |
| कृष्णा रावत, कुमारी | लखनऊ | राम सजीवन, श्री . | बांदा |
| गुलाब सिंह, श्री .. | देहरादून | रामेश्वरनाथ चौबे, श्री | बरेली |
| जय नारायण शर्मा, श्री .. | मेरठ | राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री | जौनपुर |
| दिवाकर विक्रम सिंह, श्री | बस्ती | लक्ष्मी नारायण, श्री .. | मथुरा |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री .. | आजमगढ़ | लोकपति त्रिपाठी, श्री .. | मिर्जापुर |
| नरेन्द्र सिंह, चौधरी .. | कानपुर | वीर बहादुर सिंह, श्री .. | गोरखपुर |
| नारायण हरि शर्मा, श्री | अलीगढ़ | वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री | गोरखपुर |
| निर्भय पाल शर्मा, श्री .. | सहारनपुर | वीरेन्द्र सिंह, श्री .. | मुजफ्फरनगर |
| बलदेव सिंह, कैप्टेन .. | अलीगढ़ | शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर | कानपुर |
| बलदेव सिंह आर्य, श्री .. | उत्तरकाशी | शेर बहादुर सिंह, श्री .. | फैजाबाद |
| बाबू सिंह, श्री .. | मुजफ्फरनगर | सखावत हुसैन, श्री .. | गाजियाबाद |
| भोपाल सिंह, श्री .. | मेरठ | सतीश अजमानी, श्री .. | खीरी |
| मंगल देव, श्री .. | गोंडा | हरेन्द्र सिंह, श्री .. | मुजफ्फरनगर |
| महावीर सिंह, श्री .. | सहारनपुर | हितेश कुमारी, श्रीमती .. | बुलन्दशहर |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री .. | बस्ती | हीरा सिंह बिष्ट, श्री .. | देहरादून |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या—1 . . . .

(घोर व्यवधान)

**सदन का नेता विधायक विवाद पर व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास**

(इस समय कई विरोध पक्ष के सदस्य खड़े होकर बोलने लगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी क्योंकि सदन का कोई नेता है . . . . ।)

श्री अध्यक्ष

आप लोग कृपया बैठें । प्रश्न होने दें । माननीय गुप्ता जी, प्रश्न संख्या—1 . . मैंने माननीय गुप्ता जी का प्रश्न ले लिया है । आप कृपया बैठें । आप कृपया मेरी बात सुनें। नेता सदन के प्रश्न पर नियम 300, 311 के अन्तर्गत कई माननीय सदस्यों से, माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता, माननीय शतरुद्र प्रकाश, माननीय ब्रह्मदत्त आदि की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं . . . . इसी तरीके का मसला 27-1-81 को भी सदन में उठाया गया था और तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि . . . (व्यवधान) मैं आपकी बात कल सुनूंगा, आप कृपया कल उठायें इसे । . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप मेरी व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लें . . .

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य व्यवधान करते रहे ।)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 80 से पहले सन् 70 में भी यह प्रश्न उठा था, उस समय यह नियम नहीं बना था . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । आज निधन के निदेश हो जाने दीजिए । कल मैं आपको सुनूंगा । (व्यवधान) आज कृपया निधन के निदेश हो जाने दें । मैं कल आपकी सबकी बात सुनूंगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आप मुझे बिठाने की बात कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें, मैं आपको कल सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

आज की कार्यवाही के लिए सदन का नेता कौन है ?

श्री अध्यक्ष—

जो भी बात आप कहना चाहते हैं, उसे कल कहें । मैं कल आपकी बात सुनूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप केवल यह बता दें कि आज सदन का नेता कौन है ?

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात कल रखियेगा, मैं कल आपकी बात सुनूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

बिना नियम के सदन नहीं चलेगा । [× ×]

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्नोत्तर काल का समय नष्ट कर रहे हैं, जबकि आपके विरोध पक्ष का ही मामला है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, [× ×]

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें । मैं कल आपकी बात को सुनूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[× ×]

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग जो बोल रहे हैं, वह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[× ×]

श्री अध्यक्ष—

आप यह मसला कल उठाइयेगा ।

**प्रश्नोत्तर**

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया, परन्तु अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सदन का नेता वही हो सकता है, जो इस सदन का सदस्य हो ।

---

नोट:—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री अध्यक्ष—

जो भी आप कह रहे हैं, उसको कल कहें, मैं कल आपकी बात सुनूंगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सत्यपाल सिंह—

चूंकि [× ×] इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन से बहिष्कार करता हूं ।

(माननीय नेता विरोधी दल व उनके दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व उनके समुदाय के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह व उनके समुदाय के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रश्नोत्तर काल होना है, विधन के निदेश होने हैं, [× ×] और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम सब निर्दलीय सदस्य सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम आसरे वर्मा व अन्य निर्दलीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या—1, 2, 3 पुकारे जाने पर, प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कौशिक रमा शंकर व उनके समुदाय के अन्य सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री राम शरण दास—

मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम शरण दास व उनके समुदाय के अन्य सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (ख) पर प्रश्न संख्या—4, 5 व 6 पुकारे जाने पर, संबंधित प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (ग) पर प्रश्न संख्या—1, पुकारे जाने पर संबंधित प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

---

नोट:—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### बेसिक शिक्षा परिषदीय जू0 हाई स्कूलों की नई परीक्षा व्यवस्था

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों (कक्षा 8) की परीक्षा बोर्ड द्वारा न लेकर स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा ही लिए जाने की नई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा नई योजना कब से लागू होगी ? क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन छात्र/छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित पढ़ना सम्भव नहीं है और वह निजी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं, उनकी क्या व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी हां । पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है । नई व्यवस्था विचाराधीन है । जूनियर हाई स्कूल परीक्षा को अधिक विश्वसनीय प्रभावी तथा प्रमाणिक बनाने की दृष्टि से परीक्षा की नई व्यवस्था 1988-89 से लागू होगी । ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था भी विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर शासन के अधूरे सोच का परिणाम है । सरकार ने एक व्यवस्था सोची कि जूनियर हाई स्कूल की बोर्ड का परीक्षा समाप्त कर दी जाय, लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे प्रदेश में ऐसे भी गरीब लोग हैं, जो दैनिक स्कूल नहीं जा सकते हैं और अगर वे प्राइवेट पढ़कर परीक्षा देना चाहते हैं, तो वे परीक्षा नहीं दे सकते हैं । मान्यवर, जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, और वे प्राइवेट पढ़कर जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहते हैं, उनके बारे में सरकार ने नहीं सोचा, सरकार उनके बारे में चिन्ता ही नहीं कर रही है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वह मान्यता सरकार के विचाराधीन है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा विभाग उस किसी विधि पर विचार कर रही है कि जो छात्र नियमित पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और वे प्राइवेट पढ़कर कक्षा आठ की परीक्षा देना चाहते हैं, तो वे किस प्रकार से दे सकेंगे ? इस बारे में शासन ने यदि कोई निर्णय लिया हो, तो वह क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, ऐसे परीक्षार्थी जो अपने घर पर पढ़कर परीक्षा देना चाहते हैं, दे सकते हैं । सरकार को ऐसे गरीब लोगों के प्रति सदैव से चिन्ता रही है । इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और अधिकारी उस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से वह कार्य किया जायगा ? उस पर बहुत ही जल्दी विचार करके निर्णय ले लिया जायगा और जैसी कि माननीय सदस्य की जिज्ञासा है, उसको ध्यान में रखते हुए विचार किया जायगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें यह कहा है कि सिद्धान्ततः शासन ने स्वीकार किया है कि ऐसे परीक्षार्थी के लिए कक्षा 8 तक परीक्षा देने की अनुमति देंगे मैं इसी संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि शासन ने जब सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है तो क्या ऐसे परीक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत परीक्षा फार्म देने के लिए कोई तिथि निर्धारित की है जिस दिन तक वह अपना प्रार्थनापत्र दे सके और उन फार्मों का शुल्क क्या होगा और अन्तिम तिथि क्या होगी क्योंकि जब परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं होंगे तो परीक्षा में कैसे बैठ सकेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे इसमें अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की है । इसमें एक समिति बैठी है और वह निर्णय ले रही है । यह प्रयास किया जायेगा कि इस वर्ष व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को लिया जा सके ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इस बात की अपेक्षा की गयी है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी । मान्यवर, क्या यह व्यक्तिगत परीक्षा जो मंत्री जी ने कहा कि वे घर पर रहकर, घर पर पढ़कर यह परीक्षा दे सकेंगे तो क्या यह उस नीति निर्देशक सिद्धान्तों के ठीक विपरीत नहीं है बच्चे सड़कों पर श्रम करें, फैक्ट्रियों में श्रम करें और उसके बाद प्राईवेट अपनी परीक्षा दें तो क्या यह उस नीति निर्देशक सिद्धान्तों की एक अवहेलना नहीं है ?

शिक्षा खेल-कूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, प्रदेश के प्रत्येक बालक, बालिका को शिक्षा की सुविधा दी जाय इस बात को ध्यान में रखकर, आपको याद होगा कि 1980 में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि डेढ़ किलोमीटर के अन्दर एक प्राथमिक पाठशाला और 3 किलोमीटर के ऊपर एक जूनियर हाईस्कूल खुलेगा, उसी के अनुसार स्कूलों का जाल बिछाया गया और बिछाया जा रहा है । हमारा यह प्रयास है कि संविधान का सम्मान करते हुए और उसके आदेशों का पालन करते हुए कोई भी बालक ऐसा नहीं बचा जिसे प्राइमरी पाठशाला में एजूकेशन लेने की सुविधा प्राप्त हो लेकिन कभी कोई ऐसी बात हो कोई बच्चा बीमार हो जाय या कोई कारणवश स्कूल न जा सके या प्राइवेट परीक्षा देना चाहे तो उसके परीक्षा देने का इंतजाम किया गया है और इसीलिए किया गया है कि इन बालकों को अध्ययन करने की, परीक्षा पास करने की सुविधा प्राप्त हो सके । इसी बात को ध्यान में रखकर साठवीं कक्षा में उसका समुचित इंतजाम करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, गलती "क" के लिए हम खड़े हुए थे ।

श्री रमाशंकर कौशिक–

मान्यवर, प्रश्न नं0–2 ले लें ।

**श्री अध्यक्ष–**

आपका कौन सा प्रश्न है ?

**श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–**

मान्यवर, मेरा प्रश्न है नत्थी "ग" का पांचवां ।

**टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका तथा महापालिकाओं के चुनाव**

****2–श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री कौशिक रमाशंकर–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले अनेक वर्षों से लम्बित प्रदेश की सभी टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका तथा नगर महापालिकाओं के चुनाव सरकार कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–**

जी हां, एक लाख जनसंख्या तक की नागर स्थानीय निकाय के चुनाव दिनांक 12-11-88 को कराया जाना प्रस्तावित है । एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के चुनाव बाद में कराये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री सत्य प्रकाश विकल–**

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि एक लाख जनसंख्या तक के स्थानीय निकायों के चुनाव 12 नवम्बर के लिए प्रस्तावित है और एक लाख से ऊपर जनसंख्या की जो नगरपालिकाएं और नगर महापालिकाएं हैं, उनके चुनाव बाद में कराए जाएंगे। मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं उनसे दो प्रश्न करना चाहता हूं। जब स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा रहे हैं तो जो 23 नगर-पालिकाएं और 8 नगर महापालिकाएं हैं जिनकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, उनके चुनाव इस समय न कराकर बाद में कराये जाने का क्या कारण है ? आज नागरिक सुविधाओं से और अपने नागरिक अधिकारों से ये 2 करोड़ लोग 15–20 साल से वंचित हैं और इन नगरपालिकाओं की हालत अत्यन्त नारकीय और बदतर है और मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि चुनाव कब कराए जायेंगे ? तो एक तो क्या मा0 मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि इनके चुनावों के साथ ही 23 नगरपालिकाओं और 8 महापालिकाओं के चुनाव भी कराए जाएंगे, या 31 दिसम्बर, 1988 तक या इससे पूर्व इनके चुनाव कराने की घोषणा करेंगे ? दूसरे उन्होंने एक लाख तक की जनसंख्या वाले स्थानों के चुनाव 12 तारीख के लिए प्रस्तावित किये हैं। मान्यवर, मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 9 तारीख को दीपावली का त्योहार है और 11 तारीख को भाईदूज का त्योहार है। बारह तारीख को मतदान की घोषणा प्रस्तावित है। मान्यवर, इतने भावनात्मक प्रश्न पर सरकार नहीं जान पायी कि मतदान से लाखों लोग वंचित हो सकते हैं तथा लोग इन त्योहारों में व्यस्त होने के कारण भाग नहीं ले पायेंगे । क्या मा0 मंत्री जी इन चुनावों को 2-3 दिन समय सारिणी में परिवर्तन करके बढ़ाने की घोषणा करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्य ने जो आशंका व्यक्त की है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। तेईस नगरपालिकाओं, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर की है और 8 नगर महापालिकाओं, जिनके चुनाव फर्स्ट फेज में नहीं हो रहे हैं, इनके इलेक्शन में प्रेसीडेंट, महापौर आदि के इलेक्शन इन्डायरेक्ट होंगे और 12 को जिनके चुनाव कराये जा रहे हैं, उनके इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। दूसरे कुछ जगहें जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ आदि कुछ स्थानों पर परिसीमन चल रहा है। कुछ जगहों पर वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। सेकेण्ड फेज में इनके चुनाव कराने हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय बाद दूसरे चरण में इन 23 नगरपालिकाओं और 8 नगर महापालिकाओं के चुनाव कराए जायेंगे। जहां तक तिथियों की बात है, वे पहले ही निर्धारित हो चुकी हैं जो कि आपकी जानकारी में है। नामिनेशन की तिथि पता चल गयी है और 12-11-88 को चुनाव की तिथि निश्चत की गयी है। अभी तक यह जानकारी में नहीं लाया गया है कि इतना बड़ा त्यौहार है। अगर आप इसकी जानकारी कराएंगे तो विचार किया जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

9 तारीख को दीपावली है और 11 तारीख को भाईदूज है।

श्री नरेश चन्द्र–

दीपावली 9 तारीख को है। तीसरी बात यह कही गयी कि इन चुनावों को पहले क्यों नहीं करा सकते हैं? तो जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से राय लेकर ये तिथियां निश्चित की जाती हैं। इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, जिला परिषद् और ब्लाक प्रमुखों के चुनाव चल रहे हैं तो जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर प्रथम चरण में इतने चुनाव कराए हैं। कुल 5 जगहों के चुनावों में कोर्ट से स्टे है। दूसरे फेज में ये सभी चुनाव करा दिये जाएंगे। जैसे ही पहले चरण के चुनावों की प्रक्रिया निस्तारित हुई दूसरे फेज के चुनावों की घोषणा कर दी जायगी।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनके संबंध में जो कारण बताये हैं, वह अपर्याप्त है। वह गल्ती कर ही चुके हैं कि उनके भी चुनाव साथ नहीं करा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री कोई तिथि घोषित करेंगे कि 23 नगरपालिकाओं और 8 महापालिकाओं के चुनाव कब तक करा देंगे?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, उसके लिये अभी कुछ कहना इसलिये सम्भव नहीं कि लखनऊ मेरठ इलाहाबाद आदि में परिसीमन का कार्य चल रहा है, और वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। जब तक अन्तिम रूप से सूची बनकर नहीं आ जायेगी, तब तक कुछ कहना सम्भव नहीं होगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

जो परिसीमन वाले क्षेत्र रह गये हैं, उनको छुड़वा दीजिये।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों में दो बार इनडायरेक्ट चुनाव शब्द का प्रयोग किया, कृपा करके इस इनडायरेक्ट चुनाव को एक्सप्लेन कर दें?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, जो एक लाख से कम की आबादी की नगरपालिकाएं, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया हैं, उसमें चेयरमैन/प्रेसीडेंट का चुनाव सीधे मतदाता करते हैं। जहां तक 8 नगरमहापालिकाओं और 25 महापालिकाओं की बात है, इसमें सीधे चुनाव नहीं होता है। पहले सभासद, कारपोरेटर चुने जाते हैं, फिर वे कारपोरेटर महापौर या मेयर का चुनाव करते हैं। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, महापालिकायें, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया यह महान लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इन्हें भंग किसने किया था, कृपा करके इसे माननीय मंत्री जी बता दें?

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय नरेन्द्र देव जी के प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मैंने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को बुलाया हुआ है।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दें, सदन को जानकारी तो हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठें।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, किस सन् में यह भंग हुई, किस सरकार ने इसे भंग किया, इसका उत्तर मिलना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें। माननीय द्विवेदी जी आप अपना प्रश्न करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 23 नगरपालिकाओं और 8 महापालिकाओं के निर्वाचन अभी नहीं हो रहे हैं, उसमें शीघ्रातिशीघ्र चुनाव हों, यह हम सबकी भावना है। मंत्री जी ने बताया कि लखनऊ मेरठ इलाहाबाद इत्यादि में परिसीमन का कार्य चल रहा है, परिसीमन के कार्य चलने के कारण तिथि घोषित नहीं कर पा रहे हैं। परिसीमन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, इसका उन्होंने कोई निर्देश दिया है? जहां परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है, वहां के लिए चुनाव की तिथि घोषित करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर, जहां अभी परिसीमन का कार्य चल रहा है और वोटर लिस्ट की तैयारी हो रही है, वहां के बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है। प्रथम फेज के चुनावों की घोषणा हम कर चुके हैं। अब कहीं एक जगह परिसीमन पूरा हो गया है उसकी तिथि घोषित करें, फिर कहीं दूसरी जगह पूरा हो जाय उसकी घोषणा करें, यह सम्भव नहीं है। दिनांक 10 अगस्त, 1977 को, जब जनता पार्टी की सरकार ने, उन तमाम प्रजातांत्रिक टाउन एरियाज को, अपने एक आदेश से समाप्त कर दिया था, यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाये गये कच्चे मार्गों को पक्का कराये जाने हेतु विश्व बैंक की सहायता**

*1--श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)--

विधान सभा के 1985 के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाये गये कच्चे मार्गों को पक्का कराने हेतु भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता के लिए भेजा गया प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ अथवा नहीं ? यदि हुआ, तो कब ? यदि नहीं, तो प्रोजेक्ट किस प्रक्रिया में है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

उत्तर प्रदेश में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित कच्चे मार्गों को पक्का कराये जाने हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए 934.80 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट वर्ष 1982-83 में भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। प्रोजेक्ट के बृहद आयाम और उसके संदर्भ में राज्य सरकार से अपेक्षित अंशदान की अनुपलब्धता के कारण उसे विश्व बैंक को प्रस्तुत नहीं किया गया।

**सूखा राहत के अन्तर्गत जनपद मथुरा में बर्चावली से सुजावली मार्ग के निर्माण की जानकारी**

*2--श्री कुशल पाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद में सूखा राहत के अंतर्गत बर्चावली से सुजावली मार्ग का शेष भाग बनाने के लिए वर्ष 1986-87 में स्वीकृत किया गया था जिसको बनाने के लिए परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभि0, मथुरा ने अपने पत्रांक 2454 दिनांक 21-10-87 द्वारा अधि0 अभि0 अभियंत्रण सेवा, मथुरा को लिखा था ? यदि हां, तो अब तक इसको पूरा न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इस विभाग द्वारा सुजावली से राजागढ़ी मार्ग को 6 माह पहले बना दिया गया था तथा इसका सूखा राहत से बर्चावली से सुजावली मार्ग के स्थान पर भुगतान

कर दिया गया जिसकी रिपोर्ट परगना मजिस्ट्रेट, छाता ने जांच के दौरान की, कि मार्ग पहले ही बनाया जा चुका था ? यदि हां, तो शासन ऐसे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं,

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मथुरा को बरचावली से सुजावली का शेष भाग 1.00 कि0 मी0 निर्मित करने की स्वीकृति पत्रांक-2007, दिनांक 3-9-87 द्वारा भेजी गयी थी । स्वीकृति का आशय बर्चवली-सुजावली मार्ग से राजगढ़ी के सम्पर्क मार्ग से था । पत्रांक 2454, दिनांक 21-10-87 द्वारा अधिशासी अभियन्ता (आर0 ई0 एस0) मथुरा को कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

बर्चावली-सुजावली मार्ग से राजगढ़ी के 2.00 कि0मी0 लम्बे मार्ग को फरवरी-मार्च 1987 में ही पूर्ण कर लिया गया था परन्तु उस समय केवल 1.00 कि0 मी0 मार्ग का भुगतान एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अंतर्गत किया गया । शेष 1 कि0 मी0 मार्ग का भुगतान सूखा राहत कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि से किया गया । जिसके लिये अधिशासी अभियंता को कठोर चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो ।

**पर्वतीय अंचलों में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के निर्माणाधीन भवनों की जानकारी**

*3–डा0 शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 79-80, 80-81 तथा 81-82 में प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में (8 जनपदों में) जितने भी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज खुले थे उनके भवन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बन पाये हैं और वहां पर अध्यापन कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो स्कूलों के भवन न बनने के क्या कारण हैं तथा कब तक बना दिये जायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

उक्त अवधि में प्रदेश के पर्वतीय अंचलों के 8 जनपदों में 68 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 60 इण्टरमीडिएट कालेज खोले गये थे । उनमें से 14 विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 6 विद्यालयों का कार्य चल रहा है । शेष विद्यालयों में से जिनके पास भूमि उपलब्ध थी उनके लिये दो कक्षा-कक्ष व एक प्रयोगशाला की स्वीकृति दी गयी है या दी जा रही है । शेष आवश्यकता सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पूरी नहीं की जा सकी है ।

**जनपद गाजीपुर में जीर्ण-शीर्ण घाटों की मरम्मत**

*4–श्री अमिताभ अनिल दुबे (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में जीर्ण-शीर्ण घाटों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें 12-6-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)-

जी हां ।

गाजीपुर में जीर्ण-शीर्ण घाटों की मरम्मत हेतु नगरपालिका गाजीपुर द्वारा आगणन तैयार कराये गये हैं जिसके अनुसार इस कार्य पर कुल रु0 17,42,400 का व्यय अनुमानित है । धनाभाव के कारण घाटो की मरम्मत का कार्य कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

**जनपद मुजफ्फरनगर विधान सभा क्षेत्र जानसठ में निर्बल वर्ग के लिए आवास व्यवस्था**

*5-श्री दीपक कुमार (अनुपस्थित)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र जानसठ में 1980 से अब तक किन-किन निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए कुल कितने आवासों का निर्माण किस-किस गांव में कराया गया है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र जानसठ में वर्ष 1979-80 से अब तक निर्बल वर्ग आवास योजना के अंतर्गत कुल 35 गांवों में 237 आवासों का निर्माण कराया गया । इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल 11 गांवों में 98 आवास निर्मित किये गये । निर्मित भवनों का विवरण अत्यन्त विस्तृत होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है । सम्पूर्ण विवरण मेरे कार्यालय में देखे जा सकते हैं ।

**जनपद बांदा, नरैनी के भौरा नाला में चैक डैम बनवाने की रूप रेखा**

*6-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री छोटे लाल तिवारी ग्राम प्रधान रोली (कल्याणपुर) तहसील नरैनी जनपद बांदा का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 1986 सिंचाई सुविधा के लिए भौरा नाला में चैक डैम बनवाने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या भौरा नाला में चेक डैम बनवाने के लिए सर्वे करा-कर रूपरेखा तैयार की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[दिनांक सोमवार, 3 अक्तूबर, 1988 ई0 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

**किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बस्ती द्वारा क्रय की गयी कार के संबंध में उत्तरदायी प्राधिकृत नियंत्रक के विरुद्ध कार्यवाही**

*1–श्री मैनेजर सिंह तथा
श्री सुखपाल पाण्डे (अनुपस्थित)–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे सोमवार (दिनांक 29-6-87) को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 (नत्थी ख) के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के कथनानुसार किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बस्ती द्वारा खरीदी गयी कार का औचित्य सिद्ध न होने पर उसके लिए उत्तरदायी प्राधिकृत नियंत्रक के विरुद्ध अब तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

नियुक्ति विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन संबंधित दो परगना धिकारियों/प्राधिकृत नियंत्रकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था जिनमें से एक का स्पष्टीकरण नियुक्ति विभाग को प्राप्त हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

*3–श्री महेन्द्र भाटी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**तदर्थ अध्यापकों को उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) अधिनियम 1985 का लाभ**

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (अनुपस्थित)–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा विभाग द्वारा उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) अधिनियम 1985 की धारा 31 (ख) का लाभ केवल उन्हीं तदर्थ अध्यापकों को दिया जा रहा है जिनकी नियुक्ति मौलिक रिक्तियों पर हुई है ? यदि हां, तो तदर्थ आधार पर नियुक्त उन सभी अध्यापकों को जिनकी नियुक्ति धारा 31 (ख) के प्रभावी होने के पूर्व हुई थी तथा जो संबंधित परिनियमावलियों के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हतायें रखते हैं या जिन्हें उन उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, उनके सेवा काल में नये पद सृजन अथवा मौलिक रिक्ति होने की दशा में उक्त धारा का लाभ उसी प्रकार से देने में सरकार को क्या कठिनाई है जबकि सरकारी सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों से संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 15/34/78-कार्मिक-1 दिनांक 2 फरवरी, 1981 द्वारा राजकीय कर्मचारियों को यह सुविधा दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

धारा 31 (ख) का उद्देश्य केवल ऐसे तदर्थ अध्यापकों को लाभ देने का है जिनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 1982 एवं आदेश, 1983 के अंतर्गत की गई थी । अतः दिनांक 3 जनवरी, 1984 के पश्चात् तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों को धारा 31 (ख) का लाभ देना सम्भव नहीं है ।

प्रश्नगत शासनादेश में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गयी है ।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाता खुदा बख्श पुराना गनेश गंज लखनऊ में निर्मित कालोनी का किराया एवं पेयजल की सुविधा**

*5–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1959-60 में बनी कालोनी हाता खुदा बख्श पुराना गनेश गंज, लखनऊ का किराया प्रत्येक अध्यासियों को प्रति माह कितना देना पड़ता है ? क्या पूर्व में उक्त कालोनी में पानी का किराया अध्यासियों से लिया जाता था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी के प्रत्येक ऊपर के मकानों में विगत 10-12 वर्षों से पानी जल संस्थान द्वारा नहीं दिया जाता है ? इस कारण ऊपर के अध्यासियों को पानी दूर दराज से लाना पड़ता है ? यदि हां, तो मकानों में जल संस्थान लखनऊ द्वारा मीटर लगाये जाने, पानी का किराया लिये जाने का क्या औचित्य है ? कब तक ऊपर के मकानों में पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत कालोनी के प्रत्येक अध्यासी से प्रतिमाह निम्नलिखित दर से किराया लिया जाता है :–

| | |
|---|---|
| ए–प्रकार के भवन | रु0 227.44 |
| बी–प्रकार के भवन | रु0 207.00 |
| सी–प्रकार के भवन | रु0 155.86 |
| अन्य प्रकार के भवन | रु0 207.00 |

उक्त कालोनी में पानी का किराया न पूर्व में और न वर्तमान में लिया जा रहा है । उक्त कालोनी पानी की कमी वाले क्षेत्र में स्थित है जहां भूतल पर प्रतिदिन लगभग 4 से 5 घण्टे पानी मिलता है । प्रथम तल पर रहने वाले निवासी पानी की टंकी बनाकर एवं उसमें छोटा पम्प लगाकर पानी प्राप्त कर सकते हैं । लखनऊ जल संस्थान के द्वारा जो भी जल संयोजन दिये जाते हैं उसमें जल मापक यंत्र लगाये जाते हैं नियमों के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में आने वाले सभी गृह स्वामियों से जलकर/सीवरकर/जलमूल्य मीटर किराया लिया जाता है ।

पेयजल की सुविधा देने के लिए उपरोक्त स्थान पर एक इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प भी लगा दिया गया है ।

**उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इंदिरा नगर विस्तार योजना में अधिग्रहीत की जा रही भूमि का मुआवजा न मिलने से कृषकों में असंतोष**

*6–श्री हरदेव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इन्दिरा नगर विस्तार योजना नं0–2 में बहुत से गांवों की भूमि अधिगृहीत की जा रही है परन्तु 4 वर्षों से अधिक समय हो गया है अभी तक भूमि अधिगृहण की औपचारिकतायें पूरी नहीं की गयी हैं जिससे किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है और वह अपनी भूमि पर कृषि आदि भी नहीं कर पा रहे हैं जिससे उनमें भीषण असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण की औपचारिकता शीघ्र पूरी कराकर किसानों को मुआवजा देने के आदेश जारी करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र–

जी हां । किन्तु, योजना में समाविष्ट भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व तक कृषकों द्वारा फसल बोने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के अधिग्रहण तथा किसानों को प्रतिकर वितरित करने हेतु आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम/भूमि अध्याप्ति अधिनियम में निहित औपचारिकताएं पूर्ण कराई जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री हरदेव सदन में उपस्थित थे, और माननीय नगर विकास राज्य मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया, किन्तु माननीय सदस्य ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा ।)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं । [x x x] इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये)

डा0 संजय सिंह–

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री संजय सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह ने भी सदन का त्याग किया)

**सम्प्रति एडीशनल चीफ कन्जरवेटर इलाहाबाद द्वारा रेंजरों का स्थानान्तरण**

*7–श्री अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि सम्प्रति एडीशनल चीफ कन्जरवेटर इलाहाबाद वर्ष 1983 से 1986 तक जब वे फैजाबाद में कन्जरवेटर के पद पर कार्यरत थे तब उनके द्वारा फैजाबाद सर्किल के लगभग 25

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रेंजरों का स्थानान्तरण कर दिया गया था और फिर उन्होंने सभी स्थानान्तरण रोक भी दिये थे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? क्या यह सत्य है कि अब वर्तमान कार्यकाल में भी वे स्थानान्तरण तथा अनुशासनिक कार्यवाही की धमकियां अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दे रहे हैं ? क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, फैजाबाद (सम्प्रति अपर मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, इलाहाबाद) द्वारा वर्ष 1983 से 14 जुलाई, 1986 की अवधि में 41 वन रेंजरों का स्थानान्तरण/तैनाती की गयी । मात्र 3 वन रेंजरों के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से निरस्त किये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बस्ती की अचल सम्पत्ति को बेचने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही**

*8–नवाब सिकन्दर अली खां तथा

श्री राम शरण दास–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिव हर्ष किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बस्ती के वर्तमान प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा भैंसहिया फार्म की लगभग दो बीघा जमीन सिंचाई विभाग को वर्ष 1987 में बेच दी गई है ? यदि हां, तो प्राधिकृत नियंत्रक को कालेज की अचल सम्पत्ति को बेचने अथवा ट्रान्सफर करने का अधिकार प्राप्त न होने पर क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(प्रश्नकर्ता श्री राम शरण दास जी सदन में उपस्थित थे, माननीय श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, शिक्षा मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर पढ़ा, किन्तु प्रश्नकर्ता ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा ।)

(श्री रामचन्द्र बख्श सिंह के पुनः सदन में आने पर)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, सदन शान्त हो गया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अल्प सूचित प्रश्न से ही प्रश्नकाल को लें । यह मेरा आपसे निवेदन भी है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–8 का उत्तर आ चुका है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–9, 10 पुकारे जाने पर, संबंधित प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

**जनपद आगरा के फिरोजाबाद में पेयजल संकट हल करने के उपाय**

*9–श्री रघुबर दयाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद की 2 लाख 50 हजार की आबादी जिसमें पाईप लाईन से पेयजल सम्पूर्ति की जाती है, को कम से कम 140 गैलन पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन कम से कम 3 मिलियन गैलन से अधिक पानी प्रतिदिन चाहिए ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में 30 हजार गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो शासन ने पेयजल के इस गम्भीर संकट को हल करने के लिए क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

फिरोजाबाद नगर की वर्तमान लगभग 2,50,000 जनसंख्या को निर्धारित मानक के अनुसार 200 लीटर (लगभग 44 गैलन) प्रति व्यक्ति की दर से प्रतिदिन कुल 50 मिलियन लीटर (लगभग 11 मिलियन गैलन) जल चाहिये ।

20 घन्टे की विद्युत उपलब्धता के अनुसार वर्तमान में लगभग 4.7 मिलियन गैलन जल प्रतिदिन उपलब्ध है ।

फिरोजाबाद नगर में पेयजल की कमी को देखते हुये गत तीन वर्षों में 5 नये नलकूपों को चालू किया गया है । 5 पुराने खराब नलकूपों का पुर्नविकास भी किया गया है । नगर के पेयजल कठिनाई वाले क्षेत्र में 85 इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प भी लगाये गये हैं ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1988-89 में 4 नये नलकूपों के चालू किये जाने की आशा है और तीन इण्डिया मार्क-II हैन्डपम्प भी लगाये जाने प्रस्तावित हैं ।

**जनपद बलिया में वर्ष 1986-87 एवं 87-88 में शिक्षा सलाहकार समिति की बैठकों की संख्या**

*10–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के समस्त जिलों में शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक तीन माह में एक बार बुलाने का शासनादेश है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में वर्ष 86-87 एवं 87-88 में कितनी बार उक्त समिति की बैठक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

वर्ष 86-87 में एक बैठक आयोजित की गई । वर्ष 87-88 में कोई बैठक सम्पन्न नहीं हुई । वर्ष 1987-88 में लम्बी अवधि तक कोई नियमित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यरत नहीं रहा । कार्यवाहक प्रबन्ध के कारण उक्त बैठक नहीं की जा सकी ।

**ग्रामीण पेयजल के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय अनुदान राशि और राज्य सरकार द्वारा उपयोग**

*11—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1987-88 में ग्रामीण पेयजल के अन्तर्गत राज्य सरकार 45 करोड़ रुपये की केन्द्रीय अनुदान राशि प्राप्त करने का हक रखती थी बशर्ते कि वह भी 45 करोड़ रुपये इस मद में खर्च करें ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च, 1988 तक इस मद में अपनी ओर से कितना धन व्यय किया है ? कम व्यय करने के फलस्वरूप जो कमी केन्द्रीय अनुदान में आई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

आवास राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)—

जी हां ।

वर्ष 1987-88 में 31-3-1988 तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रु0 55.49 करोड़ का व्यय किया गया जो भारत सरकार निर्धारित केन्द्रीय अनुदान के परिव्यय रु0 44.92 करोड़ से अधिक है । भारत सरकार द्वारा केवल रु0-37.50 करोड़ अवमुक्त किये गये । केन्द्रीय अनुदान में कमी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के वर्ष 1987-88 के व्यय में कमी के कारण नहीं हुई है, परन्तु उसका कारण पूर्व वर्षों में केन्द्रीय अनुदान की कुछ धनराशि को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जनहित में अन्य मदों में व्यय किये जाने से हुई है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ग्रामीण पेयजल के लिए जो धन की व्यवस्था थी, जो केन्द्रीय सरकार से आवंटन स्वीकृत था, उसे इस सरकार ने दूसरी मदों में व्यय कर लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जो धनराशि केन्द्र सरकार से मिली थी वह कितनी थी ? किन मदों में उसका इस्तेमाल किया गया ? क्या कारण था कि उन मदों को ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से भी अधिक महत्वपूर्ण समझा गया ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

विगत 10 वर्षों में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव पर 12.82 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, बाढ़ पर 6.68 करोड़ रु0, जीवन बीमा व ऋणों के भुगतान पर 14.44 करोड़ रु0, प्रदेश सरकार के ऋण का भुगतान करने में 4.33 करोड़ रु0 तथा मेले पर 1.91 करोड़ रु0 खर्च किया गया है । अपरिहार्य कारण यह थे कि जब बाढ़ आ जाती है, शहरों में पानी भर जाता है, उसके लिए सरकार को पेयजल विभाग को पानी की निकासी करनी पड़ती है, मेले जब होते हैं तो उस पर खर्च करना होता है, रख-रखाव पर खर्च करना पड़ता है, जैसे ट्यूबवेल खराब हो गया, पाइप लाइन खराब हो गयी या हैण्डपम्प खराब हो गया तो उस पर सरकार को खर्च करना पड़ता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ऐसी मदों में खर्च किया है जिनके लिए वे अधिकृत नहीं थे खर्च करने के लिए । मैं जानना चाहता हूं कि भोजन से

भी अधिक पीने के पानी की आवश्यकता है, क्या इस बात को देखते हुए कि ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के धन को बाकी कामों में खर्च कर लिया है, जहां तक आवश्यकता की बात है कोई काम ऐसा नहीं है जो आवश्यक न हो, आवश्यक तो सभी है, मैं जानना चाहता हूं जब उन्होंने समझा कि ग्रामीण पेयजल से भी ज्यादा आवश्यक है ये कार्य, तो ग्रामीण पेयजल की आवश्यकता को सही महत्व देते हुए, जितना धन वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए खर्च किया है, क्या उतना ही धन पेयजल व्यवस्था के लिए खर्च करेंगे ताकि केन्द्र से जिस अनुपात में धन मिलना था, वह मिल सके ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

यह खर्च जनहित में किया गया है और आगामी वर्ष के खर्च के लिए यह कैबिनेट में प्रस्तावित है और इस धन को आगामी वर्ष के खर्चे में रखा जायगा वह उस पर खर्च किया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो धन गलत तरीके से खर्च हुआ है और जिस पर उसे व्यय किया जाना चाहिए था, उस पर व्यय नहीं किया गया है जो अगले वर्ष इसके लिए आप अलग से व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

यह धन गलत तरीके से नहीं खर्च हुआ है बल्कि यह जनहित में खर्च हुआ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कैबिनेट का नाम लिया जबकि यह धनराशि केन्द्रीय सरकार से पेयजल से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य के लिए दी गयी थी और उन्होंने उसको दूसरे कामों में खर्च कर दिया । क्या इन्होंने इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से जो कि आज यहां मुख्य मंत्री जी की हैसियत से विराजमान हैं, अनुमति ली थी कि हम इस फण्ड का डाईवर्जन करने जा रहे हैं या क्या राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की इस विषय में स्वीकृति प्राप्त की गयी थी ? यदि स्वीकृति नहीं ली गयी थी तो फिर इसके विभाग ने और इनके निगम ने घोर वित्तीय अनियमितता की है । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी क्या करने का विचार कर रहे हैं ? और क्या अगले वर्ष इन कार्यक्रमों पर जिनमें कि अबकी कमी रह गयी है, धन व्यय किया जायेगा ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने दो प्रश्न किये थे जिसमें एक तो यह था कि जो इस साल पैसा इस पर खर्च हुआ क्या उसे अगले वर्ष पूरा कर लिया जायेगा ? अगले वर्ष के लिए तो मा0 मंत्री जी ने स्वीकार ही कर लिया है कि "किया जायेगा" शब्द कह कर, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । जब इन्होंने इसे गलत तरीके से खर्च करना स्वीकार कर लिया है तभी इन्होंने सदन में आश्वासन दिया है कि पैसा खर्च किया जायेगा । अब प्रश्न यह है कि उस गल्ती के लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने गलत काम करने वाले की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर ली है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं आभारी हूं माननीय सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न करके सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया । प्रश्न का उत्तर इसके मूल उत्तर में स्पष्ट है कि जो धनराशि प्राप्त होती है ग्रामीण पेयजल योजना के लिए वह समस्त पेय जल योजनाओं से संबंधित होती है । 31 मार्च, 1988 तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा 55.49 करोड़ रु0 व्यय किया गया जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय अनुदान के परिव्यय रु0 44.92 करोड़ से अधिक है । भारत सरकार द्वारा केवल 37.50 करोड़ रु0 अवमुक्त किये गये । केन्द्रीय अनुदान में कमी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के वर्ष 1987–88 के व्यय में कमी के कारण हुई है परन्तु उसके कारण पूर्व वर्षों में केन्द्रीय अनुदान की कुछ धनराशि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उसके पूर्व वर्षों में बाढ़ आदि के कारण पम्प आदि लगाने पर, अनिवार्य कारणों से जनहित में अन्य व्ययों को किये जाने में हुई है और उस मद का दुरुपयोग नहीं हुआ है बल्कि उसका रिएप्रोप्रियेशन किया गया । दुरुपयोग की परिधि में यह नहीं आता है और मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया है इसको । यह सही है कि जो धनराशि न्यूनतम आवश्यकता के लिए आवंटित होती है वह उसी मद में खर्च की जानी चाहिए लेकिन यदि वह अनिवार्य कारण से किसी दूसरी मद में खर्च हो गयी है तो उसका पुनर्विनियोग हो जाता है । यह भी सही है कि एक मद का धन दूसरी मद में प्रयोग नहीं हो सकता है, भविष्य के लिए हमारा पूरा प्रयास है कि जो केन्द्रीय सरकार से धनराशि आवंटित होती है उसकी मैचिंग ग्रान्ट में भी धन लगा कर पेय जल योजना जैसे महत्वपूर्ण अंग के लिए उसका कार्यान्वयन किया जाय और वह उसी मद पर व्यय हो सके ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जो पैसा पिछले सालों में न्यूनतम कार्यक्रमों के अन्तर्गत था और मदों में खर्च कर दिया गया है, उतना पैसा इस साल के बजट में, पेयजल योजनाओं के लिए शामिल करेंगे । इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना योगदान दिया है और उन्होंने कहा है कि वह भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो पैसा पेय जल योजनाओं के लिए प्राप्त हुआ था, उसे एडजस्ट कराने की कोशिश करेंगे । तो मान्यवर, परिस्थितियां अब भिन्न हो गयी हैं । तो मैं जानना चाहूंगा कि जो पेय जल की भोजन से भी अधिक आवश्यकता है, ग्रामीण पेय जल व्यवस्था के औचित्य को स्वीकार करते हुए, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि भारत सरकार से आग्रह करने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित बजट में उतना अतिरिक्त पैसा ग्रामीण पेय जल व्यवस्था के लिए आवंटित करेंगे और भारत सरकार से उसके अनुरूप अतिरिक्त धनराशि की मांग करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अवश्य ही । हमारा शासन अपनी नीति के अनुकूल 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण पेय जल योजना के प्रश्न को और उसके समाधान के प्रश्न को प्राथमिकता देता है और हम अवश्य ही करने का प्रयास करेंगे । यह प्रश्न पिछले वर्ष का है । वर्तमान और भविष्य में हम करेंगे । 39 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च हुआ

है, आगे के लिए हम मैचिंग ग्रान्ट की व्यवस्था करेंगे और पेय जल योजनाओं को अवश्य देंगे, दिया जाना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वित्तीय हस्तपुस्तिका है, उसमें पुनर्विनियोग की प्रक्रिया दी हुई है, जो इसमें फण्ड एलाट किए गए थे, उनके पुनर्विनियोग करने के लिए जो प्रक्रिया दी हुई है कि विभागाध्यक्ष से अनुमति ली जायेगी, तो क्या इस प्रक्रिया का पालन किया गया है और अगर नहीं किया गया है तो इसको रोकने के लिए शासन क्या कर रहा है ? जो प्रक्रिया है, उसका पालन नहीं किया गया, शासन बिना नियमों के चल रहा है, जिसने पेय जल जैसी गम्भीर योजनाओं के पैसे को मेलों पर खर्च कर दिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन् वर्णित परिस्थितियों में फाइनन्शियल हैण्ड बुक और बजट मैनुअल में इस तरह का प्राविधान है कि शासन असाधारण परिस्थितियों में एक मद का पैसा दूसरी मद में पुनर्विनियोजित कर सकता है । मुझे प्रत्येक व्यय का विवरण प्राप्त नहीं है, उसके लिए सूचना की आवश्यकता है । प्रत्येक मद के बारे में कि यह लिया गया है या नहीं, इसकी सूचना लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता रहा है, पुनर्विनियोग होता रहा है । मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि भारत सरकार द्वारा जो धनराशि पिछले वर्ष खर्च की गयी थी, उसकी मैचिंग ग्रान्ट के लिए विचार कर रही है और मुझे आशा है कि पिछले वर्ष का पैसा प्राप्त हो जायेगा ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मेरा नाम पुकारा गया था और मैं खड़ा भी हुआ था, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

*12–डा0 दिनेश जौहरी–

[12वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के जी0 पी0 एफ0 लेखों का निस्तारण

*13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के जी0पी0एफ0 लेखों को पूर्ण कराकर लेखा पर्ची निर्गत करा दी गई है ? यदि नहीं, तो दैनिक वेतन भोगी लिपिकों पर धन व्यय करने के उपरान्त भी उसको पूरा न करा पाने के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है और अब आगे इसे शीघ्र पूरा कराने की दिशा में क्या व्यवस्था की जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी नहीं ।

दैनिक लिपिकों पर जो व्यय किया उसके अनुसार कार्य में प्रगति आयी परन्तु कार्य काफी पिछड़ा होने के कारण एवं पुराने अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण जी0 पी0 एफ0 लेखे को पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

वित्तीय कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिले एवं निदेशालय स्तर पर लेखा संगठन की स्थापना हो चुकी है । इस संगठन के माध्यम से शीघ्र जी0 पी0 एफ0 लेखों को पूर्ण कराने हेतु कड़े निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर जब लेखा संघ की स्थापना की गई है उसे काफी दिन हो गये हैं और इस बात को सभी माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि जी0 पी0 एफ0 का अरबों रुपये का मामला है उसमें गबन और पैसे का दुरुपयोग हुआ है । इस बात की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने लिए मैंने यह सवाल किया है । इसका माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि अभी कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस समय शासन के सामने कोई सुनिश्चित ऐसी योजना है, क्योंकि लेखा संगठन से काम नहीं चलेगा, जिससे इनका तत्काल कोई निस्तारण हो सके । क्या ऐसी कोई निश्चित और समयबद्ध योजना शासन के पास है जिससे जी0 पी0 एफ0 के लेख निस्तारित हो सकें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

श्रीमन्, जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण करा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार कोई सुनिश्चित उपायों के बारे में विचार कर रही है ? श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने क्या कोई सुनिश्चित उपायों के बारे में निश्चय किया है ? जल्दी से जल्दी करने के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। उस सुनिश्चित व्यवस्था के बारे में आप बता दें । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी धनराशि के जी0 पी0 एफ0 के मामले ऐसे हैं जिनका लेखा-जोखा परिषद् के पास नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

श्रीमन्, यह लेखा संगठन 1986 से कार्यरत हुआ । जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं कि एक लिपिक भी इस कार्य के लिए लगाया गया है जिससे ऐसे जितने मामले हैं उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें हम तेजी और जल्दी करायेंगे और जैसा कि आपने कहा, यदि आवश्यकता हुई तो स्टाफ की जरूरत होगी तो उसको भी हम देख लेंगे ।

**जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवा निवृत्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या तथा उनके पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि के भुगतान की कार्यवाही**

*14–बाबू राम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के ऐसे कितने सेवा निवृत्त अध्यापक एवं अध्यापिकायें हैं जिनको एक वर्ष से ज्यादा

अवधि के बीत जाने के पश्चात् भी अभी तक पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

वर्ष 1987-88 तक सेवा निवृत्त ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं की स्थिति निम्नलिखित है :–

पेंशन–38 अध्यापक/अध्यापिकाओं में से 25 को पेंशन का भुगतान न होने का कारण उनसे प्रपत्र प्राप्त न होना तथा शेष 13 मामलों में अत्यन्त विलम्ब से प्रपत्र प्राप्त हुए तथा ये मामले अब विभिन्न स्तरों पर परीक्षित हो रहे हैं ।

भविष्य निधि–2 के मामलों में अपेक्षित कार्यवाही अपूर्ण है तथा एक के भुगतान की कार्यवाही पूरी हो गयी है ।

बीमा–एक अध्यापक का भुगतान शेष है जिसका कारण उनके द्वारा क्लेम प्रपत्र प्रस्तुत न करना है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संदर्भित वर्ष में कितने अध्यापक रिटायर हुए ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि 38 अध्यापक और अध्यापिकाओं के मामलों में से 25 के मामले विचाराधीन हैं । उनके प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं । इसी कारण यह मामले विचाराधीन हैं । अगर वह अपने प्रपत्र भर कर दे दें तो शीघ्र ही उनका निस्तारण कर दिया जायेगा ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह जो उत्तर दिया गया है वह सदन को गुमराह करने वाला उत्तर है और माननीय मंत्री जी के लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह शिक्षा के मामले में जीरो हैं लेकिन यह सूचना भी इनके पास उपलब्ध नहीं है कि कितने अध्यापक रिटायर हुए हैं । अध्यापक वहां हड़ताल कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं । एक वर्ष से ज्यादा अर्से से उनको भुगतान नहीं हुआ है । आपने यह सूचना नहीं दी कि कितने लोग रिटायर हुए हैं । मैनपुरी में अध्यापक बी0 एस0 ए0 दफ्तर को घेरे हुए हैं । यह जो 25 और 30 की सूचना दी है इसका कोई संदर्भ इस प्रश्न से नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के संदर्भ में क्या कोई वरिष्ठ अधिकारी भेज कर इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मैंने कहा ऐसे 38 अध्यापक और अध्यापिकायें हैं जिनका मामला चल रहा है । जहां तक इस बात का प्रश्न है और सम्मानित सदस्य की जिज्ञासा है यहां से उच्च अधिकारी भेजकर जांच करायेंगे तो उसे हम दिखवालेंगे इसके लिए मैं उनको आश्वस्त करता हूं मामलों के शीघ्र निस्तारण का प्रयास करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह समस्या प्रदेश के सभी जनपदों की है तो क्या माननीय मंत्री जी दूसरे जनपदों में भी इस बात को दिखवालेंगे कि जो सेवा निवृत्त अध्यापक हो रहे हैं उनको पेंशन और ग्रेच्युटी का एक निश्चित अवधि के अन्दर भुगतान कर दिया जाय ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसके लिए प्रयास किया जाता है कि एक निश्चित अवधि के अन्दर भुगतान कर दिया जाय ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, जो बात वर्मा जी ने कही मैं भी यही चाहता था कि यह समस्या इस सम्मानित सदन में कई बार आ चुकी है । मेरे जनपद में भी यह समस्या है मैंने अधिकारियों को लिख कर भी दिया है । तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वह लिखित आदेश पूरे प्रदेश में प्रसारित कर देंगे कि इस तरह के मामले तुरन्त निपटाये जांय और उसके लिए एक निश्चित सीमा अवधि रखेंगे कि इतने समय के अन्दर सेवा निवृत्त होने के बाद भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, शासन की यही नियत रहती है कि समय पर भुगतान हो जाय । इस तरह के आदेश हैं कोई नये आदेश करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बाबूराम यादव–

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जांच के लिये कह दिया है । मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पेंशन आदि के भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि मैनपुरी में जो अध्यापक सेवा निवृत हुये हैं उनको एक समय की सीमा के अन्दर पैसा दे दिया जायेगा और जो बी0 एस0 ए0 कार्यालय से अरात्य सूचना दी गयी है उसके संबंध में कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, अध्यापकों के भुगतान के संबंध में बार-बार आदेश डी0 आई0 ओ0 एस0 तथा आर0 आई0 जी0 एस0 को जा चुके हैं कि जो सेवा निवृत्त हों उनके पेंशन आदि का भुगतान 5 सितम्बर से पहले कर दिया जाय । यानी जो अध्यापक 30 जून या उससे पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं उनके ग्रेच्युटी और पेंशन के कागजात 5 सितम्बर को तैयार कर दे दिये जांय । हमारा प्रयास है कि हर साल 5 सितम्बर को जो शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है उसमें एक विशेष कार्यक्रम रखा जाय । मुझे खुशी है कि इस साल एक रिकार्ड बेसिस पर यह काम हुआ है । मैंने यह भी आदेश दिये हैं कि जिलों के जो माननीय सांसद हैं या हमारे सम्मानित विधायकगण हैं उनको भी 5 सितम्बर के समारोह में आमंत्रित किया जाय और उसमें पेंशन और ग्रेच्युटी के कागज उनको दिये जांय ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित हमारे जनपद बलिया में 3, 4 वर्ष से अध्यापक परेशान हैं रिटायर होने के बाद उनको पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं

मिल पाई है वह बूढ़े हो गये हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी वहां की रिपोर्ट मंगाकर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जो भी नियमानुसार देय धन है वह तुरन्त नियमानुसार दिया जाता है । जहां कोई ऐसे केसेज हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव केसेज हैं या जिनमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है उनको छोड़ कर निस्तारित कर दिया जाता है । बलिया के संबंध में भी उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(श्री बाबू राम यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह 30 जून, 88 की बात कर रही हैं । मैं कहता हूं कि जून 87 से पहले जो रिटायर हो चुके हैं उनका क्या होगा । यह जो आदेश दिये हैं यह अधिकारियों के दिमाग में नहीं है । तो इसके लिए कोई समय की सीमा बतायेंगी कि मैनपुरी में जो एक वर्ष से पहले जो रिटायर हुये हैं उनको कब तक भुगतान करा देंगे ? आप बुजुर्ग हैं इसलिए उनकी मदद करें ।

**जनपद झांसी के अखण्ड नन्दू जनता इन्टर कालेज, गरौठा की प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में कुंवर मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र तथा कृत कार्यवाही**

*15–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 23 मार्च, 1988 का पत्र अध्यक्ष उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद झांसी के अखण्डा नन्दू जनता इन्टर कालेज गरौठा की प्रबन्ध समिति की अनियमितताओं संबंधी, ग्यारह सूत्रीय शिकायती प्रार्थना पत्र सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की जा रही है ? इतनी गम्भीर अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर भी सोलह-डी की कार्यवाही करने में शासन को क्या कठिनाई है तथा सोलह-डी की कार्यवाही कब तक कर के साधिकार नियंत्रक नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

11 अनियमितताओं में से 6 अनियमितताओं की शिकायत सही पाई गयी । इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी (4) के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

**नगर भूमि सीमारोपण कानून से प्रभावित वाराणसी नगर के मुहल्ला हुकुलगंज स्थित करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पर दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा**

*16—श्री राज किशोर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर भूमि सीमारोपण कानून से प्रभावित वाराणसी नगर के मुहल्ला हुकुलगंज स्थित करोड़ों मूल्य की सम्पत्ति आराजी नं0 10/6 क्षेत्रफल 5.38 एकड़, जिस पर कतिपय दबंग व्यक्ति अधिकारियों की मिलीभगत से बलपूर्वक कब्जा कर रहे हैं, को सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है ? क्या जिलाधिकारी वाराणसी ने उक्त भूमिखण्ड के संबंध में नगर विकास राज्य मंत्री को अपनी रिपोर्ट दिनांक 22-6-87 के पत्र द्वारा प्रेषित की है ? यदि हां, तो अधिग्रहण के लिये प्रभावी कार्यवाही करने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत भूमि से संबंधित सीमाधिक्य घोषित भूमि के बारे में अपील जिला जज वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन है अतः अभी अधिग्रहण की कार्यवाही सम्भव नहीं है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जी हां।

चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः न्यायालय के निर्णय के पूर्व अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

**बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में छात्रों से विकास शुल्क लिया जाना**

*17—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1987-88 से शिक्षा विकास शुल्क लगाये जाने के बाद से बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के छात्रों की संख्या में भारी कमी आयी है और सरकार की यह नीति संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के विरुद्ध भी है जिसमें 14 वर्ष तक के आयु के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की निति को स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो जनहित में सरकार शिक्षा विकास शुल्क समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी नहीं।

विकास शुल्क शिक्षा शुल्क नहीं है क्योंकि इसका उपयोग विद्यालय के विकास कार्यों पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि प्रदेश में गतवर्ष से शिक्षा विकास शुल्क लगाये जाने के बाद से बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों, जिनमें शिक्षा विकास शुल्क लगाया गया है, लगभग 40 प्रति-

शत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, में कमी आयी है। जबकि भारत सरकार ने संविधान में व्यवस्था किया है कि 14 साल के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देना प्रदेश सरकार का दायित्व होगा। उसमें जो शिक्षा के विकास के लिये खर्च आते हैं, वह शामिल हैं, भवन भी शामिल है, यह व्यवस्था सरकार को करनी है। मेरी समझ में नहीं आया है कि मंत्री जी ने कैसे कहा कि विकास शुल्क शिक्षा शुल्क नहीं है जबकि मैंने शिक्षा शुल्क के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया था। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात की समीक्षा करायेंगी कि नई शिक्षा पद्धति के पश्चात् जो यह शिक्षा विकास शुल्क लगाया गया है जबसे प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। इस संबंध में 20वां प्रश्न श्री हर्ष वर्धन जी का आ रहा है जिसका उत्तर आपने दिया है और उससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। तो शिक्षा विकास शुल्क लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, विद्यालयों के भवन के रख-रखाव और साज-सज्जा के लिये पहली और दूसरी कक्षाओं के छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत जो गरीब लोग हैं, वहां की ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुति पर, छोड़ दिये जाते हैं और उनपर यह भार नहीं है। इस तरह बड़ी खुशी के साथ इसको अभिभावक दे देते हैं जो भवन के रख-रखाव पर लगता है। इसको कोई शुल्क के रूप में नहीं मानता है। यह कहना गलत है कि विकास शुल्क लगाने से छात्रों की संख्या में कोई कमी आयी है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी . . . .।

आपकी इस निकम्मी सरकार ने पिछले वर्ष बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण और भूमिविहीन वर्ग के बच्चों पर जो विकास शुल्क लगाया है, उस पर आपका कहना है कि उससे स्कूलों में बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, किन्तु मेरा अनुभव है और निश्चित जानकारी है कि सभी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी है, इसके अतिरिक्त जब संविधान में नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है तो यह शुल्क लगाने का औचित्य क्या है ? क्या आप इसे वापस लेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह शुल्क नहीं है, इसको शुल्क नहीं माना जा सकता है जो स्वेच्छा से हो रहा है और न संविधान की व्यवस्थाओं में इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, इसका नाम शिक्षा शुल्क है या विकास शुल्क है या और कुछ है, इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा तो विरोध है कि शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, फिर भी यदि सरकार ले रही है तो यह ठीक है, किन्तु क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो भी यह विकास शुल्क लिया जा रहा है इसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी इस सम्बन्ध में शासन की ओर से

कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि यह धन किसके द्वारा किस प्रकार एकत्र किया जाएगा और इसका हिसाब कैसे रखा जाएगा तथा इसका आडिट होगा या नहीं । इसका परिणाम यह है कि जो पैसा इकट्ठा होता है, उसका समुचित सदुपयोग नहीं हो पा रहा है । तो इसका सही सदुपयोग हो और इसके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था हो और आडिट भी हो, उसके लिए क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास ही वह धन जमा होता है । उससे अच्छा कार्य हो रहा है । कहीं विद्यालय में छोटी-मोटी टूट-फूट हो जाए, तो वह उससे करा ली जाती है, सफेदी कराने की आवश्यकता हुई तो वह उससे करा ली जाती है । कुर्सी टूट जाती है या फिर ब्लैक बोर्ड टूट जाता है तो उसकी भी मरम्मत आदि का कार्य उससे करा लिया जाता है । हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि इस धन का दुरुपयोग हो रहा है, आजतक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । फिर भी यदि माननीय सदस्य को कोई इस संबंध में जानकारी है और हमें देंगे तो हम उसको देखेंगे । प्रधानाध्यापक के पास वह रहता है और उसके अधिकार में वह रहता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं माननीय नेता भाजपा के रचनात्मक दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं और अन्य नेताओं को भी इसका समर्थन-स्वागत करना चाहिए । इस प्रयास की दिशा में एक कन्सन्सस बननी चाहिए । इसमें कोई दल का सवाल नहीं है । यदि हम आप संसाधनों की वृद्धि पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । मैं उनके रचनात्मक दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं । मैं समझता हूं कि जो अन्य भी प्रस्ताव हैं उन पर भी वह रचनात्मक विचार करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं इस पर स्पष्ट कर दूं, मैंने इसका स्वागत नहीं किया है, मैंने इसका विरोध किया है । मेरे प्रश्न का उत्तरार्द्ध यह है कि धन के रख-रखाव में जो गलती हो रही है उसमें सुधार किया जाए ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विकास शुल्क लगाने के बाद प्रदेश में छात्रों की संख्या प्राइमरी स्कूलों में घटी है ? तो क्या मंत्री जी को यह जानकारी इस समय है कि इस समय प्राइमरी स्कूलों में कितने छात्र हैं और पिछले वर्ष में कितने थे, यह वह बता दें ? यह विकास शुल्क कहा जाए या कुछ और कहा जाए, बहुत से स्कूल ऐसे हैं, जहां पर इमारतें नहीं हैं, कोई टाट पट्टी तक नहीं है, तो वह इस धन से किसका रख-रखाव करते हैं ? फिर वह इस धन का क्या करते हैं ? यह विकास शुल्क सीधा-सीधा शुल्क है, सरकार सीधे यह कहे कि हम निःशुल्क नहीं शुल्क लेकर शिक्षा देंगे, . . .

(व्यवधान)

तो मान्यवर, आप मेरे प्रश्न का इनसे उत्तर दिला दें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

हमारी जानकारी में इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जनजाति और अनुसूचित जाति को लेकर 47 प्रतिशत संख्या गरीबी रेखा के नीचे है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 प्रतिशत संख्या है विकास के लिए, इसलिए विकास शुल्क लगाया गया है जो शेष संख्या है उनके विकास के लिए विचार कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न को साफ कर दें । वह क्या कहना चाहते हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी द्वारा अनेक सरकारें, बिहार की सरकार है, सभी केन्द्र शासित राज्यों में कक्षा-10 तक पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क है । माननीय मंत्री जी संविधान के ज्ञाता हैं आपकी शिक्षा नीति में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है, तो किस कारण यह नीति निर्देशक सिद्धान्त के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आपने चलाई है, लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, जिस पर क, ख, ग लिखा जा सके । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फिर विकास शुल्क लगाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य यह नहीं है, यह एक नाम विशेष प्रक्रिया के के लिए दिया गया है । इसमें भवन से लेकर ब्लैक बोर्ड तक और टाट-पट्टी से लेकर चाक तक का इन्तजाम किया गया है ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

हमारे मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने 100 करोड़ रुपया भवनों के लिए दिया है । मैं पूछना चाहती हूं कि आपने 1977-78-79 में कितने स्कूलों के भवनों के लिए कितना रुपया दिया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है । मैंने पूछा था कि नीति निर्देशक सिद्धान्त के विपरीत उत्तर प्रदेश में विकास शुल्क लगने का क्या औचित्य है ? मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी दें वह उत्तर प्रदेश के प्रमुख सेवक हैं उनकी सरकार संविधान के विपरीत क्यों काम कर रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके स्कूलों में टाट-पट्टी हो, भवन हों, आपके स्कूलों में मेज-कुर्सी हों, ब्लैक बोर्ड हों, आपके स्कूलों में बैठने का अच्छा इन्तजाम हो . . .

(मेजें थपथपाई गईं)

मुझे खुशी है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों ने पूरी तरह से समर्थन किया है और यह चाहते हैं कि हमारे प्राथमिकी अनुदेश निष्पादन।

(श्री अम्बिका द्वारा पार्टीशन नम्बर 10 पूरा करने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब नहीं मिला है।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

हमारे माननीय युवा सदस्य जिज्ञासु व्यक्ति हैं। हमारे प्रदेश में ऐसे जिज्ञासु सदस्यों की आवश्यकता है जो बुनियादी प्रश्नों का अध्ययन करें। नयी शिक्षा नीति में सातवीं योजना के अन्तर्गत शिक्षा को नयी दिशा देने की बात कही गई है उसमें प्राथमिक शिक्षा शामिल है, जो संविधान में नीति निर्देश है, नीति निर्देश में नयी शिक्षा नीति को प्राथमिकता दी गई है। उसमें जो स्थिति है उसको मानना है, लेकिन उसके साथ-साथ संसाधनों की स्थिति को देखते हुए निर्देशों का अनुपालन करना हमारा कर्तव्य है।

**अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कर्मचारी कल्याण संघ लखनऊ विकास प्रधिकरण द्वारा विभिन्न संवर्गों में आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग**

*18–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-2-88 को अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कर्मचारी कल्याण संघ, लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रार्थना पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में आरक्षण का कोटा पूरा किये जाने के संबंध में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को जो दिया गया, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार अभी तक कोटा पूर्ण न किये जाने का कारण क्या है?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)–

जी हां।

कोटा पहले से अपूर्ण रहा है। उपरोक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात जो भी नियुक्तियां की गयी हैं उनमें आरक्षण के नियमों का ध्यान रखा गया है। इस समय अनुभाग अधिकारी एवं सर्वेयर के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है और अवर वर्ग सहायक के पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु चार पदों पर नियुक्तियां स्थगित रखी गयी हैं तथा यह प्रस्तावित किया गया कि इन पदों के विरुद्ध अवर वर्ग सहायक के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाय। भविष्य में नियुक्तियां होने पर विशेष प्रयास करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोटा पूरा किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के कोटे को पूर्ण करने के बारे में घोषणा की थी। आज सदन

में यह कहा जा रहा है कोटा अपूर्ण रहा । मान्यवर, इस अपूर्ण कोटे को पूरा करने के लिये उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक ज्ञापन दिया गया था तो मैं जानना चाहता हूं कि उस ज्ञापन में कौन-कौन से बिन्दु उठाये गये थे ?

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, अनुभाग अधिकारियों के बारे में एक बिंदु उठाया गया था तो उनका कोटा पूरा किया जा चुका है । प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर कोटा पूरा करने की बात कही गयी थी तो जो उनका कोटा है उसको पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक परिपाटी चल गयी है कि पहले दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है और बाद में उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाता है । दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखने में कोटे को पूरा करने का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जायगी कि यदि दैनिक वेतन पर कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं तो उनमें भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के कोटे को सुनिश्चित किया जाय । इसके अलावा क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो कोटा अब तक अपूर्ण है उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का जो कोटा है उसको पूरा करना सरकार का एक धर्म है और सरकार कोटा पूरा करना चाहती है । कहीं-कहीं पर ऐसा होता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं । कभी-कभी नियुक्तियों पर बैन लग जाता है जिससे इनका कोटा पूरा करने में विलंब होता है । आगामी समय में, जहां पर इनका कोटा पूरा नहीं है उसको पूरा किया जायगा ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, 12 बज गये हैं । सरदार जी को क्या तंग कर रहे हैं यह लोग ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने दो मुद्दे उठाये थे । एक तो दैनिक वेतन पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनमें कोटा पूरा करने के बारे में ध्यान नहीं रखा जाता है । दूसरा प्रश्न मेरा यह था, माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि कोटा अपूर्ण रहा तो कितने समय के अन्दर उसको पूरा करा देंगे ? मान्यवर, दोनों प्रश्नों का उत्तर साफ साफ दिलवा दें ।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा है कि शासन की नीति है कि यह कार्य जल्द पूरा किया जाय । शासन की नीति के आधार पर हम इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा पहला मुद्दा यह था कि दैनिक वेतन पर लोगों को रख लिया जाता है और फिर नियमित कर दिया जाता है और इसमें कोटे का ध्यान नहीं दिया जाता है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की भर्तियां की जायेंगी, उनमें भी कोटे को सुरक्षित कर लिया जायगा ?

श्री अजीत सिंह सेठी–

ठीक है, अगर डेली बेजेज में हमें किसी कर्मचारी को रखने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि नस्थी 'क' ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय आपका नाम पुकारा गया था, उस समय आप खड़े नहीं हुए थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ था, लेकिन सदन के अन्दर व्यवधान था, इसलिए आपने मेरे प्रश्न को नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपका प्रश्न ले लूंगा ।

**जनपद गाजियाबाद की नगरपालिका के विकास हेतु सरकारी धन की घोषणा**

*19–श्री कृष्ण कुमार शर्मा (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री ने सन् 1986 में गाजियाबाद की जनसभा में पानी, बिजली एवं सड़कों की व्यवस्था हेतु प्रश्नकर्ता की मांग पर एक करोड़ रुपया गाजियाबाद नगरपालिका या विकास प्राधिकरण को देने की घोषणा की थी, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ? क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त राशि जनहित में कब तक भेजी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां ।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 1986 में गाजियाबाद शहर की सड़क, सीवर की निकासी हेतु एक करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गयी थी । उक्त घोषणा के परिपेक्ष्य में वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत नगरपालिका, गाजियाबाद को वर्ष 1986-87 में 40 लाख रुपए विशेष सड़क अनुदान के रूप में तथा 4 लाख 15 हजार रुपए की धन-राशि सीवर व्यवस्था हेतु स्वीकृत की जा चुकी है ।

**प्रदेश में साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम**

*20–श्री हर्ष वर्धन (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में साक्षरता का प्रतिशत क्या है ? साक्षरता का यह प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में अत्यन्त कम होने के कारण साक्षरता को बढ़ाने निमित्त सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 27.16 है ।

सामान्य विद्यालयों के अतिरिक्त प्रदेश में साक्षरता को बढ़ाने के लिए सामयिक संसाधनों से 300-300 केन्द्रों की 93 प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं संचालित हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक केन्द्र पर 30 निरक्षर व्यक्तियों (पुरुष/स्त्री) को साक्षर बनाया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान की सहायता से स्वैच्छिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं। साथ ही "एक पढ़ाये एक योजना" के अन्तर्गत साक्षरता किट निःशुल्क उपलब्ध कराकर निरक्षर पुरुषों एवं महिलाओं को साक्षर बनाए जाने की योजना भी संचालित की जा रही है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से 9 से 14 वय वर्ग के निरक्षर बालकों को भी साक्षर बनाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को और गतिशील बनाने के उद्देश्य से राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन भी कर दिया गया है।

## अतारांकित प्रश्न

### नगर क्षेत्र के प्राइमरी अध्यापकों की वेतन असंगति को दूर करने के संबंध में श्री भगौती सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र

1—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र के प्राइमरी अध्यापकों को उनके कनिष्ठ अध्यापकों से कम वेतन मिलने संबंधी लखनऊ नगर क्षेत्र के विधायक श्री भगवती सिंह के पत्र के साथ कोई प्रार्थना पत्र माह दिसम्बर, 1987 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उनके वेतनमानों में हुई असमानता को कब तक दूर कर देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

### जिला बाराबंकी बेसिक शिक्षा अधिकारी, द्वारा शासनादेश के विपरीत अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

2—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने शासनादेश में दिए गए निर्देशों के विपरीत कार्यवाही कर कुछ मनचाहे अध्यापकों (सी0 बेसिक) को अन्ट्रेन्ड सेवा अवधि को जोड़कर सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत कर लिया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जांच कराई जा रही है। यदि जांच में अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जांच पूर्ण होने के तुरन्त बाद।

9183

**जिला हरदोई विकास खण्ड कोथावां, भरावन, सण्डीला के बेसिक स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों में छात्रों के हिसाब से अध्यापकों की संख्या**

3—श्री राम पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के बेसिक स्कूलों जूनियर हाई स्कूलों में बच्चों के हिसाब से कम से कम कितने अध्यापकों का प्राविधान होना चाहिए ? हरदोई जिले के विकास खण्ड कोथावां, भरावन, सण्डीला में ऐसे कितने स्कूल हैं जहां इस प्राविधान के अनुसार अध्यापक कम हैं और क्यों ? विकास खण्ड भरावन में ऐसे कोन स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं और क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राइमरी पाठशाला में 40 छात्रों पर एक अध्यापक (1:40) और जूनियर हाई स्कूलों में सामान्यतः प्रधान अध्यापक सहित 5 अध्यापक का प्राविधान है ।

उपर्युक्त मानक के अनुसार विकास खण्डवार अध्यापकों की कमी की स्थिति निम्नवत् है :—

| क्रम सं0 ब्लाक | प्राइमरी स्तर | जूनियर हाई स्कूल स्तर |
|---|---|---|
| 1—कोथावां | 36 | 6 |
| 2—भरावन | 38 | 10 |
| 3—सण्डीला | 34 | 7 |
| योग | 108 | 23 |

कमी की पूर्ति समायोजन द्वारा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

विकास खण्ड भरावन में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**ग्राम अहमदपुर पावन, परगना चायल, जनपद इलाहाबाद से मन्दर तक की सड़क को पक्की कराने विषयक कार्य की जानकारी**

4—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अहमदपुर पावन, परगना चायल, जनपद इलाहाबाद के मन्दर तक की सड़क पक्की करने की कार्यवाही कब प्रारम्भ की गयी ? क्या उक्त सड़क पर डामर पेंटिंग का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम अहमदपुर पावन, परगना चायल, जनपद इलाहाबाद से मन्दर तक की सड़क पक्की कराने (डामर पेन्टिंग का कार्य) की कोई योजना ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के लिए स्वीकृत नहीं है ।

**श्री आत्माराम, भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा के विरुद्ध की गयी कार्यवाही**

5—श्री विष्णु देव—

विधान सभा के अता0 प्र0 सं0 161 दिनांक 7-2-83 के उत्तरानुसार क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा श्री आत्माराम के विरुद्ध संयुक्त निदेशक (पशुधन) रामगंगा कमाण्ड से जांच पूर्ण करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सहित कृत कार्यवाही से मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

संयुक्त निदेशक (पशुधन) द्वारा जांच पूर्ण कर ली गयी है। जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

**जिला देवरिया के जिला पंचायत अधिकारी द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग**

6—श्रीमती शारदा देवी—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के जिला पंचायत अधिकारी ने माह जून, 86 से 14 सितम्बर, 86 तक कितनी धनराशि शासन से प्राप्त की थी तथा उसमें से किस-किस मद पर कितना धन अब तक खर्च किया है? यह धनराशि खर्च नहीं की गई, तो इसका क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया ने जून, 1986 से 14 सितम्बर, 1986 तक शासन से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की अपितु निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या : 1 ख/शा/171/86-61/86 दिनांक 18 सितम्बर, 1986 तथा पत्र संख्या : 1 ख/शा/168/86-1 ख/60/86 दिनांक 15 सितम्बर, 1986 द्वारा क्रमशः हैण्ड पम्पों की मरम्मत/रखरखाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भवनों की मरम्मत/रखरखाव हेतु क्रमशः 1,77,255 रु0 तथा 1023,903 रु0 के समक्ष क्रमशः 1,24,829 रु0 तथा 2,10,907 रुपये का उपयोग कर लिया गया है। शेष धनराशि के उपयोग हेतु जल-निगम तथा विकास खण्डों को निर्देशित कर दिया गया है।

**गोरखा टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में निर्माण केन्द्र भवन का ठेका देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

7—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री को विदित है कि टिहरी गढ़वाल जनपद के विकास खण्ड भिलंगना में निर्माण केन्द्र भवन तल स्तर से अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो हजार रुपया ठेकेदार को अदा कर दिये जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या यह बात सही है कि उक्त भवन का निर्माण क्षेत्र विकास समिति का सदस्य करवा रहा है? यदि हां, तो जिस अधिकारी ने उक्त ठेका दिया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,00,000.00 रुपये (एक लाख रुपया) की लागत से सामुदायिक विकास केन्द्र वर्ष 1986-87 में स्वीकृत किया गया। इस भवन पर कार्य फरवरी 1987 में प्रारम्भ किया गया। पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण की लागत में वृद्धि के कारण भवन पूर्ण नहीं किया जा सका था। अब मानक लागत संशोधित की जा चुकी है। और अपूर्ण केन्द्र को पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

प्रश्नगत भवन पर कार्य ठेके पर नहीं कराया गया है, अपितु मस्टर रोलों के आधार पर यह कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में किसी भी ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

जिला परिषद् इटावा द्वारा कार की खरीद एवं उसके अनुरक्षण पर व्यय धनराशि

8–श्री धनराज यादव, श्री किशन लाल दिलेर तथा श्री महाराज सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, इटावा की कार सं0 यू0 एच0 के0 2525 कब खरीदी गई और इसकी खरीद से पूर्व शासन एवं आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस कार का प्रयोग क्या परिषदीय लाभ के कार्यों में किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस कार की क्रय तिथि से एक वर्ष में इस पर कितना व्यय इसके अनुरक्षण एवं पी0 ओ0 एल0 में खर्च हुआ जिसका भुगतान किस फर्म को किस कार्यालय से किया गया और क्या अनुरक्षण व पी0 ओ0 एल0 व्यय न्यायसंगत है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन इस विषय पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद् इटावा की कार सं0–यू0 एच0 के0 2525 परिषद् द्वारा दिनांक 17-6-1986 को शासनादेश स0 31क/33-1-194/74 दिनांक 28 जनवरी, 1975 में प्रदत्त निर्देशों/शर्तों के अधीन खरीदी गयी थी। उक्त शासनादेश के तहत कार क्रय करने हेतु शासन एवं आयुक्त से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कार का प्रयोग परिषदीय कार्यों के लिए किया जाता है। इस कार पर एक वर्ष में अनुरक्षण पर रु0 19,229.65 तथा पी0 ओ0 एल0 पर रु0 25,644.29 व्यय हुआ। उक्त मद पर होने वाले व्यय का भुगतान जिन फर्मों को किया गया है उनका विवरण संलग्न है। प्रश्नगत धनराशि का व्यय परिषदीय हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अतएव इस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 142 पर)

**मुफीद-ए-आम इण्टर आगरा में तैनात श्री पंकज कुमार को दो वेतन दिये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग**

9—श्री आसान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 के कुलश्रेष्ठ, अध्यापक, मुफीद-ए-आम इण्टर कालेज, आगरा, एल0 टी0 ग्रेड से सी0 टी0 ग्रेड में उप-निदेशक, शिक्षा के आदेश से प्रत्यावर्तित किये गये थे और उनके स्थान पर पूर्व में अस्थाई रूप से तैनात, श्री पंकज बाबू, जो सी0 टी0 ग्रेड में हैं की भी सेवायें समाप्त हो जानी चाहिए थीं किन्तु इनकी अनधिकृत रूप से जारी रखकर वेतन दिया जा रहा है ? इस प्रकार एक पद के विरुद्ध दो वेतन आहरित करने में गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरते जाने का क्या औचित्य है और इस अनियमितताओं के कारण दोषी, आहरण-वितरण अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी हां ।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9-7-86 के अनुसार उन्हें सेवा में बनाये रखकर वेतन दिया जा रहा है ।

वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए एल0 टी0 वेतनक्रम का एक पद रिक्त रखा गया था, अतः श्री राजकुमार कुलश्रेष्ठ तथा पंकज बाबू दोनों को सी0 टी0 ग्रेड में वेतन देने से शासन को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई ।

अब मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-5-88 के अनुसार श्री कुलश्रेष्ठ को एल0 टी0 वेतनक्रम तथा पंकज बाबू को सी0 टी0 वेतनक्रम में वेतन दिया जा रहा है । क्योंकि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**मुफीदे-ए-आम इण्टर कालेज, आगरा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वर्गीय प्रेम बहादुर के ज्येष्ठ पुत्र की नियुक्ति**

10—श्री आसान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुफीदे-ए-आम इण्टर कालेज, आगरा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री प्रेम बहादुर का निधन उनके गृह देश (नैपाल) में हुआ तत्पश्चात उसके कथित वारिस, श्री डियूमिन को जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा द्वारा अनधिकृत रूप से बिना वारिस प्रमाण-पत्र व मृत प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) प्रस्तुत किये ही सेवायोजित कर वेतन दिया जा रहा है जब कि मृतक की पत्नियों की स्थिति व संख्या विवादास्पद है ?। क्या मंत्री जी मृतक की व श्री डियूमिन की व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी नहीं ।

बड़ा चौर गांव पंचायत कार्यालय द्वारा जारी किये प्रमाण - पत्रों के आधार पर श्री डियूमिन, जो कि स्वर्गीय प्रेम बहादुर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जिलाधिकारी फैजाबाद को प्रश्नकर्ता का 20 सूत्रीय मांग का ज्ञापन तथा ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित मांगें**

11—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन और सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिलास्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत ज्ञापन की निम्न मांगें ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित प्रतीत होती हैं । इनके सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है :—

**बिन्दु सं0—5**

"ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फैजाबाद के अधिशासी अभियंता की शराबखोरी और कमीशन बाजी को तथा मरम्मत के लिए रुपया उपलब्ध होने के बावजूद भीटी-उमरावां मार्ग का काम पूरा न हो पाने के कारणों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाये और दोषी लोगों को दण्डित किया जाये ।"

जिलाधिकारी द्वारा की गई जांच से अधिशासी अभियंता, फैजाबाद, प्रखण्ड के आचरण के संबंध में की गयी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई । भीटी-उमरांवा मार्ग का कार्य संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं हो सका था ।

**बिन्दु सं0—6**

"कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित सभी स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों की टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जाये ।"

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नगत निर्माणाधीन स्कूल भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और निर्माण पूर्ण होने के पूर्व संज्ञान में आई त्रुटियों का निराकरण किया जा चुका है ।

**बिन्दु सं0—8**

"कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में निर्मित सभी हरिजन आवासों और इन्दिरा आवासों की जांच कराकर उनके निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के दोषी लोगों को दण्डित किया जाये ।"

हरिजन आवासों तथा इन्दिरा आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को शीघ्र जांच पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं ।

**जिला आजमगढ़ की रानीपुर ब्लाक की शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण एवं जी0 पी0 फण्ड से सम्बन्धित पास बुकों का दिया जाना**

12—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1981 तक आजमगढ़ जिले के रानीपुर ब्लाक के बेसिक कन्या पाठशालाओं की कौन-कौन सी शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण वाराणसी जनपद को हुआ है ? उन शिक्षिकाओं में से किसके-किसके वेतन से कटे हुए फण्ड का एकाउन्ट अब तक वाराणसी जनपद को स्थानान्तरित नहीं किया गया है ? इतने विलम्ब का क्या कारण है तथा क्या उक्त शिक्षिकाओं को उनके फण्ड के एकाउन्ट से सम्बन्धित पास बुक दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

केवल एक सहायक अध्यापिका श्रीमती सावित्री राय का स्थानान्तरण जनपद आजमगढ़ के रानीपुर ब्लाक से वाराणसी जनपद में हुआ है जिनके फण्ड का एकाउन्ट अभी स्थानान्तरित नहीं हुआ है ।

विलम्ब का कारण अभिलेख पूर्ण न होना है जिन्हें शीघ्र पूर्ण कराकर पासबुक जारी करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

**अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड, बस्ती द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत मार्गों का निर्माण**

13—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

प्रथम सत्र 86 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समिति में कौन-कौन से सदस्य थे और कब- कब किन-किन तारीखों में समिति के सदस्य जांच करने सड़कों पर गये ? क्या संयुक्त रिपोर्ट जांच के उपरांत प्रेषित की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गठित समिति में स्वयं मा0 विधायक श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री वी0 पी0 गुप्ता, सहायक अभियंता (द्वितीय) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सदस्य थे ।

माननीय विधायक श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के कहने पर श्री वी0 पी0 गुप्ता सहायक अभियंता दिनांक 27-10-85 को जाय करने सड़कों पर गये ।

उक्त जांच रिपोर्ट श्री वी0 पी0 गुप्ता सहायक अभियंता द्वारा पूर्ण कर प्रस्तुत की गई जिस पर मा0 विधायक ने अपनी सहमति व्यक्त की है ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार दैवी आपदा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग कार्य कराया गया तथा उसका व्यय भी अलग-अलग किया गया है ।

**जिला बस्ती के बांसी, मिठवल और खेसरहा विकास खण्डों में कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा**

14—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी, मिठवल और खेसरहा विकास खण्डों में वर्ष 85-87 में किन लोगों को फ्री बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ? इनमें से कितनी बोरिंग काम करने लायक हो गई है तथा कितनी अभी काम करने की स्थिति में नहीं है ? काम न करने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1985-86 में विकास खण्ड बांसी, मिठवल एवं खेसरहा में क्रमशः 51, 84 एवं 65 लघु/सीमान्त कृषकों तथा वर्ष 1986-87 में विकास खण्ड बांसी, मिठवल एवं खेसरहा में क्रमशः 63, 62 एवं 88 लघु/सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान की गई । वर्तमान सूचना के आधार पर सभी बोरिंग कार्य करने योग्य हैं तथा कोई बोरिंग असफल नहीं है ।

**जिला उन्नाव के असोहा विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट जिलास्तर के अधिकारियों को देना एवं फर्जी मस्टर रोल पर मजदूरी का कथित भुगतान**

15—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा विकास खण्ड के सूखा राहत कार्यों का असोहा विकास खण्ड के बी0 डी0 ओ0 असोहा ने कितनी बार निरीक्षण किया है तथा किन-किन कार्यों का निरीक्षण किया है और क्या निरीक्षण रिपोर्ट जिले के संबंधित अधिकारियों को भेजी है ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह भी सच है कि फर्जी मस्टर रोल पर मजदूरी का फर्जी भुगतान दिखाया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूखा राहत योजना के अंतर्गत विकास खण्ड असोहा में चल रहे कार्यों का निरीक्षण खण्ड विकास अधिकारी असोहा द्वारा समय-समय पर किया गया है । निरीक्षण के उपरांत आवश्यक निर्देश संबंधित कार्यकर्ताओं को प्रदान किए गये हैं । चूंकि कार्यों के बारे में खण्ड विकास अधिकारी असोहा के अनुसार कोई मार्ग दर्शन या निर्देश जिला स्तर से अपेक्षित नहीं थे, अतः उनके द्वारा किये गये निरीक्षण की टीपें जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित नहीं की गयी । सम्प्रति फर्जी मस्टर-रोल या मजदूरी के फर्जी भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है ।

**जिला बस्ती के उप विद्यालय निरीक्षकों व सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकों के वेतन वृद्धि का मामला**

16—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों व सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकों व सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकों में

किसकी-किसकी वेतन वृद्धि कितने दिनों से नहीं लगायी गयी ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

केवल एक सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका कु0 मर्सी सैमसन की वार्षिक वेतन वृद्धि दक्षता रोक का स्तर होने के कारण दिनांक 1-9-85 से नहीं लगायी जा सकी है ।

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है । शिक्षा निदेशक को इस मामले का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

**जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जौनपुर के शासी निकाय द्वारा मार्ग की स्वीकृति की जानकारी**

17–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह तथा श्री राज बहादुर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काफी अर्से से उपेक्षित उक्त गांव के त्वरित विकास के लिए शासन ग्राम विकास अभिकरण को समुचित निर्देश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

किसी ग्राम विशेष के विकास हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देश देने की शासन की नीति नहीं है। स्थानीय प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में इस प्रकार के निर्णय अभिकरण के स्तर पर ही लिये जाते हैं। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जौनपुर के शासी निकाय की मई, 88 में होने वाली बैठक में रखा जाना था । प्रकरण में हुई प्रगति की सूचना प्राप्त की जा रही है।

**श्री राधे श्याम मिश्र, सहायक अध्यापक, जू0 हा0 स्कूल, रहेरा बाजार, गोण्डा का सेवा काल में देहान्त तथा उनके आश्रित पुत्र श्री सियाराम मिश्र की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

18–श्री राम विशुन आजाद–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राधे श्याम मिश्र, सहायक अध्यापक, जू0 हा0 स्कूल, रहेरा बाजार, गोण्डा, जिनका देहान्त सेवाकाल में ही हो गया था, के आश्रित पुत्र श्री सियाराम मिश्र, ग्राम–उपाध्यायपुर ग्रान्ट, पो0 देवरिया बाया मनकापुर, जनपद गोण्डा की नियुक्ति हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर एम0 एल0/2343/ई एम/87, दिनांक 9-7-87 विधान भवन, लखनऊ द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा लखनऊ को आवश्यक आदेश निर्गत किया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

मृतक शिक्षक के बड़े पुत्र श्री सीताराम मिश्र की नियुक्ति मृतकाश्रित कोटे में दिनांक 5-10-85 को की गयी है। अतः नियमानुसार पुनः दूसरे पुत्र को मृतकाश्रित कोटे में नियुक्ति का लाभ देना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मैनपुरी के ब्लाक किशनी के अन्तर्गत कटरा समान से रूपपुर जाने वाली सड़क का टेण्डर अस्वीकृत किया जाना**

19–श्री शिवबख्श सिंह राठौर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक किशनी, जनपद मैनपुरी के अंतर्गत कटरा समान से रूपपुर जाने वाली सड़क पर श्री बृजेन्द्र सिंह यादव का पत्थर की गिट्टी का टेण्डर स्वीकृत हो गया था? यदि हां, तो उस स्वीकृत टेण्डर को निरस्त करने का औचित्य क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विकास खण्ड किशनी जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत कटरा समान से रूपपुर सम्पर्क मार्ग पर पत्थर की गिट्टी की आपूर्ति हेतु श्री बृजेन्द्र सिंह यादव का कोई टेण्डर स्वीकृत नहीं किया गया था। श्री किशन कुमार गुप्ता का टेण्डर स्वीकृत हुआ था और उसे इस कारण निरस्त कर दिया गया था कि उस पर उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किये थे।

**अवकाश प्राप्त उपप्राचार्य राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज वाराणसी को प्रोवीजनल पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

20–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अवकाश प्राप्त उपप्राचार्य, राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी को प्रोवीजनल पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का पत्र संख्या पी0 आर0–6/दो/91744/98, दिनांक 13-5-1986 सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग को तथा श्री विक्रम चन्द्र, वरिष्ठ उप महालेखाकार, उत्तर प्रदेश का अर्द्ध शासकीय पत्रांक पी0 आर0-6/दो/91744/959, दि0 22-12-1986 डा0 जे0 सी0 पन्त, आयुक्त तथा सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जो श्री बी0 पी0 खण्डेलवाल, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पृष्ठांकित है तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार उत्तर प्रदेश का अर्द्ध शासकीय पत्रांक पी0 आर0-6/दो/97044/240, दि0 5-4-1986 श्री पी0 पी0 खण्डेलवाल, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को और अंतिम अर्द्ध शासकीय पत्रांक पी0 आर0-6/दो/91744/977, दि0 31-7-1987 डा0 जे0 सी0 पन्त, आयुक्त तथा सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हो गये हैं? यदि हां, तो चार वर्षों (1-8-1982 से 30-6-1986 तक) की प्रोवीजनल पेंशन महालेखाकार की स्वीकृति के बाद भी भुगतान में 22 माह के असाधारण विलम्ब का क्या कारण है और इस आर्थिक क्षति तथा उत्पीड़क विलम्ब

करने का कौन अधिकारी उत्तरदायी है? पेंशन जैसे महत्वपूर्ण विधिक कर्तव्य के प्रति अवज्ञापूर्ण रवैये तथा उपेक्षा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? सरकार महालेखाकार द्वारा स्वीकृत पेंशन के भुगतान कराने में कब तक सफल होगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

जी हां।

ये पत्र प्राप्त हुये।

कोषागार द्वारा बिल पारण में बार-बार आपत्ति करने तथा श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव के भुगतान प्राप्त करने के लिए उपस्थित न होने के कारण विलम्ब हुआ है।

कोई उत्पीड़न नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान की धनराशि का चेक प्राप्त हो चुका है और प्रधानाचार्य रा0 बे0 ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी द्वारा श्री श्रीवास्तव से भुगतान प्राप्त करने हेतु अनुरोध भी किया जा चुका है। जब भी श्री श्रीवास्तव भुगतान प्राप्त करने हेतु उपस्थित होंगे उन्हें चेक का पुनर्वीनीकरण करवाकर भुगतान कर दिया जायेगा।

**जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम रुद्रपुर में प्राइमरी पाठशाला तथा विकास खण्ड हिलौली में जू0 हा0 स्कूल की स्थापना**

21–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम रुद्रपुर में भवन सहित प्राइमरी पाठशाला तथा विकास खण्ड हिलौली के ग्राम पारा में भवन सहित जूनियर हाईस्कूल की स्थापना कब-कब हुई थी ? क्या इन विद्यालयों के भवन बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब और इन दोनों विद्यालयों में अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन भवनों के न बनने का उत्तरदायी कौन-कौन है और यह भवन अब कब तक बन जायेंगे ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1983-84 में विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम रुद्रपुर में भवन सहित प्राइमरी पाठशाला स्थापित हुयी थी । ग्राम पारा विकास क्षेत्र हिलौली में वर्ष 1980-81 में भवन सहित जूनियर हाई स्कूल खुला था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड बीघापुर के विद्यालय भवन हेतु धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है। जहां तक विकास क्षेत्र हिलौली के विद्यालय भवन के निर्माण का प्रश्न है इस कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष जनपदों की जिला योजना में प्राविधानिक धनराशि आवंटित की जाती है जिसका उपयोग जनपद स्तर पर गठित जिला शिक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जाता है । किस स्थान पर स्कूल भवन बनेगा इसका निर्णय जिला शिक्षा समिति ही लेती है।

**राष्ट्रीय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दौराला, जनपद मेरठ के सहायक अध्यापक श्री महेन्द्र पाल सिंह को प्रबन्ध कारिणी द्वारा निलम्बित किया जाना**

22—श्री अब्दुल वहीद कुरैशी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दौराला, जनपद मेरठ के सहायक अध्यापक श्री महेन्द्र पाल सिंह को प्रबन्ध कारणी द्वारा नाजायज तरीके से वर्ष 1972 से निलम्बित रखा गया है ? यदि हां, तो इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । श्री महेन्द्र पाल सिंह को आरोपों के कारण दिनांक 11-4-72 से निलम्बित किया गया था ।

श्री महेन्द्र पाल सिंह के पत्र दिनांक 17-7-82 के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

(1) दिनांक 5-8-82 के प्रकरण के संबंध में प्रबंधक से आख्या मांगी गई ।

(2) दिनांक 17-10-83 एवं 25-9-84 एवं 6-8-85 के पत्र द्वारा प्रबन्धक को आख्या भेजने हेतु स्मरण कराया गया ।

(3) दिनांक 10-2-86 के पत्र द्वारा श्री महेन्द्र पाल सिंह के प्रकरण की जांच हेतु निरीक्षक ने सह जिला विद्यालय निरीक्षण को आदेश दिया । जांच आख्या मार्च, 1986 में प्राप्त हो गई ।

(4) रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 23-4-86 द्वारा निरीक्षक ने श्री महेन्द्र पाल सिंह को दिनांक 28-4-86 को कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए ।

दिनांक 5-5-86 के पत्र द्वारा उन्हें दिनांक 9-5-86 को उपस्थित होने के आदेश दिये गये परन्तु श्री सिंह उपस्थित नहीं हुये ।

रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 26-5-86 द्वारा दिनांक 2-6-86 को उपस्थित होने के निर्देश पुनः दिये गये परन्तु श्री सिंह उपस्थित नहीं हुये और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**वर्ष 1988 की हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क का लिया जाना**

23—श्री राम बदन एडवोकेट—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संदर्भित विद्यालय के हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले सभी

छात्रों ने परीक्षा शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क दिया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो ऐसे कितने छात्र थे जिनसे परीक्षा शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क लिया गया है ? क्या उनकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भित विद्यालय के तीन छात्रों ने विलम्ब शुल्क जमा किया है क्योंकि इनके आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् कार्यालय में प्राप्त हुए थे ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद में सूची उपलब्ध नहीं है । विद्यालय से सूची प्राप्त करनी होगी ।

**जनपद ललितपुर के विकास खण्डबार के अन्तर्गत ग्राम ककड़ारी के तालाब के पानी को रोकने हेतु सरकारी धनराशि का आवंटन**

24–श्री राम सजीवन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर जिले के विकास खण्ड बार के अंतर्गत ग्राम-ककड़ारी के नौजवान सभा के अध्यक्ष श्री राज बहादुर सिंह व मंत्री सुख साहब सिंह आदि ने कुछ ही दिनों पूर्व अधिकारियों एवं जनता के नाम एक खुला पत्र जारी करके मांग की है कि उनके ग्राम ककड़ारी के तालाब के पानी को बांध तोड़कर निकाला जा रहा है जिससे गर्मी के दिनों में पानी का गंभीर संकट पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है ? ग्राम्य विकास अभिकरण ललितपुर ने तालाब के बांध पर मिट्टी डालने के लिए कितना धन आवंटित किया है ? क्या विगत 8 फरवरी को सूखा राहत संबंधी एक बैठक के दौरान किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की थी कि तालाब पर काम रुकवा दें क्योंकि तालाब में पानी भरा है और इसमें सरकारी धन को अनावश्यक तौर पर बरबाद किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? पानी को बहा देने की कार्यवाही रोकी गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, इस प्रकार की आशंका व्यक्त की गई थी ।

प्रश्नगत तालाब के बांध को ऊंचा करने एवं मरम्मत कार्य हेतु 153 लाख रु0 की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

प्रभावित किसानों एवं नौजवान सभा ककडारी द्वारा दिनांक 8-2-88 की बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष आपत्ति किये जाने पर जांचोपरांत तालाब से पानी निकालने तथा तालाब के बांध को ऊंचा करने का काम रोक दिया गया ।

**जनपद पिथौरागढ़ तहसील धारचूला में खिमलिंग ग्राम सभा का गठन तथा विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान**

25–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील धारचूला में तिब्बत से लगी सीमा पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार 1929 से

1972 तक खिमलिंग नामक ग्राम सभा लगातार बनी रही थी ? 1972 में इस ग्राम सभा को विघटित कर दूसरी ग्राम सभा में मिला दिया गया था जब कि खिमलिंग ग्राम सभा की जनसंख्या 175 से अधिक थी ? क्या सरकार आने वाले ग्राम सभा चुनावों से पूर्व सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के परपेक्ष्य में एक मात्र बौद्धमतावलम्बियों के इस ग्राम को, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 331/23 दिनांक 9-7-87 तथा 1017 दिनांक 6-1-88 द्वारा निदेशक पंचायत राज को प्रेषित संस्तुतियों के आधार पर शीघ्र ग्राम सभा बनाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो विगत तेरह वर्ष से इस ग्राम सभा के उचित लोकसांविधिक अधिकार व ग्राम स्तरीय विकास कार्य हेतु अनुदान न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद पिथौरागढ़ की स्थापना के उपरांत गांव पंचायतों के लिए सामान्य निर्वाचन 1962, 1972, 1982 तथा 1988 में खिमलिंग नाम से कोई ग्राम सभा नहीं थी। खिमलिंग ग्राम सभा का गठन दिनांक 28-9-88 को निदेशक पंचायत राज द्वारा किया गया है। पूर्व से ग्राम सभा न होने के कारण इस ग्राम सभाओं को प्राप्त होने वाला अनुदान अलग से प्राप्त नहीं हो सका।

**विकास खण्ड चम्पावत (पिथौरागढ़) के अन्तर्गत नरसिंह डांडा गुरौली मोटर मार्ग के निर्माण का कथित प्रस्ताव**

26—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि विकास खण्ड चम्पावत (पिथौरागढ़) के अंतर्गत नरसिंह डांडा गुरौली मोटर मार्ग के निर्माण को एतीकोरा शासनादेश सं0 43/28-5-57 सा0/82 दिनांक 7-7-82 द्वारा का नहीं था ? क्या क्षेत्र की जनता ने मोटर मार्ग को सघन वन क्षेत्र में न बनाकर, निर्धारित मार्ग को जोड़ते हुए बनाये जाने की मांग को लेकर, मार्ग के मूल संरेखण में परिवर्तन की मांग की थी और इस बाबत उपाध्यक्ष पर्वतीय विकास (द्वितीय) ने अपना पत्र दिनांक 11-3-83, सचिव पर्वतीय विकास को तथा पत्रांक 343/ए0 पी0 ई0 ई0 दिनांक 22-2-83 मंत्री पर्वतीय विकास को, निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री ने अपना पत्र दिनांक 23 फरवरी, 1983, सं0 सचिव पर्वतीय विकास को श्री नरेन्द्र सिंह विधायक पिथौरागढ़ ने अपना पत्र दिनांक 22-2-83 पर्वतीय विकास मंत्री को तथा श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, सांसद अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ ने अपना पत्रांक एम0 पी0 1981/83 दिनांक 18-1-83 पर्वतीय विकास मंत्री को लिखा था ? यदि हां, तो 1982 में स्वीकृत उक्त मार्ग का, मूल संरेखण में आवश्यक संशोधन के साथ, आज तक निर्माण कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब आरम्भ करा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हां

हां

वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू होने तथा वर्ष 1983 में शासन द्वारा कुछ स्वीकृति मोटर मार्गों के निर्माण न किये जाने के निर्णय के आधार पर इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ।

वर्तमान में इस मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**जनपद मथुरा के मांट, छाता, नौहझील व चौमुहा ब्लाकों में प्राइमरी पाठशालाओं की व्यवस्था**

27–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद के मांट, छाता, नौहझील व चौमुहा ब्लाकों के पंचायत स्तर के अनेकों गांवों में प्रा0 पाठशाला न होने के कारण छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो प्रत्येक ब्लाक में ऐसी कितनी गांव पंचायतों में प्रा0 स्कूल नहीं है ? क्या सरकार जिन गांवों में जनता ने स्वयं प्रा0 पाठशालाओं की इमारत बना रखी है, पढ़ने को छात्र भी है ऐसे स्कूलों में स्थायी रूप से अध्यापकों की नियुक्ति कर सहयोग करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

ब्लाक छाता–6

ब्लाक नौहझील–7

ब्लाक मांट–9

ब्लाक चौमुहा–2

जिला योजना में धन की व्यवस्था होने पर ही जिला बेसिक शिक्षा समिति के निर्णय के अनुसार नये स्कूल खोले जाते हैं तथा उनमें अध्यापकों आदि की व्यवस्था की जाती है ।

28–डा0 दिनेश जौहरी–

[1ले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 27 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

**श्री बुनियाद अली प्रधान अध्यापक ग्राम चन्दियाना जनपद बुलन्दशहर के फण्ड तथा पेंशन एरियर का भुगतान**

29–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बुनियाद अली, प्रधान अध्यापक ग्राम चन्दियाना जनपद बुलन्दशहर 1980 में सेवा निवृत्त हो गए थे ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अभी तक उन्हें पेंशन एरियर, फण्ड आदि प्राप्त नहीं हुआ है ? क्या विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए राहत दिलाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, इनके फण्ड तथा पेंशन एरियर का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के ग्राम डुमरी खास में सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण में घटिया स्तर की प्रायुक्त सामग्री के संबंध में अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

30–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सरदार नगर जिला गोरखपुर के ग्राम डुमरी खास में लगभग 1 लाख रुपये की लागत से वर्ष 1985-86 में सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा था? क्या उक्त निर्माण कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं घटिया स्तर की निर्माण सामग्री क्रय की गयी थी जिसके कारण भवन निर्माण कार्य पूरा होने के पहले ही बीम व छत सहित गिर गया? क्या उक्त मामले की शिकायतें उत्तर प्रदेश शासन विकास आयुक्त तथा जिला प्रशासन गोरखपुर को क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी थी? क्या शिकायतों के प्राप्त होने के पश्चात् मात्र कागजी कोरम पूरा करने के उद्देश्य से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पंचायत सेक्रेटरी) को सी0 डी0 ओ0 गोरखपुर द्वारा निलम्बित करा दिया गया और खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि उक्त मामले में खण्ड विकास अधिकारी घटिया निर्माण सामग्री क्रय करने व अपने पर्यवेक्षीय दायित्वों को न निभाने के लिये उक्त मामले में पूर्णतया जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो उक्त वी0 डी0 ओ0 के खिलाफ अभी तक प्रशासनिक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विकास खण्ड सरदार नगर गोरखपुर में वर्ष 1986-87 में 1 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण कार्य डुमरी खास में कराया जा रहा था । शिकायतें प्राप्त होने पर जिला स्तर पर जांच की गयी । जांच में पाया गया कि सामग्री अवमानक नहीं थी । प्रश्नगत पंचायत सेक्रेटरी द्वारा सीमेंट के भंडार में असावधानी, सही अनुपात में मसाले का मिश्रण न कराने एवं निर्देशों के बावजूद तकनीकी परामर्श प्राप्त न करने के कारण भवन क्षतिग्रस्त हुआ । अतः पंचायत अधिकारी को निलम्बित किया गया । संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध भी पर्यवेक्षीय दायित्वों को न निभाने के लिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद अल्मोड़ा में सिरखेत नामक स्थान पर अशासकीय सहायक प्राप्त विद्यालय में अध्यापकों के पदों का सृजन**

31–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में सिरखेत नामक स्थान पर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय को 1983 में हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग की अतिरिक्त मान्यता तथा 1984 में इण्टर साहित्यक वर्ग की नवीन मान्यता सरकार द्वारा दी गयी थी? यदि हां, तो विद्यालय में छात्र अध्यापकों के बीच मानक अनुपातों के अनुसार तथा विषय और कक्षाओं के अनुसार कुल कितने पद सृजित होने चाहिए थे ? उनमें से कितने पदों का सृजन प्रकरण सरकार के विचाराधीन कब से है ? कब तक इन पदों का सृजन कर नियुक्तियां कर ली जायेंगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

विद्यालय में निम्न पद सृजित होने चाहिए थे :—

| | |
|---|---|
| प्रधानाचार्य | एक |
| प्रवक्ता | चार |
| सहायक अध्यापक (एल0 टी0) | दो |
| लैब डिटरर | एक |

वर्ष 1985 से आयोग स्तर पर वित्तव्ययता के कारण पद सृजन पर रोक लगी है ।

अतः पदों का सृजन संभव नहीं हो पाया है ।

**जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर में हरिजन पेयजल कूपों के निर्माण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

32—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड अकबरपुर, फैजाबाद में वर्ष 1982-83 में हरिजन पेयजल कूपों के लिये जिनमें पेय जलरूप ग्राम दुर्गन, मेवापुर, [illegible] ग्रामों [illegible] और उनमें से अब तक कितने का निर्माण कार्य अपूर्ण है [illegible] निर्माण कूपों को समय से निर्मित न किये जाने का उत्तरदायित्व किसी है और उन पर स्वीकृत धनराशि का आहरण कब-कब किसने किया है ? उसके विरुद्ध क्या [illegible] कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय—

वर्ष 1982-83 में विकास खण्ड अकबरपुर फैजाबाद में 30 हरिजन पेयजल कूप स्वीकृत थे ।

उक्त 30 कूपों में से 17 कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण एवं संतोषजनक है । 13 कूप अभी अपूर्ण हैं ।

निर्माण कार्य में [illegible] के लिए जिम्मेदार कर्मचारी दोषी पाये गये —

| नाम कर्मचारी | पद |
|---|---|
| 1—श्री [illegible] | ग्रा0प्र0अ0 |
| 2—श्री [illegible] | ग्रा0वि0अ0 (ई0ओ0) |
| 3—श्री देवी प्रसाद सिंह | ग्रा0वि0अ0 |
| 4—श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव | ग्रा0वि0अ0 |
| 5—श्री वीरेन्द्र कुमार | स0वि0अ0पं0 |
| 6—श्री राम कुमार तिवारी | ग्रा0पं0अ0 |
| 7—श्री राम प्रसाद मिश्र | ग्रा0वि0अ0 |

अविलम्ब सत्यमेव जयते

इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नवत् कार्यवाही की गयी:-

1--श्री सुनील कुमार यादव, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

2--श्री जगदीश पाल शुक्ल, ग्राम्य पंचायत अधिकारी को इन निर्माण कार्यों को पूर्ण न कराने के कारण निलम्बित किया गया था । इसके पश्चात् श्री शुक्ल को चेतावनी देते हुए पदस्थ किया गया ।

3--अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को भी कार्य पूर्ण कराने हेतु समय-समय पर निर्देश तथा चेतावनियां दी गयीं ।

अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

**जनपद मैनपुरी में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत की गई बोरिंगों की संख्या तथा मजदूरी का भुगतान**

33--श्री बलवीर सिंह यादव--

क्या प्रभारी विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में विकास क्षेत्रवार 86-87 तथा 87-88 में फ्री बोरिंग के अन्तर्गत दोनों साल में अलग-अलग कितने-कितने बोरिंग हुये ? उक्त बोरिंगों में कितना पाइप लगा है और काश्तकारों को मजदूरी आदि का कितना धन भुगतान किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद मैनपुरी में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत वर्ष 86-87 में 1405 बोरिंग तथा वर्ष 87-88 में 1492 बोरिंग पूर्ण की गई हैं । उक्त बोरिंगों पर लगे पाइप तथा मजदूरी आदि के विकास खण्डवार विवरण संलग्न हैं ।

(देखिए तारांकित प्रश्न सं. 33 आगे पृष्ठ 144-145 पर)

**जनपद निर्मल तहसील धारचूला के अन्तर्गत ग्राम नाबी व ग्राम कूटी के बीच ननफा में विश्राम गृह के निर्माण हेतु श्री कबीर सिंह एरेरी, सदस्य विधान सभा का पत्र**

34--श्री कबीर सिंह एरेरी--

क्या मंत्री जी प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1263/86 दिनांक 29-8-86 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत ग्राम नाबी व ग्राम कूटी के बीच ननफा नामक स्थान पर एक विश्राम गृह मोलयोग बनाये जाने की आवश्यकता संबंधी पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस विषय पर दिनांक 11 जून, 87 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां,

भूमि की अनुपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विश्राम गृह का निर्माण नहीं कराया जा सका ।

**जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामों की पटाई की योजना**

35–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामों की पटाई की योजना शासन ने स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों के कितने मकानों की घर पटाई की योजना है और उस पर कितना धन व्यय होने जा रहा है ? क्या मंत्री जी घर पटाई वाले ग्रामों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के कुल 5 ग्रामों के सभी घरों की पटाई हेतु योजना है जिस पर 14.43 लाख रुपये स्वीकृत है।

**सम्बन्धित ग्राम निम्नवत हैं :–**

(1) धर्मपुर
(2) कछिला नारायनपुर
(3) सिसवां
(4) बखरिया
(5) नुरुल्लापुर

36–श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

[करण सं0-26(1) के अन्तर्गत उत्तरित होने के कारण निरस्त]

**साधन सहकारी समिति बसडीला पाण्डे जिला देवरिया से सम्बन्धित पूर्व सचिवों द्वारा किये गये गोल माल के सम्बन्ध में कार्यवाही**

37–श्री विष्णु देव–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि साधन सहकारी समिति बसडीला पाण्डे जिला-देवरिया से सम्बन्धित पूर्व सचिवों द्वारा किये गये गोल माल के कारण क्षेत्र के कई गांव के सम्बन्धित कृषकों का अन्तिम बकाया स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सम्बन्धित अमीन (श्री रामानन्द यादव) को वसूली हेतु दिये गये रजिस्टर में सत्य-असत्य दो प्रकार की धनराशियां अंकित हैं और वसूली हेतु दिये गये विभिन्न नोटिसों की धनराशियों में तारतम्यता नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ? क्या मंत्री जी जिम्मेदार कर्मचारियों को दण्डित करके कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–

जी हां। भूतपूर्व सचिव श्री देव नारायन राय द्वारा अभिलेख चार्ज में न देने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। पुराने बर्किंग स्टेटमेन्ट व बैंक के अभिलेखों के आधार पर सदस्यों पर लगे ऋण की लिस्ट तैयार की गयी थी। वर्तमान में समस्त ग्राम सभाओं के ऋण खातें अधिगृहित कर लिए गये हैं। अतः स्थिति स्पष्ट हो गयी है।

**जिम्मेदार कर्मचारी श्री देव नारायन राय सचिव को निलम्बित कर दिया गया है।**

**जनपद बलिया के विभिन्न नगरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि**

38—श्री शारदा नन्द अन्चल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के नगर बलिया, नगर रसड़ा, नगर बिल्थरा रोड, नगर सिकन्दरपुर में आवासीय-सुविधा, मार्ग सुविधा, सीवर सुविधा, नाली सुविधा, जल-कल सुविधा के लिए नगर प्रशासनों द्वारा वर्ष 1985-86, 1986-87 में कितने-कितने धन की मांग की गई है तथा किन-किन मदों पर कितना-कितना धन शासन ने दिया है तथा कितना-कितना खर्च कर दिया गया है ? क्या सरकार ने नगर विकास हेतु मांग के अनुसार धन दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूची संलग्न है ।

शासन द्वारा धन की उपलब्धता के आधार पर धनराशियों की स्वीकृतियां दी गयी है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 146-147 पर)

**जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी के ग्राम सभा नहरी के मजार दिवली के श्री भइयादीन हरिजन से फर्जी ऋण वसूली के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा का पत्र**

39—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्न कर्ता का पत्र सं0 240 दिनांक 14 जुलाई, 1987 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम सभा नहरी के मजार दिवली के श्री भइयादीन हरिजन के संलग्न पत्र के साथ सहकारी समिति नहरी द्वारा फर्जी ऋण वसूलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री समरपाल सिंह—

प्रश्नकर्ता का पत्र तत्कालीन सहकारिता मंत्री जी को प्राप्त हुआ था और उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास बैंक को भेज दिया गया था । भूमि विकास बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

40—श्री धनराज यादव—

[करण सं0-26(1) के अन्तर्गत उत्तारित होने के कारण निरस्त]

**जनपद बांदा के तहसील नरैनी के ग्राम पुंगरी के श्री दयाराम हरिजन के संलग्न पत्र के साथ सहकारी समिति शाखा नहरी द्वारा फर्जी कर्ज के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

41—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-8-87 का पत्र संख्या घ, 02091 बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम बंजारा (पुंगरी) के श्री दयाराम हरिजन के संलग्न पत्र के साथ सहकारी समिति शाखा नहरी द्वारा फर्जी कर्ज

के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या इसकी जांच मण्डल स्तरीय किसी अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समरपाल सिंह–

जी हां,

अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील प्रभारी नरौनी से जांच कराई गई । शिकायत निराधार पाई गई ।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों में यू0 पी0 जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प की विलम्ब से संचालित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

42–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प जिला बुलन्दशहर के निम्न ग्रामों में 1–अकबरपुर, 2–थोरा 3–मडूराई, 4–आंकलपुरखादर, 5–मयान, 6–साबोटा, 7–चटबुटरा, 8–[illegible]पुर, 9–चारोली-विकास खण्ड जेवर 12–ग्राम हुसैनपुर विकास खण्ड जहांगीराबाद, 13–बांच चंदियाना, नगलिया नित्यानन्दपुर शबकारपुर, विकास खण्ड उच्चागांव कितने माह से संचालित नहीं है ? शासन द्वारा मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद मरम्मत में विलम्ब करने वाले लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त हैण्डपम्प को तत्काल मरम्मत करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनगणना पुस्तिका में ग्राम बकापुर, थोरा, मडूराई, आंकलपुरखादर, मयान, साबोटा, चटबुटरा चारोली, हुसैनपुर, नगलिया नित्यानन्दपुर के नाम नहीं है । प्रश्न का आशय संभवतः ककरा, बकापुर, थोरा, मुण्डरा, आंकलपुर, [illegible] मुस्तफाबाद, भटपुरा, चारोली, हसनपुर नित्यानन्द नगली से है । तदनुसार प्रश्नगत 13 ग्रामों में 26 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं । इस समय सभी हैण्ड पम्प कार्य कर रहे हैं ।

किसी हैण्ड पम्प के खराब होने की जैसे ही सूचना मिलती है उसे तत्काशीघ्र मरम्मत कराकर ठीक कराया जाता है । इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है । प्रश्नगत सभी हैण्ड पम्प कार्य कर रहे हैं ।

साधन सहकारी समिति लि0 तेनूआ असनहरा, विकास क्षेत्र रामनगर बस्ती के सचिव द्वारा कतिपय व्यक्तियों के नाम ऋण दर्शाया जाय

43–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी लि0, तेनूआ असनहरा, विकास क्षेत्र रामनगर, बस्ती के सचिव ने ग्राम तुकौलिया उर्फ करमहिया के ऐसे कितने व्यक्तियों के नाम ऋण दर्शाया गया है जिनका अस्तित्व समिति क्षेत्र में नहीं है ? सचिव के विशेष आडिट रिपोर्ट 1984-85 में रू0 2700/- रुपए के अनियमितता व गबन का आरोप है जिस पर जिला सहायक निबंधक, बस्ती ने अपने

पत्रांक 416816 सह0 88-89 दिनांक 6 जनवरी, 83 को सहायक विकास अधिकारी रामनगर को जांच करके प्रथम सूचना निकटतम थाना में दर्ज कराने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो उसका पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

साधन सहकारी समिति लि0 तेनुआ असनहरा, विकास क्षेत्र रामनगर, बस्ती के सचिव ने ऐसे 12 व्यक्तियों के नाम ऋण दर्शाया है, जिनका अस्तित्व समिति क्षेत्र में नहीं है ।

विशेष आडिट रिपोर्ट 1984-85 में रुपया 26067.82 पैसा के अनियमितता व गबन के आरोप हैं ।

जिला सहायक निबन्धक, बस्ती ने अपने पत्रांक 4168/सह0/88-89 दिनांक 6-1-88 द्वारा सहायक विकास अधिकारी (सह0) रामनगर को जांच करके प्रथम सूचना रिपोर्ट निकटतम थाना में दर्ज कराने का आदेश दिया था जिसके अनुपालन में सहायक विकास अधिकारी सहकारिता रामनगर ने दिनांक 28-3-88 को सचिव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0न0 42/88 धारा 467, 468, 419, 420 तथा 409 के अन्तर्गत दर्ज करा दी है ।

**जनपद बांदा के ग्राम लोखरिया में हरिजन कालोनी के निर्माण में धांधली करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

44–श्री राम सजीवन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम लोखरिया में हरिजन कालोनी के निर्माण का काम अधूरा छोड़ दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि हरिजन कालोनी निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा निर्माण कार्य किसने कराया था ? कमजोर दीवालें खड़ी करके अधूरा काम करने के क्या कारण है ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

ग्राम लोखरिया में 20 आवासों की हरिजन कालोनी हेतु वर्ष 1983-84 में कुल रुपये 44,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी । उक्त आवासों का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी, चित्रकूट के निर्देशन में श्री शालिक राम तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी घूरेटनपुर ने लाभार्थियों के सहयोग से कराया है ।

आवासों के पूर्ण होने में विलम्ब का कारण लाभार्थियों द्वारा समय से छवाई न करना था । प्रयासोपरांत निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1987-88 में पूर्ण करा दिया गया है । अतः इस प्रकरण में जांच कराने एवं लोगों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बस्ती के खैर इण्टर कालेज में हुई अनियमितताओं का विवरण**

45—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खैर इण्टर कालेज, बस्ती का वर्ष 1987-88 में प्रश्नकर्ता की शिकायत पर स्पेशल आडिट हुआ है ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितायें प्रकाश में आई हैं ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

आडिट में पाई गई अनियमितताओं का सारांश संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 148-149 पर)

**क्षेत्राधिकारी विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता उ0 प्र0 वाराणसी की जांच के आधार पर दोषी पाये गये कर्मचारियों का स्थानान्तरण**

46—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्राधिकारी विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता उ0 प्र0 वाराणसी का पत्र संख्या सी-44 एस आई सी-वाराणसी/88 दिनांक 17 मार्च, 88 का जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 जनपद बलिया को प्राप्त हुआ है जिसमें विवेचना उपरान्त दोषी पाए गए कर्मचारियों को अन्यत्र जनपदों में स्थानान्तरित कर कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी कौन-कौन हैं और उनको अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरित कब किया गया और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री समर पाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**लेखा संगठन के अन्तर्गत रिक्त पदों पर लेखा परीक्षकों की पदोन्नति**

47—श्री काशी सिंह एरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बेसिक, माध्यमिक एवं डिग्री अनुभाग के लिए संचालित लेखा संगठन के अन्तर्गत अगस्त, 1975 से सृजित ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के रिक्त पदों पर शासनादेश सं0 6310/दिनांक अप्रैल 26, 1983 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षकों की पदोन्नतियां कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? लेखा परीक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित हो जाने के पश्चात् भी ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के रिक्त पदों पर शासनादेशानुसार पदोन्नतियां करने में विलम्ब का क्या औचित्य है ? इन पदों पर कब तक पदोन्नतियां कर दी जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उक्त शासनादेश के अनुसार सात पदों पर तदर्थ पदोन्नतियां की गई हैं । शेष के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

48–श्री काशी सिंह एरी–

[दिनांक 2-5-88 को अता0 प्र0 सं0 134 द्वारा उत्तरित]

**उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में आर्किड की विभिन्न प्रजातियों का विकास एवं संरक्षण**

49–श्री काशी सिंह एरी–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में आर्किड की अनेकों प्रजातियां जंगलों में मुक्त रूप से पाई जाती थी, परन्तु चीड़, यूक्लिप्टस आदि शुष्कभेद प्रजातियों के जंगल बनाये जाने के कारण आर्किड की प्रजातियों में व्यापक ह्रास आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अत्यन्त महत्वपूर्ण, अमूल्य प्रजातियों का सर्वेक्षण कराकर उनके संरक्षण और विकास हेतु कोई विशेष योजना तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी हां, आर्किड की विभिन्न प्रजातियां जंगलों में मुक्त रूप से या अन्य चौड़ी पत्ती की प्रजातियों के साथ आर्द्र वन क्षेत्रों में पायी जाती है।

जी नहीं । आर्किड के जोन में चीड़ या यूकेलिप्टस का रोपण नहीं किया गया है। प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद इलाहाबाद में भारतगंज टाउन एरिया के अन्तर्गत सार्वजनिक गली के अवरोधक को हटाकर पक्की नाली व सड़क का निर्माण**

50–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि जनपद इलाहाबाद में भारतगंज टाउन एरिया की अन्तर्गत सार्वजनिक गली के अवरोध को हटाकर गली में खड़न्जा बिछाकर दोनों तरफ की नाली को पक्की बनाने के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास अनुभाग–1 को सम्बोधित श्री महेश्वर पाण्डे, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 12-5-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित कतिपय नाली आदि के निर्माण के संबंध में धारा-133 सी आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है, इस लिये उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही संभव नहीं हो पाई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

**जनपद लखनऊ के हाता खुदा बख्श पुराना गनेशगंज के सफाई के संबंध में श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी स0 वि0 प0 के पत्र पर कार्यवाही**

52—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्, उ0 प्र0 का पत्र दिनांक 6 अक्टूबर, 87 हाता खुदा बख्श पुराना गनेशगंज, लखनऊ की सफाई आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र के समस्त बिन्दुओं की जांच करायी गई ? यदि हां, तो कब तक ? जांचोपरान्त समस्त कार्य शासन द्वारा करा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां

प्रश्नगत क्षेत्र में निम्नवत् कार्य कराये गये :—

(1) पार्क की रेलिंग कई बार ठीक कराई गई परन्तु वहां के निवासियों का सहयोग न मिलने के कारण असामाजिक तत्व उसे तोड़ देते हैं ।

(2) सड़क व गली की बृहत मरम्मत का कार्य वर्ष 1983-84 में कराया गया था । आवागमन में कोई कठिनाई नहीं है फिर भी महापालिका अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से समय-समय पर गैंग द्वारा सुधार कार्य कराती रहती है ।

(3) इस क्षेत्र में प्रतिदिन नियमित सफाई की व्यवस्था है ।

(4) इस क्षेत्र में निवास करने वाले निम्नवत् लोगों के गन्दगी करने तथा फुटपाठ आदि पर गोबर आदि एकत्र किये जाने हेतु चालान किये गये :—

(अ) श्री भोलू घोसी, दिनांक 5-9-85 22-7-86 तथा 22-10-86

(ब) श्री भूरे घोसी दिनांक 7-7-88, 20-8-88

(5) मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था है । जब कभी कोई मार्ग प्रकाश बिन्दु खराब हो जाता है तो महापालिका द्वारा उसे ठीक करा दिया जाता है।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती हेमकुंवर को भूखण्ड/आवास आवंटन के संबंध में श्री कलराज मिश्र के पत्र पर कार्यवाही**

53—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को श्री कलराज मिश्र, का पत्र संलग्नक सहित दिनांक 3-7-87 व 26-10-87 श्रीमती हेमकुंवर, ए-9 हाता खुदा बख्श पुराना गनेशगंज, लखनऊ भूखण्ड/आवास आवंटन के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1-3-88 तक क्या कार्यवाही की गई ? इतने समय तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

दिनांक 1-3-88 तक आवंटन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि श्रीमती हेम कुंवर का प्रार्थना-पत्र वर्ष 1987 में प्राप्त हुआ था, जबकि प्रश्नगत योजना में भूखण्ड हेतु लाटरी वर्ष 1986 के बाद नहीं डाली गयी ।

कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है ।

**कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0 निरालानगर लखनऊ के अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण**

54–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड, निरालानगर, लखनऊ के अन्तर्गत कार्य करने वाले अवर अभियन्ता एक ही सब स्टेशन पर काफी लम्बे अर्से से तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या उन अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री समर पाल सिंह–

दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0, निरालानगर, लखनऊ के अधीन 11/0.4 के0 वी0 के लगभग 1638 सब-स्टेशन (ट्रांसफार्मर्स) हैं जिन पर कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं किया जाता है अतः सब-स्टेशन से किसी भी अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण करने का प्रश्न ही नहीं होता है ।

**जनपद हरदोई बेसिक शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आदेश**

55–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई में बेसिक शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और इस समय कितने पद रिक्त पड़े हैं ? रिक्त पदों को भरने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

5469 पद स्वीकृत हैं । इस समय 170 पद रिक्त हैं ।

रिक्त पदों को शीघ्र भरने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

**जनपद बस्ती के बांसी तहसील के तिवारीपुर ग्राम में विकास खण्ड बांसी द्वारा पक्की पुलिया का निर्माण**

56–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत विकास खण्ड बांसी के ग्राम तिवारीपुर में दक्षिण तरफ से गांव में आने के लिए जो मुख्य रास्ता है उस रास्ते पर विकास खण्ड बांसी के माध्यम से कुछ दिन पूर्व पक्की पुलिया का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पुलिया को ग्राम के कुछ लोगों ने अपने नाजायज कब्जे के द्वारा पाट दिया है, जिसके कारण

पुलिया के नीचे से बहने वाले पानी का बहाव रुक गया है ? क्या यह सत्य है कि लगभग समूचे गांव का बरसाती पानी एक गड्ढे में जमा होकर उसी पुलिया के नीचे से गांव के बाहर जाता है और इस पुलिया के बन्द हो जाने से लगभग समूचा गांव वर्ष में 6 महीना जल-जमाव के कारण पानी से डूबा रहता है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, ग्राम सभा तिवारीपुर के प्रस्ताव पर वर्ष 1977-78 में विकास खण्ड बांसी द्वारा स्वावलम्बन मद से एक पुलिया का निर्माण कराया गया उक्त गांव के निवासी श्री काबुल पुत्र करमुल्लाह द्वारा पुलिया को पाटकर पानी के बहाव को अवरुद्ध कर दिया गया था जिससे केवल अधिक वर्षा होने पर ग्राम में जल जमाव हो जाता है श्री काबुल के विरुद्ध परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

**जिला परिषद् सीतापुर द्वारा न्याय पंचायतों में हड्डी व चमड़ा उठाने हेतु जारी लाइसेंस**

57—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् सीतापुर द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए न्याय पंचायतों में हड्डी तथा चमड़ा उठाने हेतु कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स दिया गया तथा उनमें अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ? क्या यह सही है कि न्याय पंचायत उमरी विकास खण्ड परसेडी में वर्ष 1987-88 के लिये श्री भगवती प्रसाद (अनुसूचित वर्ग) को लाईसेन्स दिया गया था परन्तु 88-89 में उनके लाइसेन्स का नवीनीकरण करने के बजाय गैर हरिजन को नया लाइसेन्स दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् सीतापुर द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए अब तक कुल 109 व्यक्तियों को पशु शव के निरस्तारण हेतु लाइसेंस निर्गत किये जा चुके हैं जिनमें से 33 लाइसेंस अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को दिये गये हैं ।

न्याय पंचायत उमरी विकास खण्ड परसेडी में वर्ष 1987-88 के लिए मृतक पशु के शव निस्तारण हेतु लाइसेंस श्री भगौती प्रसाद (अनुसूचित वर्ग) के व्यक्ति को दिया गया था जिसका वर्ष 1988-89 में नवीनीकरण करके उन्हें लाइसेंस दे दिया गया है ।

**बालाहार योजना में कार्यरत अधीक्षकों को उप विद्यालय निरीक्षकों के पदों पर समायोजन**

58—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बालाहार योजना में कार्यरत अधीक्षकों को प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों के पदों पर समायोजित किए जाने का निर्णय हाल में ही लिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा इस आशय की राजाज्ञा कब तक जारी हुई तथा समायोजन किए जाने की प्रगति क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

यह निर्णय जून 1988 में लिया गया और इस आशय की राजाज्ञा (शासकीय अर्ध शासकीय पत्र) संख्या 712/15-6-88 दिनांक 28-3-1988 को निर्गत किया जा चुका है ।

10 वरिष्ठ स्टोर अधीक्षकों को प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर समायोजित कर दिया गया है ।

**जनपद ललितपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेज खोलने की योजना**

59–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में अभी तक कुल कितने राजकीय महाविद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेज हैं ? क्या ललितपुर जनपद में उच्च शिक्षा एवं इण्टर तक की शिक्षा के लिए और राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

ललितपुर जनपद में एक राजकीय महाविद्यालय तथा 3 राजकीय इण्टर कालेज हैं ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिये औचित्य नहीं है । राजकीय इण्टर कालेज खोलने के लिये कोई योजना नहीं है ।

**गाजियाबाद सहकारी बैंक लि0 में लिपिक कम कैशियर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति**

60–श्री गया प्रसाद वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद सहकारी बैंक लिमिटेड में लिपिक कम कैशियर के पद पर नियुक्ति हेतु शासन द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो कब चयन किया गया है ? क्या चयन किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? चयनित अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति पत्र जारी किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

शासन द्वारा चयन नहीं किया जाता है । प्रश्नगत चयन उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा किया गया है ।

चयन दिनांक 21 व 22 दिसम्बर, 1987 को किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**प्रदेश में इनसेट सेटेलाइट द्वारा लिए गए वनों का फोटोग्राफ**

61—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या वन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इनसेट सेटेलाइट द्वारा लिए गए फोटोग्राफों द्वारा प्रदेश में वन कितने प्रतिशत हैं तथा क्या वन विभाग द्वारा दिये गये आंकड़ों की वह फोटोग्राफ पुष्टि करते हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

11 (ग्यारह) प्रतिशत ।

जी नहीं । वन विभाग द्वारा की गयी गणना के अनुसार वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल 17.4 प्रतिशत के लगभग है ।

**जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड अजमतगढ़ साधन सहकारी समिति लि0 पारड़ कुण्डा के सचिव द्वारा कतिपय सदस्यों से ऋण वसूली का हिसाब**

62—श्री राम जनम—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड अजमतगढ़ साधन सहकारी समिति लिमिटेड पारड़ कुण्डा के सचिव द्वारा सन् 1984 में किन-किन सदस्यों द्वारा ऋण वसूला गया है ? क्या वह वसूल हुआ धन कैश बुक में दर्ज है तथा खाते में दर्ज नहीं है ? क्या मंत्री जी कैश बुक से जांच कराकर खाते को ठीक कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

साधन सहकारी समिति लि0 पारन कुण्डा, विकास खण्ड अजमतगढ़ के सचिव द्वारा 1984 में कैशबुक में 450 सदस्यों से ऋण की वसूली दर्ज पायी गयी है । इसमें से 413 सदस्यों से वसूली का धन, उनके खाते में दर्ज कर दिया गया है । शेष 37 सदस्यों की वसूली खातों में दर्ज नहीं की गई है । इसकी विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है ।

**बेसिक शिक्षा परिषद् शाहजहांपुर के आफाक अली खां, विज्ञान अध्यापक का स्थानान्तरण तथा अनियमित रूप से वेतन भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

63—श्री नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आफाक अली खां, विज्ञान अध्यापक, बेसिक शिक्षा परिषद् शाहजहांपुर का विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र को स्थानान्तरण किया गया था जो बाद में गलत पाये जाने पर निरस्त कर दिया गया था ? उक्त निरस्तीकरण के फलस्वरूप अध्यापक द्वारा मुंसिफ न्यायालय में वाद दायर किया गया था जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था ? क्या उक्त निरस्तीकरण एवं न्यायालय के मुकदमें की अवधि में एक वर्ष तक अध्यापक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के बावजूद उसका अधिकारियों द्वारा सांठ-गांठ कर अनियमित रूप से वेतन भुगतान कर दिया गया ? इस हेराफेरी में अध्यापक तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी नहीं, श्री आफाक अली खां द्वारा स्वयं वाद वापस ले लिया था ।

दिनांक 26-9-81 से दिनांक 2-2-82 तक श्री आफाक अली खां चिकित्सा अवकाश पर रहे जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया । तदोपरांत उक्त अवधि का वेतन भुगतान किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद टिहरी गढ़वाल में सरकारी एवं असरकारी विद्यालयों में शारीरिक व्यायाम की शिक्षा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन**

64–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित सरकारी एवं असरकारी विद्यालयों में शारीरिक व्यायाम शिक्षा देने के लिए कितने पद सी0 पी0 एड0, बी0 पी0 एड0 तथा डी0 पी0 एड0 के रिक्त पड़े हैं ? पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालय में डी0 पी0 एड0 स्थानों की पूर्ति करने हेतु लोकसेवा आयोग ने कब से चयन नहीं किया है ? चयन न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय विद्यालयों में केवल सी0 टी0 वेतनक्रम के सात पद रिक्त हैं । अशासकीय विद्यालयों में कोई पद रिक्त नहीं है ।

राजकीय विद्यालयों के लिए पुरूष शाखा में जून 1980 एवं महिला शाखा में अक्टूबर, 1982 से चयन नहीं किया गया है ।

एल0 टी0 वेतनक्रम में सीधी भर्ती हेतु कोई पद रिक्त नहीं है ।

**डी0 पी0 एड0 अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट**

65–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा डी0 पी0 एड0 अभ्यर्थियों का चयन न होने के कारण जिन अभ्यर्थियों ने आयु सीमा पार कर दी है, भविष्य में उनका चयन होते समय क्या उन्हें आयु-सीमा की छूट दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

क्योंकि पद रिक्त नहीं हैं ।

**जनपद झांसी व जालौन में सफाई कर्मचारियों की निर्धारित संख्या**

66–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी एवं जालौन जनपदों की सभी नगर पालिकाओं में हेल्थ मैनुअल के अनुसार कुल कितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए और इस समय कितने सफाई कर्मचारी हैं ? क्या सफाई कर्मचारियों की इस कमी को दूर करके नगरों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिये शासन कार्यवाही करेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद झांसी की सभी नगरपालिकाओं में यू0 पी0 पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार 1832 सफाई कर्मचारी होने चाहिए । इस समय सभी नगरपालिकाओं में 703 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जनपद-जालौन की सभी नगरपालिकाओं में हेल्थ मैनुअल के अनुसार 745 सफाई कर्मचारी होने चाहिए । इस समय सभी नगरपालिकाओं में 334 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ।

नगरों में सफाई व्यवस्था हेतु पालिकाओं द्वारा सफाई कर्मचारियों के पदों के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणाव-गुण के आधार पर पदों के सृजन के संबंध में निर्णय लिया जाता है ।

**जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के अन्तर्गत हरिजन क्षेत्र में पेयजल सुविधा**

67–श्री प्रेम पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में अधिकांश खारे पानी का क्षेत्र है? क्या मंत्री जी जनहित में प्रदेश के सबसे पिछड़े हरिजन क्षेत्र में पेय जल स्कीम के तहत कोई साधन अविलम्ब उपलब्ध करायें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार जलेसर विधान सभा क्षेत्र के जलेसर विकास खण्ड में 23 ग्राम खारे पानी की समस्या से ग्रस्त थे, जिनको पाइप पेयजल योजना द्वारा वर्ष 1985 में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

वर्ष 1985 के सर्वेक्षण के आधार पर जलेसर विधान सभा क्षेत्र के जलेसर तथा अवागढ़ विकास खण्डों में क्रमशः 31 व 1 ग्राम खारे पानी की समस्या से ग्रस्त हैं जिनमें से 27 ग्रामों हेतु पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन विरचित किए जा चुके हैं तथा शेष 5 ग्रामों के प्राक्कलन विरचित किए जा रहे हैं ।

इन 32 ग्रामों में से 2 ग्रामों को इसी वर्ष लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है तथा शेष ग्रामों को मार्च 1990 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

**अपर जिलाधिकारी (परियोजना) प्रतापगढ़ द्वारा मिसिद्दीपुर सराय शेर खां सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा लगाने की कार्यवाही**

68—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश सं0 2250 दिनांक 22-8-85 के परिपालन में अपर जिलाधिकारी (परियोजना) प्रतापगढ़ ने मिसिद्दीपुर सराय शेर खां सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा लगाने का कार्य पूरा करा दिया है ? यदि नहीं, तो क्षेत्र विकास अधिकारी शिवगढ़, प्रतापगढ़ द्वारा सर्वेक्षण करने और इस्टीमेट सहित संस्तुति भेजने के ढाई वर्ष बाद भी उक्त मार्ग पर खड़ंजा न बिछाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग पर शीघ्र खड़न्जा लगवाने के दोषी पाए गए अधिकारी को दण्डित करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मिसिद्दीपुर-सराय शेर खां सम्पर्क मार्ग के संबंध में प्रश्नगत आदेश संख्या—2250 दिनांक 22-8-85 द्वारा कोई निर्देश दिया जाना प्रतीत नहीं होता है।

**जनपद बांदा के रज्जन यादव ग्राम प्रधान करारी ब्लाक नरैनी के पत्र के साथ प्रेषित श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कार्यवाही**

69—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 13 नवम्बर, 86 को श्री रज्जन यादव ग्राम प्रधान करारी, ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के संलग्न पत्र के साथ राहत कार्य के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**लखनऊ नगर महापालिका में दैनिक वेतन के पदों पर कार्यरत संचायकों का नियमितीकरण**

70—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका, लखनऊ में दस वर्षों से दैनिक वेतन के पदों पर कार्यरत संचायकों को चार वर्ष से रिक्त संचायकों के पद पर ज्येष्ठता क्रम में नियमित करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1988 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा राम नगर में मिनी एल0 आई0 जी0 के भवनों का निर्माण तथा अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण सामग्री को बेचने की कथित शिकायत पर की गयी कार्यवाही**

71—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर विकास प्राधिकरण द्वारा राम नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत मिनी एल0 आई0 जी0 के कितने भवन बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उसमें सोलह भवनों की केवल नींव भरी गयी थी और भूमि विवाद के कारण उक्त सोलह भवन नहीं बन पाये थे फिर भी सम्बन्धित अवर अभियंता द्वारा उक्त भवनों हेतु आयी निर्माण सामग्री को बेच दिया गया और उक्त भवनों का फर्जी भुगतान भी कराकर प्राधिकरण को लाखों रुपये का घाटा कराया है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्राधिकरण में पदोन्नति किये जाने का क्या औचित्य है और इसी अधिकारी को सोतीगंज तथा टिकैतगंज आवासीय योजना का कार्य दिये जाने का दायित्व किस अधिकारी पर आता है?

श्री बरदेव सिंह आर्य—

मिनी एल0 आई0 जी0 भवन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में प्रविधिक सहायक पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सूची से कार्मिकों की नियुक्ति**

72—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में प्रविधिक सहायक (जियोलाजी एवं प्राविधिक सहायक केमेस्ट्री) पद पर लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-366/सेवायें-6/28 डी/81-82 के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सूची में से नियुक्ति चाहने वाले सभी कार्मिकों को नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो अभी कितने शेष हैं और उन्हें नियुक्ति कब तक दे दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल विभाग में प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) एवं प्राविधिक सहायक (केमेस्ट्री) पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सूची में से नियुक्ति चाहने वाले सभी कार्मिकों को नियुक्ति दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

74—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**पी0 टी0 एवं व्यायाम अध्यापक काशी कृषक इण्टर कालेज हरदुआ को नियमानुसार वेतन देने के सम्बन्ध में श्री राज किशोर सिंह, सदस्य वि0 स0 का पत्र**

75—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 टी0 एवं व्यायाम अध्यापक काशी कृषक इण्टर कालेज हरदुआ वाराणसी को अर्हता व योग्यता के आधार पर सी0 टी0 ग्रेड से एल0 टी0 ग्रेड का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-1-88 के उत्तर में उनके पत्र एम0 एल0/135/ई, एम/88 दिनांक 18-1-88 के सन्दर्भ में शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को समुचित निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो सन्दर्भित पत्र में क्या बिन्दु थे क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सम्बन्धित अध्यापक को नियमानुसार एल0 टी0 वेतनक्रम देय नहीं है ।

**जनपद कानपुर नगर के सहकारी क्षेत्र में पकड़े गये गबन के मामलों पर कार्यवाही**

76—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर में वर्ष 86-87 में कितने सहकारी क्षेत्र के गबन के प्रकरण पकड़े गये, कितनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री समर पाल सिंह—

वर्ष 1986-87 में जनपद कानपुर नगर में गबन के कुल 77 प्रकरण पकड़े गये । सभी 77 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी । विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा अपराध साबित होने पर दो मामले न्यायालय में प्रेषित कर दिये गये, जिन पर न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है । शेष 75 मामलों में विशेष अनुसंधान (सहकारिता) द्वारा विवेचना जारी है ।

**जनपद फर्रुखाबाद में सहकारी समितियों में अयोग्य प्रशासकों की नियुक्ति का मामला**

77—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में विभिन्न सहकारी समितियों के प्रशासकों में से अधिकांश बकायेदार हैं ? यदि हां, तो उन्हें उक्त अयोग्यता के होते हुए किस आधार पर प्रशासक नियुक्त किया गया है ?

श्री समर पाल सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद की विभिन्न सहकारी समितियों में कोई ऐसा नहीं है, जो बकायादार हो ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंकों में स्टाफिंग पैटर्न का लागू किया जाना**

78—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में इस समय नगरीय सहकारी बैंक किस-किस जिलों में किस-किस नाम से हैं तथा उनमें से वह बैंक कौन-कौन हैं जहां अभी तक स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं किया गया है ? इसे [illegible] के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ?

**श्री समर पाल सिंह–**

प्रदेश में कार्यरत नगरीय सहकारी बैंकों की सूची संलग्न है :

सूची के क्रमांक 5 एवं 13 पर उल्लिखित अवध सहकारी बैंक लखनऊ तथा नगरीय सहकारी बैंक लहुरावीर, वाराणसी के बैंकों को छोड़कर अन्य किसी बैंक में स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं है ।

इसे लागू करने के लिए समस्त नगरीय, प्राइमरी सहकारी बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 150 पर)

**प्रदेश के जलकल प्रतिष्ठानों/जल संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि का अंशदान नियमित रूप से जमा न किया जाना**

79–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जलकल प्रतिष्ठानों/जल संस्थानों में कार्यरत सभी श्रेणी के जलकल अभियन्ताओं के वेतन से भविष्य निधि की कटौती की जाती है परन्तु संबंधित जल संस्थान/स्थानीय निकाय द्वारा भविष्य निधि का अंशदान निदेशक स्थानीय निकाय को नहीं भेजा जा रहा है जिससे रिटायर हुए अभियन्ताओं/रिटायर होने वाले अभियन्ताओं को पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे विभागों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? भविष्य निधि का अंशदान नियमित जमा करने के लिए सरकार क्या ठोस प्रयत्न करेगी ?

**श्री बल्देव सिंह आर्य–**

जी हां ।

भविष्य निधि के अंशदान से पेंशन का कोई संबंध नहीं है । अतः भविष्य निधि का अंशदान निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता । पेंशन का अंशदान नियमित रूप से निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजने के लिये शासनादेश संख्या 3971/9-3-88, दिनांक 22 जुलाई, 1988 द्वारा समस्त प्रशासकों एवं महाप्रबंधकों को निर्देश दे दिये गये हैं । अभियन्ता निधि की धनराशि सभी श्रेणी के अभियन्ताओं के खाते में अलग-अलग नियमित रूप से जल संस्थानों/स्थानीय निकायों द्वारा जमा की जा रही है ।

चूंकि भविष्य निधि का अंशदान नियमित रूप से अभियन्ताओं के खाते में जमा किया जाता है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने अथवा शासन स्तर से किसी प्रकार का अलग से प्रयत्न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**अभियन्ताओं के वेतन से भविष्य निधि की कटौती का लेखा जोखा**

80–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि अभियन्ताओं के वेतन से भविष्य निधि की कटौती का लेखा कैसे रखा जा रहा है ? अभियन्ताओं को स्थानान्तरण कर दूसरे स्थानीय निकाय में लेखा स्थानान्तरित करने की क्या प्रक्रिया है और उसका पालन हो रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जल संस्थानों/स्थानीय निकायों में कार्यरत सभी श्रेणी के अभियन्ताओं के भविष्य निधि लेखा के खाते अलग-अलग खोले गये हैं जिसमें उनके भविष्य निधि की धनराशि नियमित रूप से जमा की जाती है। अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के बाद उनके भविष्य निधि खाते अथवा उसमें जमा धनराशि उनके नये तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का अनुपालन, सभी जल संस्थानों/स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।

भविष्य निधि लेखे का रख-रखाव जल संस्थानों/निकायों द्वारा उचित ढंग से से किया जा रहा है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फैजाबाद के हरिगंजनगंज में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मस्टर रोल में फर्जी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान**

81—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह जानकारी है कि वर्ष 1987-88 में सूखा राहत योजनान्तर्गत विकास खण्ड हरिगंजनगंज फैजाबाद के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों के निर्माण में भारी घोटाला व मानक के विपरीत अत्यन्त घटिया कार्य कराया गया है और मस्टर रोल में फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान दिखाकर किसी भी मजदूर को अनाज के रूप में मजदूरी एवं तनख्वाह भी भुगतान नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या काम के मानक, मिट्टी के कार्य तथा मजदूरी अनाज के रूप में मजदूरों को न भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में कोई जांच कार्यवाही की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1987-88 में सूखा राहत योजनान्तर्गत विकास खण्ड हरिगंजनगंज फैजाबाद के अन्तर्गत 14 सम्पर्क मार्गों का निर्माण उपलब्ध भूमि के ऊंचाई एवं चौड़ाई मानक के अनुसार कराया गया। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के आधार पर सभी श्रमिकों को नगद तथा खाद्यान्न के रूप में अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से जांच कराकर उपखण्ड व विकास खण्ड के अधिकारियों तथा गांव प्रधान से सत्यापित कराने के उपरान्त ही किया गया। भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी श्रमिक द्वारा शिकायत नहीं की गयी है।

जांच विभाग ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद द्वारा कराई गयी। जांच से कोई अनियमितता नहीं हुई।

**अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण द्वारा शारदा सहायक खण्ड रायबरेली में किए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध की कार्यवाही**

82—श्री मोहम्मद अयूब खां—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा द्वारा वर्ष 1987-88 में शारदा सहायक खण्ड रायबरेली में किए गए भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप जो आरोप सिद्ध हुए थे

उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? सतर्कता अनुभाग-1 के पत्र सं0 3242 दि0 8-8-75 द्वारा सीमेन्ट में किए गए बड़े घोटाले को सही पाकर विशेष आडिट कराने की मांग पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वर्ष 1974-75 में शारदा सहायक खण्ड, रायबरेली में किये गये भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप सिद्ध पाई गई अनियमितता के लिए इन्हें सिंचाई विभाग द्वारा चेतावनी का दण्ड दिया गया ।

जहां तक सतर्कता अनुभाग-1 के पत्र संख्या–3242, दिनांक 8-8-75 द्वारा सीमेंट में किये गये बड़े घोटाले को सही पाकर विशेष आडिट कराने की मांग का प्रश्न है, उक्त पत्र द्वारा ऐसी कोई भी संस्तुति नहीं की गई । उक्त पत्र द्वारा सतर्कता निदेशक से खुली जांच कराने के निर्णय की सूचना दी गई है । सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट में विशेष आडिट कराये जाने पर विचार करने के लिए कहा गया था परन्तु प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग ने अपने पत्र दिनांक 20-1-83 द्वारा अभिलेखों की छानबीन करके सूचित किया कि उक्त खण्ड का विशेष आडिट कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

**जनपद बस्ती के खेसरहा विकास खण्ड में स्थित साधन सहकारी समिति सुहई कनपुरवा के लाद गोदाम का निर्माण**

83–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में खेसरहा विकास खण्ड में स्थित साधन सहकारी समिति सुहई कनपुरवा के लाद गोदाम के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उसका निर्माण किस संस्था द्वारा हुआ है तथा उसके निर्माण में कितना धन लगा है? क्या वह भवन साधन सहकारी समिति सुहई कनपुरवा को हस्तान्तरित हो चुका है? यदि नहीं, तो निजन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, बस्ती द्वारा समिति से भवन के निर्माण हेतु लगे धन की ऋण अदायगी के लिए बार-बार मांग करने का औचित्य क्या है?

श्री समर पाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद बस्ती में बांसी टाउन एरिया का परिसीमन**

84–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बांसी टाउन एरिया का परिसीमन हुआ है? यदि हां, तो कब और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गई है? प्रत्येक वार्ड के नम्बर तथा नाम क्या है और प्रत्येक में कौन-कौन मुहल्ले आते हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, कक्ष परिसीमन की अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 1988 को प्रकाशित की गयी, यू0 पी0 टाउन एरियाज एक्ट 1914 की धारा–5(2) (बी) के अनुसार किसी टाउन एरिया में अधिकतम वार्ड 15 हो सकते हैं, अतः बांसी को 15 वार्डों में विभक्त किया गया है।

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 151-152 पर)

**अल्लापुर में दोहरे विकास शुल्क की वसूली**

85–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्लापुर में दोहरे विकास शुल्क लगाये जाने संबंधी 30-12-87 को नियम 301 की सूचना पर शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब के कारण क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

अल्लापुर में विकास शुल्क की उगाही विषयक दिनांक 30-12-87 को नियम–301 की सूचना पर इस प्रकरण को विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-4-88 में रखा गया जिसमें वर्ष 1971 से [illegible] शासन से प्राप्त कर विषय को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उ0 प्र0 जनपद बलिया के (श्री रामजी लाल) द्वारा किया गया स्थानान्तरण आदेश**

86–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, जनपद बलिया (श्री रामजी लाल) दिनांक 23-3-88 को अपना कार्यभार श्री बी0 आर0 कुशवाहा, सहायक निबन्धक को विधिवत् सौंप कर कार्यमुक्त हो गये? यदि हां, तो 29-3-88 को उन्होंने बलिहार साधन सहकारी समिति, विकास खण्ड बैरिया के सचिव के स्थानान्तरण का आदेश किस अधिकार से जारी किया है?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां। लेकिन सहायक निबन्धक का वास्तविक नाम श्री जी0 आर0 कुशवाहा है।

दिनांक 29-3-88 को श्री रामजी लाल ने जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, बलिया की हैसियत से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

**जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड धानी में धानी बृजमनगंज मार्ग पर वृक्षारोपण**

87—श्री हर्ष वर्धन—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद विकास खण्ड धानी में धानी बृजमनगंज मार्ग पर घोघी नाले के पुल के अतिरिक्त दोनों ओर नाले में सामाजिक वानकी फरेन्दा, गोरखपुर द्वारा बाँध लगाये जाने हेतु माउन्ड बनाये गये हैं जिस पर वृक्षारोपण किया जायेगा ? यदि हां, तो नाले में बांध के अन्दर उक्त वृक्षारोपण द्वारा क्या पानी का प्रवाह प्रभावित नहीं होगा तथा क्या बांध सुरक्षित रह पायेंगे ? इस प्रकार की जमीन में वृक्षारोपण कराने का क्या औचित्य है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । माउन्ड नाले की मुख्य धारा को छोड़कर बांध एवं नाले के किनारे लगाये गये हैं, तथा मुख्य धारा की ऊंचाई पर हैं, अतः साधारण परिस्थिति में पानी का प्रवाह प्रभावित नहीं होगा और बांध भी सुरक्षित रहेंगे।

इस वृक्षारोपण से तीराम क्षेत्र वृक्षों से आच्छादित होगा तथा वर्षा में बांध एवं नाले के कटाव को रोकने में मदद मिलेगी ।

88—श्री महेन्द्र भाटी—

[1 से बुधवार में अता0 प्र0 सं0 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद हरदोई की नगर पालिका मल्लावां में मार्गों का सुधार ।**

89—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद की नगर पालिका मल्लावां में मार्गों को पैच्टेड किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि नगर पालिका बनने के पश्चात इस शहर में मार्ग और भी जीर्ण स्थिति में पहुंच गये हैं ? यदि नहीं तो क्या सर्वेक्षण कराकर मार्गों के जीर्णोद्धार की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

जी नहीं, पालिका के अलावा कच्चे मार्गों पर खड़ंजा बिछाया गया है।

धन उपलब्ध होने पर अन्य मार्गों के सुधार पर पालिका द्वारा विचार किया जायगा ।

**प्रदेश में पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प मार्क-2 हैण्डपम्पों पर अनुमानित खर्च**

90—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मंत्री विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पेयजल योजना के अंतर्गत इण्डिया मार्क-2 के जो हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं उनमें सरकारी स्रोत से लेकर पाइप व मशीन आदि पर अलग-अलग कुल कितना खर्च आता है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्रामीण सेवाओं के लगाये जा रहे 30 मीटर (औसत) गहराई के इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों के कार्यों में मजदूरी को छोड़कर पाइप व मशीन आदि की औसत लागत निम्नानुसार आती है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पी0 वी0 सी0 पाइप लाइन एवं तत्संबंधी सामग्री | रु0 | 2310·00 |
| 2. | हैण्ड पम्प मशीन एवं तत्संबंधी सामग्री | रु0 | 1850·00 |
| 3. | अन्य सामग्री | | |
| | (1) सीमेन्ट | रु0 | 420·00 |
| | (2) गिट्टी | रु0 | 220·00 |
| | (3) मोरंग | रु0 | 90·00 |
| | (4) ईंट | रु0 | 25·00 |
| | (5) ईंट की गिट्टी | | 105·00 |
| | योग | रु0 | 5020·00 |

जल निगम के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति विषयक कथित निर्णय

91—श्री विक्रमादित्य मण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति से संबंधित वर्ष 1987 में ट्रिब्यूनल ने कोई निर्णय दिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और इसके आज तक लागू न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

मा0 लोक सेवा अधिकरण ने याची के पक्ष में निर्णय दिया कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 दिसम्बर, 1977 वरिष्ठता सूची सहित निरस्त किया जाता है एवं सहायक अभियंता की मेरिट लिस्ट एवं संयुक्त वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाये।

जल निगम द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका के विचाराधीन होने के कारण अधिकरण का निर्णय लागू नहीं किया जा सका है ।

रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती को कथित प्राभूत के रूप में प्राप्त भूमि तथा उसकी रजिस्ट्री

92—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के प्रथम सोमवार दिनांक 4-1-88 के अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के सन्दर्भ में रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती के प्राभूत के रूप में ग्राम-गोहना तथा ग्राम बसहिया की जिस कथित कृषि योग्य भूमि का उल्लेख किया गया है, के सन्दर्भ में मंत्री जी [illegible] कृपा करेंगे कि क्या उक्त भूमि बांसी तहसील के रिकार्ड में रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी के नाम हुई है ? यदि हां,

तो उक्त भूमि का अलग-अलग प्लाट नम्बर तथा रकबा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या संदर्भित प्रश्न में गलत सूचना देने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राचार्य रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती के अनुसार ग्राम गोनेहा तथा ग्राम बसहिया की संदर्भित भूमि भू-राजस्व अभिलेखों में डिग्री कालेज के नाम दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना गलत नहीं दी गयी थी। केवल यह बताया गया था कि उक्त ग्रामों में स्थित भूमि से 9000/- प्रतिवर्ष प्राप्त होता है।

93—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

तृतीय सत्र 87 के प्रश्न संख्या दिनांक 4-1-88 के अता0 प्र0 सं0 69 में प्राभूत के रूप में उल्लिखित आठ एकड़ भूमि जिसमें रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती का गठित भवन स्थित है, के संदर्भ में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांसी तहसील के अभिलेखों में उक्त जमीन रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी के नाम दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त भूमि कालेज के नाम किस तिथि को तथा किसके द्वारा रजिस्ट्री की गयी ? यदि नहीं, तो किस आधार पर उक्त भूमि को कालेज की प्राभूत सम्पत्ति के रूप में संदर्भित प्रश्नोत्तर में दर्शाया गया है ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण प्रकरण की सूचना की जांच कराकर सदन को गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध (दण्डात्मक) कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि पर कालेज का भवन निर्मित है एवं परिसर पर कालेज व्यवहारिक रूप से काबिज है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा के ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध जांच प्रस्ताव

94—श्री मोहम्मद रिजवानुलहक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा, जनपद मुरादाबाद के ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध किसी जांच का प्रस्ताव माह मार्च, अप्रैल, मई, 1988 में ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद के संचालक मंडल की बैठक में लिया गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है तथा पाये गये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 7-5-88 को आयोजित की गयी थी परन्तु उसमें ब्लाक प्रमुख भगतपुर टाण्डा के शिरकत्व संचालक मंडल द्वारा किसी जांच का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

**उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों में प्राइमरी अध्यापकों की कमी तथा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षितों का समायोजन**

95–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे उ0 प्र0 में बेसिक स्कूल में प्राइमरी अध्यापकों की कमी तथा हजारों बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षितों की तादाद को देखते हुए उनका समायोजन न होने के कारण क्या है और समायोजन कब तक हो जाएगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रदेश के बेसिक स्कूलों में स्वीकृत पदों पर 40:1 छात्र-अध्यापक के अनुपात के आधार पर रिक्तियां होने पर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति की व्यवस्था है। अतः रिक्तियां होने पर नियुक्तियां होती रहती हैं। समायोजन निरन्तर होता रहता है।

**जनपद उन्नाव के जिला सहकारी बैंक की शाखा हिलौली में आई0 आर0 डी0 ऋणों में भारी घपले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

96–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिला सहकारी बैंक की शाखा हिलौली में आई0 आर0 डी0 ऋणों में भारी घपले के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र माह मई, जून, 88 में सं0 सचिव, सहकारिता व जिलाधिकारी, उन्नाव को मिला है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां।

अपर जिलाधिकारी (परियोजना) उन्नाव से जांच कराई जा रही है।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगंज निर्बल आवास योजना में मकान का आवंटन**

97–श्री भगौती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगंज निर्बल आवास योजना में मकान नं0-ई 7/3 व 7/5 एक ऐसे व्यक्ति के नाम आवंटित है जिसके पास स्वयं/परिवार के सदस्यों के नाम लखनऊ शहर में ही पहले से 6 मकान हैं और वार्षिक आय भी पात्रता की श्रेणी से अधिक है? यदि हां, तो उक्त आवंटन को निरस्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ में गन्ने वाली गली (गढ़ैय्या) अमीनाबाद में सीवर लाइन डालने के संबंध में निवासियों के पत्र पर कार्यवाही**

98—श्री भगौती सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, दिसम्बर, 1985 में गन्ने वाली गली (गढ़ैय्या) अमीनाबाद, लखनऊ के निवासियों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र वहां सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार उस गन्ने वाली गली (गढ़ैय्या) अमीनाबाद में सीवर लाइन डालने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

सम्बन्धित क्षेत्र की जांच करायी गयी ।

जी नहीं ।

सम्बन्धित क्षेत्र आस-पास के क्षेत्र से नीचे धरातल पर है । आस-पास के क्षेत्र में सीवर लाइन पड़ी हुई है । उक्त क्षेत्र के नीचा होने के कारण वहां सीवर लाइन डालना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

**जनपद लखनऊ के प्राइमरी पाठशालाओं में सेवकों की व्यवस्था न करने के कारण**

99—श्री भगौती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कितने प्राइमरी पाठशालाओं में बच्चों एवं अध्यापकों की सहायता हेतु सेवक नहीं हैं । इन संस्थाओं में रिक्त स्थानों पर नये सेवकों की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद लखनऊ में 782 प्राइमरी पाठशालाओं में सेवक नहीं हैं ।

प्राइमरी पाठशालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की व्यवस्था शासन द्वारा समाप्त कर दिये जाने के कारण इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है।

**जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट में मलेसेमऊ-बाधामऊ सम्पर्क मार्ग पर पुलिया के निर्माण में व्यय धनराशि**

100—श्री भगौती सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट में मलेसेमऊ-बाधामऊ सम्पर्क मार्ग पर बाधामऊ के निकट बहने वाले नाले पर पुलिया का निर्माण कब हुआ था और उस पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट में मलेसेमऊ-बाधामऊ सम्पर्क मार्ग पर बाधामऊ के निकट बहने वाले नाले पर किसी पुलिया का निर्माण रोजगार योजना के अन्तर्गत नहीं हुआ है । स्थल पर कोई पुलिया विद्यमान नहीं है ।

विधान सभा

**प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त मातृओं के वेतन क्रम में विषमता**

101—श्री भगौती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं के लिए जुलाई, 72 के पूर्व नियुक्ति की गई स्कूल माताओं का वेतनक्रम क्या है और उसके बाद नियुक्त की गयी स्कूल माताओं का वेतन क्रम क्या है ? क्या यह सही है कि एक ही प्रकार की सेवा के बावजूद दोनों के वेतनक्रम में भारी विषमता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अंशकालिक कर्मचारी होने के कारण स्कूल माताओं का कोई वेतन-क्रम नहीं है तथा इन्हें रु0 30/- प्रतिमाह नियत वेतन देय है । जुलाई, 1972 के पश्चात इन पदों पर नियुक्तियों की व्यवस्था नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

102—103—श्री बिहारी लाल दोहरे—

[मंत्रि परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

**उ0 प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) पद का सृजन तथा कार्मिकों का नियमितीकरण**

104—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) पद का सृजन कब हुआ था? वर्तमान में कितने कार्मिक नियमित रूप से उक्त पद पर कार्यरत हैं ? क्या यह कार्मिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं ? यदि नहीं, तो यह किस वर्ष/बैच के हैं तथा क्या इसके पूर्व भी कभी किसी कार्मिक की उक्त पद पर नियमित नियुक्ति हुई थी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विभाग में शासन द्वारा प्राविधिक सहायक के 42 पद स्वीकृत किये गये हैं । जिसमें प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) संवर्ग में 17 पद निर्धारित किये गये हैं ।

प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) के निर्धारित 17 पदों में से 15 कार्मिक लोक सेवा आयोग से अनुमोदित होकर तथा एक कार्मिक नियमितीकरण एवं प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) संवर्ग निर्धारित होने के उपरान्त कुल मिलाकर 16 कार्मिक नियमित रूप से कार्यरत हैं । एक कार्मिक जो जियोलाजी अर्हता रखते थे, को दिनांक 18-11-76 द्वारा तदर्थ रूप से भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के द्वारा नियुक्त किया गया था इसके पश्चात् विनियमितीकरण नियमावली 1979 के अन्तर्गत उक्त कार्मिक का प्राविधिक सहायक के पद पर नियमितीकरण दिनांक 24-1-83 द्वारा किया गया था इसके पश्चात् दि0 16-4-88 द्वारा केवल इसी प्राविधिक सहायक का जियोलाजी संवर्ग निर्धारित किया गया है ।

**जिला परिषद् इटावा के कार्यकारी अभियंता (श्री दीक्षित) तथा कतिपय कर्मचारियों द्वारा धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में ने0 वि0 दल के पत्र पर कार्यवाही**

105—श्री फजलुल बारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद्, इटावा के कार्यकारी अभियन्ता (श्री दीक्षित) तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध सार्वजनिक धन का दुरुपयोग एवं जिला परिषद् के राजस्व में गोलमाल तथा निर्माण कार्यों में अनियमितताये इत्यादि के सम्बन्ध में इटावा के कतिपय निवासियों का पत्र नेता विरोधी दल के पत्र दिनांक 2-6-88 के साथ प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

**श्री श्याम सूरत उपाध्याय—**

मा0 नेता विरोधी दल का दिनांक 2-6-88 का कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि उनके पत्र दिनांक शून्य मई, 1988 के साथ श्री अम्बा नरायण गुप्ता निवासी अयाना का शिकायती पत्र दिनांक 5-5-88 जिला परिषद् इटावा के कार्यकारी अभियन्ता श्री दीक्षित के विरुद्ध कतिपय निर्माण कार्यों में गड़बड़ी करने के संबंध में प्राप्त हुआ है जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, इटावा द्वारा जांच की जा रही है ।

**नगर महापालिका द्वारा ग्राम सभा व नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे से बचाव हेतु नियमावली की व्यवस्था**

106—श्री मनोहर लाल—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि समस्त नगर महापालिकाओं की सीमा विस्तार में जो जमीन ग्राम सभा नजूल आदि की अधिग्रहीत की गयी है, उन पर अवैधानिक कब्जे से हो रही क्षति के बचाव हेतु उक्त जमीनों को विक्रय करने हेतु कोई नियमावली बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसकी क्या रूप रेखा होगी ?

**श्री बल्देव सिंह आर्य—**

नगर महापालिकाओं की सीमा के विस्तार के फलस्वरूप नगर महापालिकाओं में दो प्रकार की भूमि निहित हुई है—प्रथम नजूल भूमि और द्वितीय ग्राम समाज भूमि । नजूल भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है जिसकी व्यवस्था नजूल मैनुवल के अन्तर्गत की जाती है तथा उसके प्राविधानों के अनुसार अवैध कब्जों को हटाया जाता है । ग्राम समाज भूमि की व्यवस्था नगर महापालिका अधिनियम 1959 की धारा-128 व 129 के अन्तर्गत की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 296 के अन्तर्गत अवैध कब्जों को हटाया जाता है । इन भूमियों की व्यवस्था हेतु अलग से नियमावली बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

**उत्तरप्रदेश इलाहाबाद में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कतिपय गांवों में सीवर लाइन की व्यवस्था**

107—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के मऊ सरैया, अशोक नगर, नेवादा, नसीरपुर हस्तियारी राजापुर, ऊंचवागढ़ी बेलीगांव, उपरहार टप्पापुरा स्टैनलीरोड, कमलानगर, गणेशनगर, मोहदौरी गांव रसूलाबाद, जोंधवल, जिल्ला, शिवकुटी, गोविन्दपुर, सारियाबाद, चांदपुर सलोरी, स्वराज्य नगर भोलई का

पुरा, लाला की सरैया, बघाड़ा दरहरिया, अल्लापुर, तिलकनगर, बाकड़गंज, पुरादलेल, पूरापड़ाइन, अलोपीबाग आदि क्षेत्र गंगा नदी के किनारे हैं और इन क्षेत्रों का पूरा मल-मूत्र गंगा नदी में सीधे जाता है ? यदि हां, तो क्या गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु कुम्भ के मेले के पूर्व इन क्षेत्रों में सीवर लाइन की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इलाहाबाद जनपद के मऊसारइयां अशोकनगर, नेवादा, नसीबपुर बख्तियारी राजापुर, ऊंचाबाग्ढ़ी टेलीगांव, उपरहार, टप्पापुरा, स्टैनली रोड, कमला नगर, गणेश नगर, मोहद्दौरी गांव, रसूलाबाद, कैथवल, चिल्ला, शिवकुटी, गोविन्दपुर, पुरालाला की सरइयां, बछाड़ा, दरहरिया, अल्लापुर, तिलकनगर, बाकड़गंज, पुरादलेल, पूरा-पड़ाइन, अलोपीबाग, आदि क्षेत्र गंगा नदी के किनारे हैं । इन क्षेत्रों में से तिलकनगर, बाकड़गंज पुरादलेल, पूरापड़ाइन व अलोपीबाग क्षेत्र को छोड़कर अन्य प्रश्नगत क्षेत्रों का पूरा मलमूत्र गंगा नदी में जाता है ।

गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु कुम्भ मेला के पूर्व इन क्षेत्रों में सीवर लाइन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्नगत क्षेत्रों में बहकर गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले मल मूत्र की रोकथाम हेतु नगर महापालिका, इलाहाबाद व विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा इन क्षेत्रों में जल प्रवाहित शौचालयों के निर्माण का एक बृहत कार्यक्रम कार्यान्वित कराया जा रहा है ।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता श्री एस0 सी0 गुप्ता के विरुद्ध जांच ।**

108—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि 29 फरवरी, 1988 को उन्होंने मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री एस0 सी0 गुप्ता के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या जांच पूरी हो गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच करायी जा रही है । अभी जांच पूरी नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच कार्यवाही चल रही है ।

109—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 13-3-88 को अता0 प्र0 सं0 40 द्वारा उत्तरित]

**जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में मीनार जैसी इमारत के निर्माण को अनदेखी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

110—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के मुख्यालय उरई में गत तीन वर्षों में नगर की घनी आबादी के बीच, आश्चर्यजनक रूप से लम्बी बनी हुई मीनार जैसी इमारत का नक्शा पालिका के किस अधिकारी ने कब, किसके पक्ष में एवं किस आधार पर पारित किया था ? यदि यह निर्माण नक्शा पारित कराए बिना किया गया है तो निर्माताओं और निर्माण को अनदेखी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गत तीन वर्षों में जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में एक मस्जिद, जिसके दो तरफ मीनारें दर्शायी गयी थीं, का नक्शा नगरपालिका बोर्ड, उरई द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 5-12-1970 द्वारा स्वीकृत किया गया था। स्वीकृति की निर्धारित अवधि के पश्चात् निर्माण कराये जाने के कारण जामा मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी को उ0 प्र0 निर्माण कार्य विनियमन, अधिनियम 1958 की धारा 10 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 18(ङ) में अंकित प्राविधान के तहत अध्यक्ष, कमेटी जामा मस्जिद द्वारा आपत्ति की गई। उक्त आपत्ति नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उरई के विचाराधीन है।

**श्री बल्देव गिरि पाठशाला इण्टर कालेज, अकोली जनपद फतेहपुर की अवैध रूप से गठित समिति के विरुद्ध में श्री हरि नारायन दुबे अध्यापक के पत्र पर कार्यवाही**

111—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरि नारायन दुबे अध्यापक के द्वारा दिनांक 7-1-87 को बल्देव गिरि पाठशाला इण्टर कालेज, अकोली, जनपद फतेहपुर की अवैध रूप से गठित प्रबन्ध समिति के विरुद्ध में शिक्षा निदेशक को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

नियमानुसार प्रबन्ध समिति के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

112—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[उरे मोमनवार के लिए स्थगित]

**जनपद गोरखपुर के साधन सहकारी समिति गोपालपुर (खंजली) सा0 स0 समिति भदार-खास (बढ़ापार) (उरूवा) का चुनाव**

113—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के साधन सहकारी समिति गोपालपुर (खंजली) सा0 स0 समिति भदारखास (बढ़ापार) (उरूवा) के चुनाव को किसके द्वारा और क्यों रोका गया ? चुनाव कब तक कराया जायेगा ?

श्री समर पाल सिंह–

गोरखपुर जनपद में साधन सहकारी समिति गोपालपुर (खंजनी) नाम की कोई समिति पंजीकृत नहीं है साधन सहकारी समिति भदारखास (बड़ापार) उरूवा का चुनाव जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा शान्ति भंग की आशंका देखते हुए अग्रिम आदेश तक रोका गया है ।

सहकारी समिति निबन्धक द्वारा निर्वाचन की तिथियां पुनः घोषित हो जाने पर चुनाव करा दिए जायेंगे ।

**जनपद कानपुर के पुखरायां सीनियर बेसिक स्कूल पर प्रति माह अनुमानित व्यय**

114–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के पुखरायां सीनियर बेसिक स्कूल में वर्तमान में कितने विद्यार्थी तथा कितने अध्यापक हैं और शासन का प्रति माह विद्यालय पर कितना धन व्यय हो रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद कानपुर देहात के सीनियर बेसिक स्कूल पुखरायां में वर्तमान समय में कोई विद्यार्थी व अध्यापक नहीं है । उक्त विद्यालय का स्थानान्तरण जिला बेसिक शिक्षा समिति कानपुर देहात के निर्णयानुसार बीसलपुर कानपुर देहात कर दिया गया है ।

वर्तमान समय में कोई धन व्यय नहीं हो रहा है ।

**जनपद बस्ती के रतन सेन डिग्री कालेज को स्नातक कक्षाओं की स्थायी मान्यता**

115–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती को शासन द्वारा बी0 ए0 स्नातक कक्षाओं की स्थायी मान्यता कब प्रदान की गयी तथा स्थायी मान्यता हेतु कौन सा प्रभूत किस रूप में उक्त कालेज के नाम सरकारी कागजात में दर्ज है ? क्या उक्त प्रभूत सम्पत्ति वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में कालेज के नाम दर्ज है ? यदि नहीं, तो किस नाम से दर्ज है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इस कालेज को महामहिम राज्यपाल के पत्र दिनांक 11-7-1972 द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान की गयी है ।

प्रभूत के रूप में 4,500 रु0 की धनराशि राजा रतनसेन सिंह चैरिटेबल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाती है ।

**जनपद बस्ती के रतन सेन डिग्री कालेज की अचल सम्पत्ति के क्षति के संबंध में प्रबन्ध समिति एवं प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही**

116–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज बांसी जनपद बस्ती का पुराना भवन लान तथा फील्ड सहित जिसकी मालियत लाखों रुपये थी, प्रबंध समिति के आदेशानुसार प्राचार्य ने प्रबन्धक की मां के नाम रजिस्ट्री संख्या 1225, 31 मार्च, 1983 सब रजिस्ट्रार कार्यालय बांसी द्वारा मात्र चालीस हजार रुपये में बेच

दी ? यदि हां, तो उक्त बैनामें पर कालेज के अचल सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई और इस क्षति के लिए जिम्मेदार प्रबंध समिति एवं प्राचार्य के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सार्वजनिक निर्माण विभाग से अचल सम्पत्ति का मूल्य ज्ञात किया गया है । सूचना प्राप्त होने पर क्षति का अनुमान लगाया जा सकेगा । सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के मोहल्ला लोहामण्डी में नगरपालिका द्वारा निर्मित दूकानों पर दूसरी मंजिल का निर्माण**

117–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के मोहल्ला लोहामण्डी में नगरपालिका की भूमि पर उसके द्वारा निर्मित दूकानों पर आवंटियों को उनके ऊपर दूसरी मंजिल बनाकर निवास को आवंटन किस नियम और उपनियम के अधीन किया गया और उनका निर्माण किसने कराया तथा किराया तय करने की क्या पद्धति अपनाई गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

लोहामण्डी, फिरोजाबाद में वर्ष 1955 में नगरपालिका द्वारा निर्मित दस दूकानों की छत पर स्टोर बनाने के लिये भूतल के दूकानदारों के आवेदन पर प्रशासक नगरपालिका द्वारा वर्ष 1984 में पालिका सम्पत्ति अन्तरण नियमावली के नियम-3 के अधीन अनुमति प्रदान की गयी थी और उनका किराया भूतल की दूकानों के लिये प्रचलित दर के आधार पर निर्धारित किया गया । उन्हें निवास हेतु आवंटन नहीं किया गया था परन्तु इनमें से दो दूकानदारों ने अनाधिकृत रूप से ऊपर की मंजिल में आवास बना लिये हैं जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की जा रही है ।

**जनपद इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में कच्ची सड़क को पक्की सड़क में परिवर्तन करने के संबंध में श्री विष्णुदेव सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कार्यवाही**

118–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में सार्वजनिक मार्ग पर करीब 50-60 गज कच्ची सड़क पर पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में उनको संबोधित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1194/ज0पा0/87, दिनांक 13-10-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

प्रश्नगत सार्वजनिक मार्ग की पिटाई का कार्य (कन्सोलिडेशन) करा दिया गया है । कार्पेटिंग का कार्य कराने हेतु टेण्डर आमंत्रित किए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

119—श्री राज किशोर सिंह—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद आजमगढ़ की सहकारी समिति दुबारी के सचिव द्वारा किये गये गोलमाल के सम्बन्ध में श्री विष्णु देव, सदस्य, विधान सभा का पत्र**

120—श्री विष्णु देव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सचिव सहकारी समिति, दुबारी जनपद आजमगढ़ द्वारा किये गये गोल-माल के सम्बन्ध में श्री शिवशंकर उपाध्याय के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच कब किस अधिकारी ने की और क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच की कार्यवाही अपर जिला सहकारी अधिकारी, घोसी, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 14-9-88 को सम्पन्न की गई ।

जांच में सम्बन्धित सहकारी समिति के सचिव श्री अवध बिहारी मल्ल द्वारा अपहरण एवं गोल-माल करने की शिकायत सही पाई गई ।

श्री मल्ल पूर्व से ही निलम्बित हैं । जांच के आधार पर उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23-9-88 को थाना मधुबन में दर्ज करा दी गई है ।

**जनपद फैजाबाद के ग्राम सुमेरपुर (रासलपारा) में लिंक मार्ग के निर्माण से हरिजनों के मकानों और पेड़ों को क्षति**

121—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद के ग्राम सुमेरपुर (रासलपारा) में लिंक मार्ग निर्माण के नाम पर हरिजनों के मकानों को गिराने व हरे पेड़ों को काटने व पानी का बहाव रोकने का षड्यन्त्र किया गया था जिस पर हरिजनों ने लिंक मार्ग निर्माण कार्य रोकने की आपत्ति जिला प्रशासन में करते हुए चकरोड से लिंक मार्ग निर्माण का सुझाव दिया था कि उससे किसी का नुकसान न होगा ? यदि हां, तो क्या हरिजनों के मकान व हरे पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लिंक मार्ग निर्माण कार्य रोक दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिये गये सुझाव के अनुसार लिंक मार्ग का निर्माण होगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सम्पर्क मार्ग सुमेरपुर (रासलपारा) उपलब्ध डहर भूमि के रास्ते से आरम्भ कराया गया परन्तु ग्राम वासी हरिजनों से प्राप्त शिकायती पत्र तथा माननीय विधायक के पत्र दिनांक 29-1-88 के प्राप्त होते ही कार्य को तत्काल रोक दिया गया ।

परगनाधिकारी अकबरपुर के निर्देशानुसार मौके पर मार्ग के निशानदेही 14-5-88 को कराई गयी । निर्माण हेतु प्रस्तावित मार्ग से न तो हरे पेड़ों को काटने की आवश्यकता पड़ी और न ही हरिजनों के मकान गिराये गये । पानी का बहाव रुकने की समस्या का निराकरण हो गया है ।

कुल स्वीकृत 300 मीटर सम्पर्क मार्ग में से 31-7-88 तक 240 मीटर मार्ग का निर्माण पूर्ण हो गया है ।

**जनपद लखनऊ में विकास खण्ड मोहनलालगंज द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित कराये गये भवनों में अनियमितता**

122—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मोहनलाल गंज लखनऊ के ग्राम जबरौली में विकास खण्ड मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा निर्मित कराये जा रहे इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आठ आवासों में मानक के अनुसार मसाला नहीं लगाया गया तथा पीला ईंटा लगा है जिसकी जांच प्राविधिक परीक्षक से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त विषय की जांच प्राविधिक परीक्षक से कराई गई? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज में सचिव साधन सहकारी समिति द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

123—श्री शारदा प्रताप—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड मोहनलाल गंज में सचिव साधन सहकारी समिति गौतम खेड़ा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1988 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त साधन सहकारी समिति के सचिव का स्थानान्तरण कर जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां बिना स्थानान्तरण किये जांच कराई गई । जांच समिति के सचिव के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता करने विषयक तथ्य प्रकाश में नहीं आया ।

**राजकीय इण्टर कालेज थल पिथौरागढ़ में वानिकी तथा पर्वतीय कृषि विषय की कक्षाओं का संचालन**

124—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के लखनऊ कार्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक पिथौरागढ़ को भेजे पत्रांक योजना/2094-2103/1537/85-86 दि0 14-10-85 के संदर्भ में राजकीय इण्टर कालेज थल पिथौरागढ़ में, वानिकी और पर्वतीय कृषि विषय खोले जाने हेतु उपरोक्त इण्टर कालेज के निकट बन पंचायत की 422 नाली उमुठी भूमि विद्यालय से 1 कि0 मी0 दूरी में उपलब्ध होने की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक पिथौरागढ़ के पत्रांक 4621-24/तीन-12/86-87 दि0 26-5-86 द्वारा अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) के लखनऊ कार्यालय में दी गयी ? यदि हां, तो उपरोक्त विद्यालय को इतनी अधिक भूमि उपलब्ध हो सकने की दशा में क्षेत्र में विकास के व्यापकहित को ध्यान में रखते हुये दिनांक 1 फरवरी, 88

तक व उसके बाद वानिकी, पर्वतीय कृषि विषय उपरोक्त विद्यालय में खोलने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इन विषयों को उपरोक्त विद्यालय में खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, किन्तु अपर शिक्षा निदेशक का पत्र दिनांक 14-10-85 मात्र राजकीय इण्टर कालेज, पिथौरागढ़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं था अपितु समस्त इण्टर कालेजों के परिप्रेक्ष्य में भेजा गया परिपत्र का जिसमें विद्यालयों के निकट उपलब्ध वन पंचायत की उपलब्ध भूमि की सूचना एकत्रित की गयी थी ।

वानिकी तथा पर्वतीय कृषि, सम्प्रति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विषय नहीं हैं । अतः इन विषयों को खोले जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में लघु सिंचाई कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने की संस्तुति**

125–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियंता लघु सिंचाई उ0प्र0 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में हाई ड्रम व अन्य लघु सिंचाई कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु पर्वतीय जनपदों में लघु सिंचाई खण्ड खोले जाने की आवश्यकता सहित अपनी संस्तुति अगस्त/सितम्बर, 1986 में शासन को भेजी गई थी ? इस सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री को यह भी ज्ञात है कि आयुक्त कुमाऊं मण्डल ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्रांक 431 दि0 20-5-1987 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने एवं उनकी नियुक्ति किए जाने हेतु अपनी संस्तुति कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, पर्वतीय विकास व विशेष सचिव क्षेत्रीय विकास को भेजी थी ? यदि हां, तो सरकार ने दि0 30-6-88 तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां

जी हां

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं हुई ।

126–श्री भगौती सिंह–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद लखनऊ में उजीरयांव आवास योजना (गोमती नगर) में कतिपय गांवों का विकास**

127–श्री भगौती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में उजीरयांव आवास योजना (गोमतीनगर) में आये हुए गांव डिगंडिगा, नवाबहुसैन का पुरवा, बेलहा, गड़रियनपुरवा, खारी आदि गांवों की तरह क्या उजीरयांव गांव का भी विकास किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

विकास कार्य प्रारम्भ कराने हेतु प्रश्नगत क्षेत्र का ले-आउट प्लान तैयार कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद लखनऊ में उजीरयांव आवास योजना (गोमती नगर) के अन्तर्गत पड़ने वाले मकान, कब्रिस्तान, मन्दिर मस्जिद आदि के विवादों का निर्णय**

128–श्री भगौती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में उजरियांव आवास योजना (गोमती नगर) के अन्तर्गत पड़ने वाले मकान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद आदि के विवादों को तय करने के लिए मा0 उच्च न्यायालय पीठ लखनऊ के आदेशानुसार किसको और कब विहित अधिकारी नियुक्त किया गया ? उसने कब तक काम किया और इस बीच कितने मामलों का निर्णय किया ? उनके त्याग पत्र देने का कारण क्या है ? विहित अधिकारी कार्यालय पर अब तक कितना धन खर्च हुआ ? इस समय इस पर पर कौन कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मा0 उच्च न्यायालय पीठ लखनऊ के आदेशानुसार श्री आर0 एस0 अग्रवाल अवकाश प्राप्त जिला जज की नियुक्ति विहित अधिकारी के रूप में दिनांक 1-9-84 से की गयी ।

श्री अग्रवाल ने दि0 31-5-86 तक कार्य किया और उस बीच 134 मामलों की सुनवाई की, परन्तु कोई भी वाद निर्णीत नहीं किया ।

श्री अग्रवाल की नियुक्ति उ0 प्र0 श्रम न्यायाधिकरण कानपुर के सदस्य पद पर हो जाने के कारण विहित अधिकारी के पद से त्याग पत्र दिया ।

विहित अधिकारी के कार्यालय पर रु0 1,47,854.00 की धनराशि खर्च हुयी । वर्तमान में वह पद रिक्त है ।

श्री अग्रवाल के त्याग-पत्र के पश्चात उनके स्थान पर नियुक्ति हेतु प्राधिकरण इच्छुक एवं उपयुक्त सेवा निवृत्त जिला जज की तलाश में रहा ।

**लखनऊ नगर महापालिका की चुंगियों पर चुंगी शुल्क की वसूली**

129–श्री भगौती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगरमहापालिका की चुंगियों पर चुंगी शुल्क के अतिरिक्त "रंगत" शुल्क के नाम से भी पैसा वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हमीरपुर में चरखारी नगरपालिका के अधीन रतन सागर तालाब पर मछली पालन हेतु दिये गये ठेके से राजस्व की क्षति**

130--श्री राम सजीवन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हमीरपुर में चरखारी नगरपालिका के अधीन रतन सागर तालाब पर मछली पालन हेतु ठेका अवैध रूप से तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नगरपालिका ने मत्स्यजीवी सहकारी समिति लि0 चरखारी को केवल प्रार्थना-पत्र पर ही दे दिया था और खुली बोली नहीं कराई थी? क्या अभी हाल में बिना खुली बोली कराये पुनः उसी समिति को ठेका दे दिया गया है जिससे नगर-पालिका को लाखों रुपये की क्षति हुई थी? यदि हां, तो उक्त ठेका निरस्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इन्द्रदेव सिंह आर्य--

प्रश्नगत तालाब का ठेका तद्विषयक शासनादेश दिनांक 28 सितम्बर, 1978 में निर्धारित नीति के अनुसार बिना नीलामी के एक मात्र स्थानीय मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0 चरखारी को पिछले तीन वर्ष की औसत आय रु0 9001/- वार्षिक पर 45,005/- रुपये में पांच वर्ष के लिए दिनांक 29 नवम्बर, 1980 को दिया गया था। उक्त शासनादेश में निहित नीति के अनुरूप ही पुनः उसी सहकारी समिति को वर्ष 1985 में अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ी हुयी तत्कालीन दर से रुपया 64,000/- में ठेका दिया गया है। इसमें कोई अनियमितता नहीं की गई है अतएव उक्त ठेका निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**राजधानी लखनऊ में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए साक्षरता निकेतन को दिया गया अनुदान**

131--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संचालित साक्षरता निकेतन नामक संस्था को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाने हेतु वर्ष 1987-88 में कितना अनुदान दिया गया है? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि माह मई, 88 में सहायक परियोजना अधिकारी प्रेरक आदि पदों के चयन में उन्नाव जनपद में भी चल रही परियोजनाओं में जनपद के बाहर के लोग चयनित किये गये हैं? यदि हां, तो जब विज्ञापन में क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता की बात कही गयी थी तो जिले के बाहर के लोगों के चयन के क्या कारण हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

साक्षरता निकेतन, लखनऊ को प्रदेश के चार जनपदों (लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी तथा रायबरेली) में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 में कुल रु0 52,48,000 स्वीकृत किया है।

माह मई, 1988 में सहायक परियोजना अधिकारी एवं प्रेरक के पदों हेतु गठित चयन समितियों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। सहायक परियोजना अधिकारी के पदों हेतु विज्ञापन में उसी क्षेत्र/जनपद के अभ्यर्थियों को वरीयता देने का कोई प्राविधान नहीं किया गया था। केवल प्रेरक एवं अनुदेशक के पदों हेतु स्थानीय व्यक्तियों को वरीयता दिये जाने की बात विज्ञापन में कही गयी थी और उसी के अनुसार चयन किया गया था।

**जनपद मिर्जापुर की नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों का स्थानान्तरण**

132—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कितनी नगर पालिकाएं हैं? कितने अधिशासी अधिकारियों को काम करते 5 वर्ष हो गये और कितनों का स्थानान्तरण वर्ष 1986 में होकर निरस्त हुआ? क्या नगरपालिका राबर्ट्सगंज द्वारा आवश्यक सेवाओं के प्रति की जा रही उदासीनता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध वहां की जनता द्वारा आन्दोलन चलाया जा रहा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चार।

कोई नहीं।

नगर पालिका राबर्ट्सगंज के अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण वर्ष 1986 में निरस्त हुआ था परन्तु जून, 1987 में उन्हें पुनः अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**नगर पालिका बस्ती के सेवा निवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री फतेह बहादुर लाल की प्रार्थना पर कार्यवाही**

133—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1 जून, 1988 में संलग्न नगरपालिका बस्ती के सेवा निवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री फतेह बहादुर लाल का प्रार्थना -पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो दिसम्बर, 1983 से सेवा निवृत्त हुए उक्त कर्मचारी ने अपने प्रार्थना-पत्र में क्या प्रार्थना की है और सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नकर्ता के एक अन्य पत्र दिनांक 9-6-88 के साथ श्री फतेह बहादुर लाल सेवा निवृत्त, चपरासी नगरपालिका बस्ती का प्रार्थना पत्र दिनांक 1-6-88 प्राप्त हुआ था।

श्री फतेह बहादुर लाल ने अपने प्रार्थना-पत्र में अपनी सेवा पंजिका में जन्म तिथि बदलकर नगरपालिका द्वारा दिनांक 31-12-83 को सेवा निवृत्त कर दिये जाने की शिकायत की थी तथा प्राविडेन्ट फण्ड, बीमा की धनराशि एवं ग्रेच्युटी की धनराशि के भुगतान की प्रार्थना की थी।

श्री फतेह बहादुर लाल की सेवा निवृत्ति सम्बन्धी शिकायत निराधार पाई गई। उन्हें सेवा-पुस्तिका में अंकित जन्म-तिथि के अनुसार नियमों के अन्तर्गत सेवा निवृत्त किया गया है। प्राविडेन्ट फण्ड की धनराशि रु0 6402-40 का भुगतान उन्हें किया जा चुका है। सामूहिक जीवन बीमा संबंधी प्रपत्र जीवन बीमा निगम को भुगतान हेतु दिनांक 20-5-85 को भेजे जा चुके हैं। चूंकि श्री फतेह बहादुर लाल द्वारा पेंशन संबंधी मामले के प्रपत्र अभी तक नगरपालिका परिषद को उपलब्ध नहीं कराये गये अतः उनके ग्रेच्युटी के मामले में नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

## जनपद इलाहाबाद के कतिपय मोहल्लों में पेय जलापूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण

134—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वरूपरानी अस्पताल तेजबहादुर सप्रू अस्पताल, बेलीगांव नयापुरा स्टैनली रोड, कटरा, कर्नलगंज आनन्दभवन चांदपुर सलोरी ईश्वर-शरण आश्रम, गल्ला बाजार शुतुरखाना, सादियाबाद, बघाड़ा, दरहरिया, राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी नगर, ओम गायत्री नगर, तिलक नगर, बाघम्बरी गद्दी, कृष्णनगर, कीटगंज, तालाब नवल राय आदि मुहल्लों में पेय जलापूर्ति व्यवस्था अत्यन्त खराब है और लोग बूंद-बूंद पानी को तरसते हैं? यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर नलकूपों का निर्माण कराने व जल-नलिका (पाइप) बिछवाने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित स्थानों पर पेयजल व्यवस्था अधिक खराब नहीं है। कतिपय स्थानों पर पेयजल की आपूर्ति मापदण्ड से कुछ कम अवश्य है जिसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य किये जा रहे हैं।

स्वरूपरानी अस्पताल में पेयजलापूर्ति अस्पताल में निर्मित एक नलकूप द्वारा की जाती है जिसका स्राव घटकर 400 एल0 पी0 एम0 रह गया है। मेडिकल सुपरिन्टेंडेन्ट स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के अनुरोध पर एक योजना उ0 प्र0 जल निगम द्वारा रु0— 17.59 लाख की बनायी गयी है जिसके विरुद्ध अस्पताल से धन उपलब्ध होने पर उ0 प्र0 जल निगम द्वारा डिपाजिट वर्क के रूप में निर्माण कार्य कराया जायेगा।

तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में लक्ष्मी टाकीज के पास निर्मित नलकूपों से जलापूर्ति की जाती है। अस्पताल के अधिकारियों के अनुरोध पर वर्ष 1986-87 में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अनुमानित लागत रु0 10.042 लाख की एक योजना बनायी गयी है जिसके विरुद्ध अस्पताल द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

बेलीगांव, गया पुरवा, स्टेशनी रोड, कटरा, कर्नलगंज व आनन्द भवन के क्षेत्र कर्नलगंज क्षेत्र जोन के अन्तर्गत आते हैं जिसमें इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस जोन में पांच नलकूप निर्मित किये जा रहे हैं जिसमें अमरूडहीगंज का नलकूप चालू हो गया है। शेष दो नलकूप कटरा तथा दो धानीहिल रोड पर निर्माणाधीन हैं। इन नलकूपों के चालू हो जाने से पेयजल व्यवस्था में सुधार होगा। पाइप लाइन बिछाये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

मोहल्ला, लक्ष्मीरी, ईश्वरशरण आश्रम, गल्ला बाजार और मुलुरखान के क्षेत्र रसूलाबाद जोन के अन्तर्गत आते हैं और यहां पर पेयजल की आपूर्ति गोविन्द नगर में निर्मित अमर भवानी से की जाती है। श्रीकन्दपुर में एक नलकूप इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया जा रहा है जिसके चालू होने से इन क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था में सुधार हो जायेगा। पाइप लाइन बिछाए जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

बघाड़ा व डरहरिया भी कर्नलगंज जोन में ही आते हैं। इन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु अलेन में एक नलकूप वर्ष 1987 में चालू किया गया है और इस नलकूप के बन जाने से इन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति में सुधार हो गया है।

राजेन्द्र कुमारी नगर, तिलकनगर, बाघम्बरी गद्दी व कृष्ण नगर मुहल्ले दारागंज जोन के अन्तर्गत आते हैं इसी जोन में विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 नलकूप व लगभग 36 कि0 मी0 वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

कीटगंज व तालाब नवलराय कीटगंज जोन के अन्तर्गत आते हैं। विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत एक नलकूप बेरहाना में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया जा रहा है जिसका पानी कीटगंज जोन में ही आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

**जनपद ललितपुर के मुख्यालय महरौनी राजकीय कन्या हाई स्कूल में छात्राओं के अनुपात में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की मांग**

135—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महरौनी मुख्यालय जनपद ललितपुर में राजकीय कन्या हाई स्कूल में कुल कितनी अध्यापिकाओं एवं छात्राओं की संख्या है ? क्या यह सही है कि छात्राओं की संख्या को देखते हुए अध्यापिकाओं की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्या और अध्यापिकायें उक्त विद्यालय में नियुक्त करने का कष्ट करेंगे ? क्या यह सही है कि छात्राओं द्वारा वर्ष 87 में अध्यापिकाओं की मांग के लिए अनशन किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय कन्या हाई स्कूल महरौनी, ललितपुर में छात्राओं की संख्या-349 है और चार अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

जी हां, छः अध्यापिकाओं (5 एल0 टी0 एवं 1 सी0 टी0 संवर्गक्रम) के पद रिक्त हैं।

एल0 टी0 वेतनक्रम के दो पदों पर पदोन्नति के आदेश किये जा चुके हैं एवं शेष पर अंशकालिक स्वंयसेवियों की व्यवस्था की गई है । सी0 टी0 वेतनक्रम के एक पद पर शीघ्र व्यवस्था की जा रही है ।

जी हां ।

एल0 टी0 वेतनक्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से नियमित नियुक्ति की जाती है । आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त न होने के कारण अंशकालिक स्वंयसेवियों से शिक्षण कार्य कराने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

136–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

**जनपद ललितपुर में तराई विकास निगम को तेन्दू पत्ती का ठेका**

137–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में तराई विकास निगम को तेन्दू पत्ती कार्य में वर्ष 1987-88 में कितनी हानि हुई तथा हानि के पश्चात् वर्ष 1988-89 के लिए तेन्दूपत्ती का कार्य पुनः तराई विकास निगम को दिये जाने का क्या कारण है? क्या उक्त कार्य वन विभाग के द्वारा नीलामी में ठेकेदारों को देने का शासन का विचार है जो कि पूर्व में था ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जनपदवार हानि-लाभ नहीं निकाला जाता है । तेन्दूपत्ती के कुल कार्य में तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम का लगभग 12 लाख रुपये का लाभ होने का अनुमान है । वास्तविक स्थिति पूरी बिक्री होने पर ज्ञात होगी ।

आदिवासियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए ललितपुर एवं मिर्जापुर जनपद में तेन्दूपत्ते का कार्य तराई विकास निगम को दिया गया है ।

जी नहीं ।

**जिला परिषद् फर्रुखाबाद के पेंशनर्स की बकाया राहत किस्तों की धनराशि का भुगतान**

138–श्री ब्रह्म दत्त–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद के पेंशनर्स को दिनांक 1-8-83 से दिनांक 1-1-85 तक स्वीकृत राहत की 10 किश्तों की बकाया धनराशि का और तदनन्तर स्वीकृत राहत की अन्य अनेक किश्तों का भुगतान अभी भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त भुगतान कराने की कृपा करेंगे और पूर्ति स्वरूप देय धनराशि पर बाजार दर से ब्याज दिलायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् फर्रुखाबाद के पत्रांक 296/मु0 वि0/जि0 प0/88-89 दिनांक 29 अगस्त, 1988 द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जिला परिषद् फर्रुखाबाद के पेंशनर्स को दिनांक 1-8-83 से दिनांक 1-1-85 तक स्वीकृत राहत की 10 किश्तों की बकाया धनराशि का और तदनन्तर स्वीकृत अन्य अनेक किस्तों का भुगतान उनके मासिक पेंशन में लगाकर निरन्तर किया जा रहा है। जून, 1988 तक का पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। उपर्युक्त किश्तों के अवशेष के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला परिषद् फर्रुखाबाद को लिखा जा चुका है। जहां तक अवशेष धनराशि पर बाजार दर से ब्याज का भुगतान करने का प्रश्न है परिषद् नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत अवशेष धनराशि पर पेंशनर्स को ब्याज दिया जा सके।

**जनपद फतेहपुर स्थित श्री बल्देव गिरि पाठशाला इण्टर कालेज, अमौली के छात्रों से अवैध धन की वसूली**

139–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर स्थित श्री बल्देव गिरि पाठशाला इण्टर कालेज, अमौली के तथाकथित प्रबन्धक के विरुद्ध विद्यालय के छात्रों से अवैध धन की वसूली की शिकायत पर प्रारम्भिक जांच के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दोषी पाए जाने पर पुलिस में प्रथम सूचना रपट अंकित करायी गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रबन्धक के प्रबंधकीय कार्यों को अमान्य कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

प्रबन्धक के प्रबन्धकीय कार्यों को अमान्य करने का कोई नियम नहीं है।

**नगर पालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के जलकर विभाग में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग**

140–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि नगर पालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के जलकर विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्षों से डेलीवेजेज कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है? पिछले दस वर्षों से ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी नियमित किये गये हैं और कितने अभी भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में चले आ रहे हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जलकल विभाग में 16 पम्प अटेन्डेन्ट एवं 6 बेलदार डेलीवेजेज पर काम कर रहे हैं।

उपरोक्त में से किसी भी कर्मचारी को अभी नियमित नहीं किया गया है सभी दैनिक वेतन पर ही कार्यरत हैं।

**जनपद लखनऊ में स्थित अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी का वाचनालय**

141—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि लखनऊ स्थित अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी का वाचनालय बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उसको जनता की सुविधा के लिए पुनः कब से चालू कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ का वाचनालय बन्द नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सीतापुर की सेवा सहकारी समिति लि0 खैराबाद के कुर्क अमीन (श्री राम स्वरूप तिवारी) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही**

142—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान सेवा सहकारी समिति लि0 खैराबाद जिला सीतापुर में कार्यरत एक कुर्क अमीन (श्री रामस्वरूप तिवारी) वर्ष 1984-85 के विरुद्ध गबन तथा भ्रष्टाचार आदि की शिकायतों के बारे में अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

श्री समर पाल सिंह—

श्री राम स्वरूप तिवारी सहकारी कुर्क अमीन के विरुद्ध गबन तथा भ्रष्टाचार की शिकायत पर श्री तिवारी की सेवायें समाप्त की जा चुकी है तथा श्री तिवारी के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

**उरई नगर पालिका में निर्माण कार्यों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके धनराशि का आहरण**

143—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उरई नगर पालिका में हुए निर्माण कार्यों के भुगतान के नाम पर पालिका की कितनी फर्जी चेकों या असली चेकों पर फर्जी हस्ताक्षरों के द्वारा वर्ष 87-88 में कितनी राशि उड़ा ले जाने के प्रकरण जानकारी में आये हैं और इस जालसाजी के संबंध में किस किस के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1987-88 में नगर पालिका, उरई में असली चेकों पर फर्जी हस्ताक्षरों से कोई धनराशि आहरित नहीं की गई ।

फर्जी चेकों पर फर्जी हस्ताक्षरों से धनराशि आहरित किये जाने के निम्नलिखित चार प्रकरण प्रकाश में आये हैं :—

(1) चेक सं0-47/4603, दि0 30-5-87 रु0 89111-75 पै0
(2) चेक सं0-47/4604 दि0 30-5-87 रु0 79981-75 पै0
(3) चेक सं0-47612, दि0 11-7-87 रु0 728, 53, 75 पै0
(4) चैकसं0-47/4613 दि0 21-8-87 रु0 85300-00

क्रमांक 1 व 2 पर अंकित चेकों की कुल धनराशि रु0 1,69,093-50 पै0 पालिका के पी0 एल0 ए0 खाता सं0–8448 से माह जून 1987 में कोषाधिकारी, उरई द्वारा डेबिट की गई ।

क्रमांक 3 व 4 पर अंकित चेकों की कुल धनराशि रु0 1,58,153-75 पै0 पालिका के खाते में डेबिट नहीं हुई ।

उपर्युक्त मामलों की जानकारी होने पर कोषाधिकारी, उरई द्वारा दिनांक 30-5-87 की उक्त दो चेकों के बारे में तथा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक उरई द्वारा दिनांक 11-7-87 एवं 21-8-87 की चेकों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली उरई में दर्ज की गयी है ।

**कोंच (जालौन) नगर के बीच स्थित ऐतिहासिक सागर ताल का सुन्दरीकरण का प्रस्ताव**

144–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि कोंच (जालौन) नगर के बीच स्थित ऐतिहासिक सागरताल के सुन्दरीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद गोरखपुर में टाउन एरिया बड़हलगंज में नाली तथा सड़कों का निर्माण**

145–श्री हरि शंकर तिवारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में बड़हलगंज टाउन एरिया में वर्ष 1987 तक जो अतिक्रमण के नाम पर तमाम मकान दूकानें गिरा दी गयी हैं वहां सड़कों तथा नालियों का निर्माण अब तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार नाली तथा सड़कों का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

टाउन एरिया कमेटी, बड़हलगंज गोरखपुर द्वारा अतिक्रमण के नाम पर कोई मकान या दूकान नहीं गिरायी गयी है, बल्कि दिनांक 13 फरवरी, 87 को सड़कों एवं नालियों के किनारे दूकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को टाउन एरिया द्वारा हटाया गया था । अतिक्रमण हट जाने के बाद टाउन एरिया बड़हलगंज द्वारा नालियाँ तथा सड़क निर्माण कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज तथा विकास खण्ड बिलग्राम द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों का जीर्णोद्धार**

146—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के माधोगंज विकास खण्ड द्वारा निर्मित प्रतापनगर रोड से बरटैयन पुरवा तथा बिलग्राम विकास खण्ड द्वारा निर्मित हबीबनगर रणेना सम्पर्क मार्गों की जीर्णावस्था से आवागमन दूभर हो गया है ? यदि हां, तो इन मार्गों की जांच कराकर जीर्णोद्धार की व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जांच करायी जा रही है। विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरान्त मार्गों के अनुरक्षण के संबंध में आवश्यक प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

**जनपद बाराबंकी में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के बंगले से मिली भूमि का मामला**

147—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी नगर में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बाराबंकी के बंगले से मिली भूमि, जो नगरपालिका की थी, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दी गई है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? क्या इससे नगरपालिका बाराबंकी को आर्थिक लाभ होगा ? यदि हां, क्या यह सही है कि यह भूमि नगरपालिका कर्मचारियों के आवास हेतु सुरक्षित थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नगरपालिका बाराबंकी के अधिशासी अधिकारी के बंगले से मिली एक बीघा दो बिस्वा सात बिसवांसी पालिका भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग को पूल्ड आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास बनाने हेतु दी गई है। शर्तों के निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूमि के एवज में नगरपालिका को कोई भुगतान नहीं हुआ है। यह भूमि नगरपालिका के कर्मचारियों के आवास हेतु सुरक्षित नहीं थी।

**जनपद बाराबंकी की नगरपालिका द्वारा रोड रोलर का क्रय**

148—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी नगरपालिका द्वारा एक रोड रोलर खरीदा गया है ? यदि हां, तो कितने दामों में ? क्या इस खरीद के पूर्व फर्मों से कोटेशन मांगे गये थे ? यदि हां, तो सबसे कम कोटेशन कितने का और किसका था ? सेकेण्ड रोलर खरीदने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि पूर्व प्रशासकों ने रोड रोलर खरीदने की सहमति नहीं दी थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां

रुपये–2,37,811-22 पैसे ।

सबसे कम कोटेशन मेसर्स रोड बिल्डिंग मशीनरी कारपोरेशन, पंजीकृत कार्यालय गनेश भवन 3, ब्लण्ट स्क्वायर, दुर्गापुरी लखनऊ का अरविन्द मूरे रोड रोलर मूल्य 2,37,811.22 पैसे का था ।

सेकेण्ड नहीं है ।

जी नहीं । सहमति दी थी ।

**नगर पालिका जौनपुर के सेवा निवृत कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र**

149–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका जौनपुर में वर्ष 1987 तक हर विभाग के कितने कर्मचारी रिटायर हुये हैं और उनके पेंशन आदि के कागजात तैयार हुए हैं कि नहीं ? . . . यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

नगरपालिका जौनपुर में वर्ष 1987 तक पालिका के विभिन्न विभागों के कुल 8 कर्मचारी सेवा निवृत्त हुये हैं, जिनमें से दो कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0 प्र0 को भेजे गये हैं ।

शेष कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि की धनराशि मय ब्याज सहित वापस न करने के कारण उनके पेंशन प्रपत्र तैयार नहीं हुए हैं ।

**जनपद बस्ती में जिला परिषद् द्वारा पशुवध के लिए लाइसेन्स दिया जाना**

150–श्री धनराज यादव–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती के जिला परिषद ने अपने नियमावली में नियम बनाया है कि बस्ती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बछड़ा, बछिया, पड़वा पड़िया तथा सांड अथवा इन पशुओं से उत्पन्न किसी भी पशु का वध नहीं किया जायेगा न इन पशुओं का मांस बाहर से जिला सीमा के अंतर्गत लाया जायेगा ? यदि हां, तो बस्ती जिले में कितने गांव में लाइसेन्स पशु वधशाला (बूचड़खाना) के लिये जिला परिषद् ने दिये हैं जैसे कि प्रश्नकर्ता को ज्ञात है कि थाना दुधारा के अन्तर्गत ग्राम सालेपुर-दुधारा, दावरिया नाल बढ़वा में पशुवध के लिए लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हां, तो जिला परिषद् के नियमों के विरुद्ध बस्ती जिले में प्रश्नगत गांवों के साथ-साथ अन्य गांवों के लाइसेन्स निरस्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय

जिला परिषद् बस्ती द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल भैंस, भैंसा, पड़वा व पड़िया के वध हेतु उपविधि बनाया गया है ।

गत वर्ष थाना दुधारा के क्षेत्र के अन्तर्गत दुधारा करमाखान, बसडौला तथा देवरिया लाल को भैंस, भैंसा अथवा उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले पशुओं को वध करने का लाइसेन्स दिया गया था जिसके नवीनीकरण हेतु वर्ष 1988-89 में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण किया जा रहा है ।

नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स गत वर्ष दिए गए अतः निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आद्यानिक विकास की सब संरचित परियोजना में श्री दिनेश चन्द्र पाठक के सुझाव पर की गयी कार्यवाही**

**151—श्री काशी सिंह एरेरी—**

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को देश के अन्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राप्त खाद्य, जड़ी बूटियों, फल फूलों व तरकारियों को उत्तराखण्ड के जनपदों में लाने व प्रसारित करने विषयक श्री दिनेश चन्द्र पाठक 501/74, पुराना हैदराबाद, लखनऊ उत्तर प्रदेश का पत्र प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1133/86 दिनांक 30-6-86 द्वारा प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो दिनांक 11 जून, 87 तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आद्यानिक विकास की नवसंरचित परियोजना में प्रश्नगत पत्र में निहित सुझाव भी समाविष्ट हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद पिथौरागढ़ के वि0 खण्ड मुनाकोट में सोंन गांव जलतेड़ी पेयजल में बड्डा बवीताड़ मोटर मार्ग के निर्माण से नुकसान**

152—श्री काशी सिंह एरेरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वि0 खण्ड मूनाकोट में सोंनगांव जलतेडी पेयजल योजना में बड्डा बवीताड़ मोटर मार्ग के निर्माण के कारण गमरोडा लोड ग्राम वडौरी में नुकसान हुआ था ? यदि हां तो इस संबंध में सा0 नि0 वि0 में कुल कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त की गयी थी ? इसमें से कितनी धनराशि से पेयजल योजना का पुनर्निर्माण किया गया ? शेष धनराशि का क्या उपयोग किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग से 1,95,457 रु0 की धनराशि प्राप्त हुई ।

योजना के पुनर्निर्माण में 1,46,428.64 रुपया व्यय हुआ । शेष धनराशि 49,028.36 रुपये कोषागार नैनीताल में जमा है ।

153–श्री काशी सिंह ऐरी–

[2रे बुद्धवार में अता0 प्र0 सं0 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

154–श्री काशी सिंह ऐरी–

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

**जिला उन्नाव में फसल बीमा की प्रीमियम से प्राप्त धनराशि और काश्तकारों के क्लेम का भुगतान**

155–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री को यह जानकारी है कि सूखे के वर्ष सा0 सह0 स0 द्वारा उन्नाव जिले में फसली ऋण देते समय फसल बीमा हेतु छोटे किसानों से ऋण का एक प्रतिशत व बड़े काश्तकारों से 2 प्रतिशत लेकर बीमा करवाया गया था ? यदि हां, तो पूरे जनपद में फसल बीमा के प्रीमियम पर सा0 स0 स0 के माध्यम से कुल कितनी धनराशि जमा हुई और सूखे से नष्ट खरीफ की फसल/धान की फसल के बदले काश्तकारों को कुल कितनी धनराशि क्लेम पर मिली ? क्या यह सच है कि उन्नाव जनपद में कहीं भी क्लेम नहीं मिला ? यदि मिला है तो, तो किन ब्लाकों में मिला है ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

खरीफ 1987-88 में बैंक द्वारा फसल बीमें के प्रीमियम के रूप में रु0 83,511/- की धनराशि जमा की गयी है ।

सहकारी वर्ष 1987-88 में धान की फसल पर बीमा कम्पनी से रु0 78,138 पैसे 77 का कुल क्लेम जनपद उन्नाव के निम्नलिखित विकास खण्डों को मिला है:–

| नाम विकास खण्ड | रुपये पैसे |
|---|---|
| 1–सिकन्दर पुर सिरौसी | 11,757.81 |
| 2–सिकन्दरपुर करन | 24,502.50 |
| 3–बिछिया | 13,423.32 |
| 4–पुरवा | 9,862.14 |
| 5–हिलौली | 3,896.70 |
| 6–असोहा | 867.73 |
| 7–सुमेरपुर | 6,663.15 |
| 8–बीघापुर | 7,165.42 |
| कुल योग : | 78,138.77 |

**गांधी इण्टर कालेज मासपुर, मर्यादपुर आजमगढ़ द्वारा स्कूल की भूमि के हेर फेर के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

156—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शैक्षिक संस्थायें अधिनियम 1974 की उप धारा—5 का उल्लंघन करके गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, मासपुर, मर्यादपुर आजमगढ़ द्वारा स्कूल की भूमि के हेर फेर के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-1-87 के संदर्भ में उनके पत्र एम0 एल0/54/ई एम/87 दिनांक 7-1-87 के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सम्बन्धित पत्र शिक्षा निदेशक को जांच हेतु प्रेषित किया गया था । शिक्षा निदेशक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को इस आशय के निर्देश दे दिये गये हैं कि विद्यालय के प्राभूत की सम्पत्ति को विभाग की पूर्व अनुमति के बिना बेचने के लिये उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्रबन्धक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद गोरखपुर के वीर चौराहा (पकड़ी रेंज) थाना महराज गंज में शिकार करते हुए पकड़े गये सब इन्सपेक्टर एवं कतिपय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कथित मामले...**

157—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के नवें सोमवार के लिए प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे प्रकरण की जांच करा ली गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के नवें सोमवार के लिए प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री कृपायेंगे कि पूरे प्रकरण की के पश्चात् मामला दिनांक 3-8-88 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम, महराजगंज, गोरखपुर के न्यायालय में दायर कर दिया गया है । मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतएव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है ।

**ग्राम्य विकास निदेशालय में विधायकों की शिकायत पर सहायकों का स्थानान्तरण**

158—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष ग्राम्य विकास निदेशालय में विधायकों की शिकायतों पर एक ही पटल पर कई वर्षों से कार्यरत सहायक बाबूलाल, सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा के0 पी0 मिश्र को अन्य पटलों पर स्थानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो इन सहायकों ने अपनी तैनाती की नयी जगहों पर कार्यभार ग्रहण किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

स्थानान्तरित सहायकों में से सर्वश्री बाबूलाल तथा के0 पी0 मिश्र ने तैनाती की नई जगहों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । शासकीय कार्य हित में श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव के स्थानान्तरण का कार्यान्वयन अभी नहीं किया गया है ।

**जनपद आगरा के सुभाष पार्क के आधुनिकीकरण पर अनुमानित व्यय**

159–श्री विजय सिंह राणा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में सुभाष पार्क के आधुनिकीकरण पर कुल व्यय कितना किया गया है और किन-किन मदों पर व्यय किया गया है ? इस व्यय का औचित्य क्या है ? क्या अन्य पार्कों का भी आधुनिकीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो उसकी योजना क्या है और कब तक पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो उस का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सुभाष पार्क के आधुनिकीकरण पर अब तक कुल रुपया 12,44,883.78 पैसे व्यय किया गया है जिसके ब्यौरे की सूची संलग्न है । सुभाष पार्क शहर के बीचों बीच मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह घनी आबादी है अतः इस क्षेत्र की जनता को इस पार्क के सौन्दर्यीकरण से घूमने तथा मनोरंजन का एक अच्छा साधन उपलब्ध हो गया है । यह पार्क अब पर्यटकों के लिये भी आकर्षण केन्द्र बन गया है ।

शाहजहां पार्क का विद्युतीकरण, तथा पालीवाल पार्क का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है । इनकी योजनायें अभी विचाराधीन हैं । योजनाओं की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 153 पर)

160–श्री विजय सिंह राणा–

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जिला सहकारी बैंक गोंडा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु मांगे गये अनुमोदन के संबंध में बिलम्ब के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही ।**

161–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0 गोण्डा के चतुर्थ श्रेणी के चार पदों का चयन 1985 या 1986 में किया गया था तथा उक्त चारों कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अनुमोदन हेतु सेवा मंडल लखनऊ को भेजा गया ? यदि हां, तो सेवा मंडल कार्यालय में वह कब प्राप्त हुआ ? क्या मार्च, 1988 तक उक्त कर्मचारियों का अनुमोदन सेवा मंडल लखनऊ द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो उसके विलम्ब के लिए कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री समर पाल सिंह--

जिला सहकारी बैंक लि0 गोण्डा द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पांच पदों का चयन जनवरी, 1986 में किया गया था ।

जी हां ।

दिनांक 19-2-86 को सेवा मंडल कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

सेवा मंडल द्वारा 5 चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध ज्येष्ठता क्रमानुसार 3 अभ्यर्थियों का अनुमोदन दे दिया गया है शेष दो पद अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा न होने के कारण अनुसूचित जाति के लिए अग्रेणीत कर दिए गए हैं ।

**जनपद इलाहाबाद के कतिपय मोहल्ले के निवासियों के लिए जीवन सुधार योजना ।**

162—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद के पूरा दलेल, पूरा पड़ाइन बाकड़ गंज, चकिया, पैदल लाइन्स (पालीटेक्निक के दक्षिण), गल्ला बाजार, कहार गल्ला, मायर गंज, सादियाबाद आदि मुहल्ले मलिन बस्ती के अन्तर्गत आते हैं और इसमें ज्यादातर कमजोर व दुर्बल वर्ग के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं ? यदि हां, तो इनके जीवन सुधार और नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु शासन क्या कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मुहल्ला पूरा दलेल एवं गल्ला बाजार मलिन बस्ती के अन्तर्गत आते हैं । शेष बस्तियां अनधिकृत हैं जिनका सर्वेक्षण कार्य नगरमहापालिका इलाहाबाद द्वारा कराया जा रहा है ।

शासन द्वारा पूरा दलेल बस्ती को वर्ष 1975-76 में रु0 40,556.00 तथा गल्ला बाजार को वर्ष 1986-87 में रु0 1,04,100.00 की धनराशि उपलब्ध कराई गई है । पूरा दलेल बस्ती का सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि गल्ला बाजार बस्ती में सुधार कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**शिक्षा द्वारा नौजवानों को रोजगार**

163—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना शासन द्वारा चलायी जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितने नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा दी जाती है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रों की संख्या ।**

164—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा सत्र 80-81 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सीतापुर जिले के स्कूलों की कक्षा एक में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या थी ? उसी प्रकार वर्ष 84-85 में कक्षा 5 में और वर्ष 87-88 में कक्षा 8 में पढ़ने वालों की कुल छात्र संख्या क्या थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद सीतापुर के नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयालयों में पढ़ने वाले छात्रों की वांछित संख्या निम्नवत है :—

| वर्ष | कक्षा | संख्या |
|---|---|---|
| 80—81 | 1 | 39536 |
| 84—85 | 5 | 22191 |
| 87—88 | 8 | 7005 |

**जनपद लखनऊ में आर्यनगर पोस्ट आफिस से दयानन्द विद्या मंदिर मोतीनगर तक नाली तथा सड़क का निर्माण ।**

165—श्री जमुना प्रसाद बोस—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के आर्यनगर पोस्ट आफिस से दयानन्द विद्या मंदिर मोतीनगर तक की मुख्य सड़क के एक ओर फुटपाथ पर ईंटें नहीं बिछी हैं तथा नालियां भी टूटी फूटी हैं जिससे नागरिकों को काफी असुविधा होती है और गंदगी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फुटपाथ पर तुरन्त ईंटें बिछवाने तथा नालियों का निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कुछ स्थानों पर फुटपाथ की ईंटें उखड़ गई हैं और नालियां भी धंस गई हैं ।

प्रश्नगत क्षेत्र में नियमित सफाई हेतु सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं और सफाई कराई जाती रहती है ।

धनाभाव के कारण प्रश्नगत कार्य कराना इस समय सम्भव नहीं है ।

**उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मंहगाई राहत दिये जाने हेतु नियमावली में संशोधन**

166—श्री जमुना प्रसाद बोस—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवा निवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 में नगरपालिका के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मंहगाई राहत दिये जाने के संबंध में कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो नियमावली के किस प्रस्तर में ? यदि नहीं, तो उक्त प्राविधान तुरन्त किये जाने अथवा नियमावली में संशोधन कर उक्त प्राविधान तुरन्त कराये जाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

नागर स्थानीय निकायों के पेंशनरों को मंहगाई राहत दिये जाने का प्रकरण अलग से शासन के विचाराधीन है । इस निमित्त उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित निवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

**जिला बस्ती के विकास खण्ड खेसरहा की निर्माणाधीन बाउन्ड्री घटिया निर्माण के कारण निरस्त**

167—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड खेसरहा की ब्लाक बाउन्ड्री जो वित्तीय वर्ष 87-88 मे निर्माणाधीन थी, घटिया निर्माण के कारण निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री श्याम सूरत उपाध्याय—**

जी हां ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य में अधमानक सामग्री की आपूर्ति के कारण निर्माण की स्वीकृति निरस्त कर दी गई और सामग्री की आपूर्ति कर्ता को वापस कर दिया गया । इस शिथिलता के लिए संबंधित अवर अभियंता की भर्त्सना की गई और उसे अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया ।

**ललितपुर जनपद में निर्बल वर्ग आवास में घटिया समान लगाये जाने के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध की गयी कार्यवाही**

168—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में वर्ष 85-86, 86-87 एवं 87-88 में प्रत्येक वर्ष में ग्रामीण अंचलों में कुल कितने हरिजन आवास गृह बने हैं तथा शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितना धन इन आवासों को बनाने हेतु दिया गया है ? क्या यह सही है कि अब तक कई ग्रामों में उक्त हरिजन आवास बनाये ही नहीं गये एवं जो बनाये गये वह घटिया किस्म के सामान के द्वारा बनाये गये जिनमें हरिजन रहने को तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या इस पूरे मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री श्याम सूरत उपाध्याय—**

ललितपुर जनपद में वर्ष 1985-86, 86-87 एवं 87-88 में निर्बल वर्ग आवास योजना के अंतर्गत क्रमशः 39, 41 एवं 100 हरिजन आवास निर्मित हुए हैं । इस हेतु उक्त वर्षों में क्रमशः 85,800 रुपये, 92,000 रुपये एवं 2,20,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

जिलास्तर पर प्रश्नगत आवासों की गुणवत्ता अथवा ग्राह्यता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । विशिष्ट सूचना के अभाव में इस संबंध में किसी जांच या कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

**ललितपुर जनपद में सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा वृक्षा रोपण तथा उसकी सुरक्षा**

169—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या वन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ललितपुर जनपद में अभी तक कितने क्षेत्रफल में तथा कितने पौधे का सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा वृक्षा रोपण किया

गया है तथा इस वृक्षारोपण में कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई ? क्या उक्त लगाये वृक्षों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सुरक्षा हेतु कितना धन अभी तक व्यय हुआ ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ललितपुर जनपद में वर्ष 1988 तक 9541·67 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाये गये कुल 115·21 लाख पौधों में से सामाजिक वानिकी वन प्रभाग द्वारा 923·20 हेक्टेयर क्षेत्र में 16·64 लाख पौध लगायी गयी, जिसमें औसतन 65 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई ।

जी हां । रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा के प्रबन्ध के लिए सुरक्षा खाई, तारबाड़ तथा पत्थर बाड़ी बनाई गयी है तथा इनके रखरखाव हेतु प्रहरी रखे गये हैं ।

सुरक्षा पर अभी तक 29·82 लाख रुपये व्यय हुआ है ।

**जनपद ललितपुर में तेन्दूपत्ती से वन निगम के द्वारा वन विभाग को प्राप्त राजस्व और हानि लाभ का विवरण**

170—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में 1984-85, 1985-86, 86-87 में वन निगम से वन विभाग को तेन्दूपत्ती के राजस्व के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि वन निगम तेन्दूपत्ती के कार्य में असफल रहा है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में वन निगम को कितना घाटा हुआ ? क्या वन निगम ने उक्त कार्य को आगे करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ? यदि हां, तो उसके पीछे क्या कारण थे ? यदि नहीं, तो किन कारण से उक्त तेन्दूपत्ती को कार्य वन निगम से वर्ष, 1987-1988 में नहीं कराया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वन विभाग को निम्नानुसार रायल्टी का भुगतान किया गया :—

| वर्ष का नाम | भुगतान की धनराशि (रुपये में) |
|---|---|
| 1984·85 (84 सीजन) .. .. .. | 24,53,100.00 |
| 1985·86 (85 सीजन) .. .. .. | 24,03,100.00 |
| 1986·87 (86 सीजन) .. .. .. | 24,03,100.00 |

जी हां। उक्त वर्षों में वन निगम को निम्न प्रकार लाभ/हानि हुई:—

| वर्ष | लाभ/हानि | धनराशि (रु0 में) |
|---|---|---|
| 1984·85 (1984 सीजन) .. .. .. | लाभ (+) | 4,16,818.00 |
| 1985·86 (1985 सीजन) .. .. .. | हानि (–) | 9,55,741.43 |
| 1986·87 (1986 सीजन) .. .. .. | हानि (–) | 24,37,444.00 |
| कुल शुद्ध हानि (–) .. .. | (–) | 29,76,367.43 |

जी नहीं।

ललितपुर जनपद के आदिवासियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1987 व वर्ष 1988 सीजन में तेन्दुपत्ती का कार्य तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम को आवंटित किया गया है ।

**जनपद ललितपुर में तराई विकास निगम को तेन्दुपत्ती से लाभ और हानि तथा वन विभाग की रायल्टी की अदायगी**

171—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में तेन्दुपत्ती का कार्य ललितपुर जनपद में तराई विकास निगम को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त वर्ष में तराई विकास निगम को कितनी लाभ या हानि हुई ? क्या तराई विकास निगम ने वन विभाग को देने वाली सम्पूर्ण रायल्टी अदा कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितनी रायल्टी वन विभाग को दी जानी थी, उसमें से कितनी रायल्टी दे दी गई तथा कितनी देना बकाया है ? वर्ष 1987-88 में वन विभाग द्वारा कितनी निकासी तराई निगम को दी गई है तथा कितनी निकासी देना बाकी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां

जनपदवार हानि-लाभ नहीं निकाला जाता है । तेन्दुपत्ती के कुल कार्य में तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम को लगभग 12 लाख रुपये का लाभ होने का अनुमान है ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा वर्ष 1986 में प्राप्त रायल्टी के दुगुनी धनराशि के बराबर वर्ष 1987 के लिए रायल्टी निर्धारित की गई । जिस पर निगम को आपत्ति है । ललितपुर के लिए पुरानी रायल्टी के आधार पर 48,06,200 रुपये की मांग है जिसमें से निगम द्वारा कुल 24,14,592 रुपये का भुगतान किया गया है ।

वन विभाग द्वारा तेन्दुपत्ता अधिनियम के अंतर्गत निकासी निगम की सूचना पर क्रेताओं को दी जाती है जो ललितपुर में कुल संग्रहीत 43034 मा0 बो0 में से 36357 की निकासी निगम द्वारा क्रेताओं के पक्ष में की जा चुकी है तथा 6677 मा0 बो0 शेष है ।

172—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 25-4-88 को अता0 प्र0 सं0 32 द्वारा उत्तरित]

173—श्री काशी सिंह ऐरी—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

**जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट के अंतर्गत ग्राम सभा कल में गर्जिया पेयजल योजना से हरिजन परिवारों को लाभ**

174—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री द्वितीय सत्र 86 के प्रथम मंगलवार के प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 198 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरा-

गढ़ के तहसील डीडीहाट अंतर्गत ग्राम सभा थल में उल्लिखित गर्जिया पेयजल योजना से किन-किन हरिजन परिवारों को दिनांक 1 जून, 1987 तक पेयजल सुविधा जल संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है ? इन परिवारों हेतु कथित योजना कितनी धनराशि खर्च करने के बाद किस वर्ष तैयार की गयी ? तैयार वर्ष के बाद से किस दर से कितनी धनराशि वर्ष वार जलकर के रूप में प्राप्त की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

तहसील डीडीहाट ग्राम सभा थल में गर्जिया नामक कोई पेयजल योजना नहीं है । विकास खण्ड डेरीनाग में गर्जिया नामक पेयजल योजना है जिसके द्वारा 1 जून, 1987 तक 8 हरिजन परिवार लाभान्वित थे ।

यह योजना 0.084 लाख रुपये लागत की थी जो अक्टूबर, 1975 में तैयार की गई । 2 रुपया प्रतिमाह प्रति स्तम्भ की दर से अग्रलिखित धनराशियां जल कर के रूप में वर्षवार प्राप्त की गई :–

| वर्ष | धनराशि (रु0 में) |
|---|---|
| 1976–77 | 90.00 |
| 1977–78 | 116.00 |
| 1978–79 | 42.00 |
| 1979–80 | 102.00 |
| 1980–81 | 78.00 |
| 1981–82 | 144.00 |
| 1982–83 | 54.00 |
| 1983–84 | 6.00 |
| 1984–85 | 16.00 |
| 1985–86 | 322.00 |
| 1986–87 | शून्य |
| 1987–88 | शून्य |

**जनपद मुरादाबाद की प्रथमा बैंक द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत ऋण विवरण में रुचि न लेने के सम्बन्ध में मोहम्मद रिजवानुल हक, सदस्य, वि0 स0 का पत्र**

175–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-5-88 को आयोजित होने वाली संचालक मंडल ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद की बैठक जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जा रही थी उसमें प्रश्नकर्ता की इस आपत्ति पर कि प्रथमा बैंक आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण में रुचि नहीं ले रहा है एक सर्व सम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शिथिलता बरतने

एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न करने पर भर्त्सना करते हुए बैंक के उच्च अधिकारियों को लिखने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो प्रथमा बैंक के अध्यक्ष तथा सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रथमा बैंक द्वारा आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण में रुचि न लेने के संबंध में संचालन के मण्डल में पारित प्रस्ताव के तारतम्य में बैंक के अध्यक्ष एवं सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के लिए इस बैंक के स्पांसर बैंक, सिंडीकेट बैंक से अनुरोध किया गया है ।

176—श्री राज किशोर सिंह—

[1ले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

177—श्री राज किशोर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

178—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[पहले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**ग्राम अभि0 सेवा फैजाबाद द्वारा मलेथू विजयनपुर-रामपुर जोहन सम्पर्क के निर्माण कार्य की जानकारी**

179—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रा0 अभि0 सेवा फैजाबाद द्वारा निर्माणाधीन एवं निर्मित सम्पर्क मार्ग मलेथू विजयनपुर-रामपुर जोहन का किस वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत प्रारम्भ किया गया और अब तक पूर्ण न होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि अभी तक एक भी पुलिया का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो सड़क की उपयोगिता क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सम्पर्क मार्ग मलेथू विजयनपुर/रामपुर जोहन का कुल लम्बाई 4.59 कि0 मी0 है । इस मार्ग पर एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में कार्य प्रारम्भ किया गया था । कुल धनराशि रुपया 1.70 लाख आवंटित की गयी थी । इसके 2.25 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष 2.34 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य तथा सम्पूर्ण लम्बाई में पुलिया निर्माण कार्य धनाभाव के कारण नहीं कराया जा सका है । जिला स्तर से अब आवश्यक पुलियों का भी निर्माण किया जा रहा है ।

**जनपद फैजाबाद के भीटी कटहेरी तथा मया ब्लाकों में नलकूपों की निःशुल्क बोरिंग तथा इन्जन आदि के खरीदने के लिए किसानों को दिये गए कर्जों में छूट**

180—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी कटहेरी तथा मया ब्लाकों में सन् 1986 में की गयी नलकूपों की निःशुल्क बोरिंगों के लिए इन्जन तथा

पंखा आदि खरीदने के लिए संबंधित किसानों को दिये गये कर्जों के छूट का पैसा संबंधित बैंकों को अभी तक नहीं भेजा गया है जिसके कारण किसानों पर पूरे कर्ज पर सूद पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने तथा किसानों को छूट की धनराशि से ब्याज मुक्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी कटेहरी तथा मया ब्लाकों में वर्ष 1986 में क्रमशः 107, 90, 77 निःशुल्क बोरिंग के सापेक्ष क्रमशः 106, 69, 73 नलकूपों को निःशुल्क बोरिंग हेतु अनुमन्य अनुदान धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है । देय अनुदान हेतु अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण न होने तथा बजट के अभाव के कारण इन विकास खण्डों में क्रमशः 1, 21 एवं 4 कृषकों को अनुदान नहीं दिया जा सका । छूट की धनराशि से ब्याज मुक्त करने का प्राविधान नहीं है ।

**जनपद बांदा में शेर से घायल श्री सुन्दर लाल कहार को आर्थिक सहायता देने के संबंध में प्रश्नकर्ता की पत्र पर कार्यवाही**

181–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ए/156/सी0 एम0/88, दिनांक 30 जनवरी, 1988 बांदा जनपद के श्री सुन्दरलाल कहार ग्राम पुरैनिया थाना कालिंजर के पत्र के साथ शेर द्वारा घायल करने के कारण आर्थिक सहायता के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा कितनी आर्थिक सहायता शासन अथवा जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र के साथ श्री सुन्दर लाल कहार निवासी ग्राम पुरैनिया थाना कालिंजर का पत्र जिलाधिकारी बांदा को उसकी आख्या प्राप्त करने हेतु मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा मूलरूप में भेज दिया गया था तथा जिलाधिकारी से आख्या प्रतीक्षित है किन्तु श्री सुन्दर लाल कहार का एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र वन्यजीव प्रतिपालक, रानीपुर वन्यजीव विहार, कर्वी, बांदा के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिस पर उनके द्वारा अंक करायी गयी थी । श्री सुन्दर लाल कहार द्वारा नियमों के अंतर्गत अपेक्षित राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी ।

**जनपद सागर में संजय गैसेस योजना के अंतर्गत मा0 विधायकों को भवन आवंटित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश**

182–श्री विजय सिंह राणा–

क्या मंत्री विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सागर में संजय गैसेस योजना के अंतर्गत माननीय विधायकों को भवन आवंटित करने के संदर्भ में सचिव विधान परिषद् द्वारा विधान प्राधिकरण सागर के लिए पत्र सं0-40/वि0 प0-325/वि0 आ0 प0/83, दिनांक 20-1-87 के संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

क्या विकास प्राधिकरण ने आवंटन के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये किसी स्थगन आदेश का विवरण दिया है ? यदि हां, तो वह स्थगन आदेश क्या है और कब दिया गया है, उसे निरस्त कराने हेतु विकास प्राधिकरण ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण सचिव, विधान परिषद् के पत्र संख्या-40/वि0 प0-325/वि0 आर0 स0/83, दिनांक 20-1-87 के संदर्भ में आवंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की गई ।

जी हां, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश का विवरण दिया गया है । स्थगन आदेश यह है कि संजय प्लेस ग्रुप हाउसिंग योजना में 25 भवन आरक्षित रखे जायें एवं न्यायालय के अग्रिम आदेश तक उन्हें किसी को आवंटित न किया जाय और यदि प्रार्थीगण को मामले में सफलता प्राप्त होती है तो आरक्षित भवन प्रार्थीगण को ही आवंटित किये जायें । यह स्थगन आदेश दिनांक 9-8-85 को दिया गया है । उसे निरस्त कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा पैरवी की गई और दिनांक 12-4-88 को स्थगन आदेश खारिज कर दिया गया है ।

**जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित धनसाली धुत्र मोटर मार्ग को चौड़ा करने की योजना**

183–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को विदित है कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित धनसाली-धुत्र मोटर मार्ग बहुत संकरा व दुर्गम पहाड़ों से होकर जाता है ? उक्त मोटर मार्ग को चौड़ा करके सुधार करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

धनसाली से धुत्तु तक 31 कि0 मी0 लम्बा कच्चा मार्ग निर्मित है जिसकी चौड़ाई 5.20 मीटर है ।

धनाभाव की गम्भीर स्थिति के कारण इस मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

**जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 की भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना में स्वीकृत मार्गों के निर्माण में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

184–श्री मित्रसेन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर फैजाबाद के अंतर्गत आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 की भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग स्वीकृत एवं कब से निर्माणाधीन हैं ? वर्ष 1987-88 में किन-किन मार्गों पर कितना-कितना काम कराया गया ? अवशेष कार्य पूर्ण न कराये जाने के संबंध में कौन लोग उदासीनता के दोषी हैं ? क्या उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद गोरखपुर में एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत निर्मित सड़क पचरुखिया-बरवचइनिया मार्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

185–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत बन रही सड़क पचरुखिया-बरवचइनिया मार्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत प्रश्नकर्ता ने विभाग को माह फरवरी, 88 में दी थी ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन मुख्य मार्ग से कतिपय प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों का अकारण मार्ग परिवर्तन**

186–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद में निर्माणाधीन मुख्य मार्ग से बसहिया-बुजुर्ग मार्ग रामपुर उपाध्याय घनहा मार्ग का प्रस्ताव डी0 आर0 डी0 ए0 ने किया था जिसका मार्ग परिवर्तन ठेकेदारों ने कर दिया जिसकी शिकायत की गई है ? यदि हां, तो स्पष्ट प्रस्ताव के विरुद्ध निर्माण कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 8-5-88 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत बसहिया बुजुर्ग रामपुर घनहा के स्थान पर दूसरे सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना किसी पूर्व स्वीकृति के कराये जाने की शिकायत की गई थी । इस सम्बन्ध में जांच कराई गई और स्वीकृत सम्पर्क मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है ।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन में पट्टों की शर्तों का पालन किया जाना**

187–श्री अवधेश प्रसाद–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुद्रित लीज डीड में उल्लिखित सम्पूर्ण शर्तें क्या हैं ? क्या दिनांक 27-1-86 को श्री मो0 सिद्दीक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि किया गया हो, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

लीज डीड की मुख्य शर्तें संलग्न हैं ।

श्री मो0 सिद्दीक का प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकारा नहीं गया ।

क्योंकि अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को श्री सिद्दीक द्वारा प्रस्तावित भवन एवं भूखण्ड को लेने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 154 पर)

**संयुक्त सचिव 'ए' विभाग प्रतिपालक, हवाले श्री मो0 सिद्दीक पुत्र गुलाम महम्मद**

**[illegible], [illegible] भूमि आवंटन के सम्बन्ध में एक-[illegible]**

188—श्री [illegible] :—

[illegible] 87 के पहले [illegible] प्र0 सं0 127 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या [illegible] यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-1-86 के मार्थना पत्र की [illegible] के सन्दर्भ में 10-2-86 को आवंटन पत्र के अनुसार 17-2-87 को प्रार्थना पत्र में [illegible] की भूमि व भवन के बाद के बर [illegible] ? यदि हां, तो भी [illegible] का भवन [illegible] भूमि पर [illegible] अथवा प्रस्तावित भवन [illegible] आज की तारीख में [illegible] मुआवजा निर्धारित करने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री [illegible] :—

जी नहीं । चूंकि भूमि [illegible] नहीं किया गया अतः मुआवजा की दर का प्रश्न असंगत है ।

चूंकि भूमि तथा भवन अधिग्रहीत नहीं किये गये अतः भवन संबंधित क्षेत्रफल प्रकार अथवा मुआवजा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित छाम मैण्डरवाल सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण के आदेश**

189—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल में स्थित छाम मैण्डरवाल सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण किए जाने के आदेश मुख्य मंत्री जी ने विभाग को दिए हैं ? यदि हां, तो कब ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मार्ग के निर्माण के लिए शासनादेश निर्गत करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? कब तक आदेश दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, प्रश्नकर्ता सदस्य महोदय के पत्र पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 29-4-87 को आदेश दिये थे । उक्त नये कार्य की स्वीकृति पूर्व स्वीकृत मार्गों के निर्माण को पूरा करने के लिये ही वांछित परिव्यय तथा आय-व्ययक में धन की कमी के कारण स्वीकृति का शासनादेश जारी नहीं किया जा सका है ।

## जनपद टिहरी गढ़वाल में हाईड्रम स्कीम पर अनुमानित व्यय

190—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में अब तक कितनी हाईड्रम स्कीम बनाई गई हैं ? इन योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि कितनी है तथा कौन-कौन सी हाईड्रम योजनाएं कार्य कर रही हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद टिहरी गढ़वाल में मार्च, 1988 तक 45 हाईड्रम योजनायें बनायी गयी हैं । इन योजनाओं पर एक करोड़ सत्तरह लाख, इकहत्तर हजार रुपये की धनराशि खर्च की गयी है । चालू योजनाओं की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 155 पर)

## जनपद टिहरी में स्थित मडोलिया हाईड्रम योजना की देख-रेख के लिए चौकीदार की नियुक्ति

191—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को विदित है कि टिहरी जनपद में स्थित मडोलिया हाईड्रम योजनागत दस वर्षों से अधिक समय से बेकार पड़ी है और उसकी देखरेख के लिए चौकीदार रखा हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

चौकीदार सामान की देख-रेख के लिये रखा गया था जिसे गत दो वर्ष पहले हटा दिया गया है ।

## जनपद टिहरी की हाईड्रम योजना को चालू करने की योजना

192—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हाईड्रम की जो योजनाएं टिहरी जनपद में निष्क्रिय पड़ी हैं उनको चालू करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बन्द पड़ी 13 योजनाओं में से 9 योजनाओं को चालू करने की कार्यवाही की जा रही है ।

## कमाण्ड एरिया के कर्मचारियों की शासन के क्षेत्रीय विकास विभाग से वापसी

193—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय विकास विभाग में कमाण्ड एरिया के कितने कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र के बाहर शासन के क्षेत्रीय विकास विभाग में संबद्ध हैं ? क्या उनमें से कोई ऐसा भी कर्मचारी है जो पिछले लगभग 12-13

पदों से शासन से सम्बद्ध है तथा उससे नीति निर्धारण विषयक एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित शासन को गोपनीय पत्रावलियों का निस्तारण कराया जाता है ? यदि हां, तो उन्हें शासन से सम्बद्ध रखने का क्या औचित्य है ? क्या उक्त कर्मचारी तथा अन्य सम्बद्ध कर्मचारियों को तत्काल वापस किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शासन के क्षेत्रीय विकास विभाग में 5 कर्मचारी सम्बद्ध हैं ।

जी हां ।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य निस्तारित कराया जाता है, गोपनीय पत्रावलियां नहीं ।

अनुभव का उपयोग शासन स्तर पर स्थापित प्रोजेक्ट मानिटरिंग सेल में लिया जा रहा है ।

शासन स्तर पर कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर निर्णय लिया जायेगा ।

**जनपद लखनऊ के गन्ने वाली गली (अमीनाबाद) में सीवर लाइन डालने की मांग**

194–डा0 बंगाली सिंह–

प्रथम सत्र 1988 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री काशी सिंह एरी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संबंध में क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने वाली गली (गढ़ैइया) अमीनाबाद के निवासियों से जब गृहकर, सीवर कर वसूल किया जाता है तो वहां सीवर लाइन न बिछाए जाने के क्या कारण हैं ? सीवर लाइन न बिछाए जा सकने की दशा में वहां के निवासियों का गृह कर एवं सीवर कर माफ करने की मंत्री जी कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

संबंधित क्षेत्र, आस-पास के क्षेत्र से नीचे धरातल पर होने के कारण वहां सीवर लाइन डालना व्यावहारिक एवं आर्थिक रूप से संभव नहीं है ।

गृहकर का सीवर लाइन से कोई संबंध नहीं है, अतः गृहकर माफ किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । सीवरकर उन गृहों से लिया जाता है जिनके भू-गृहादि से 100 मीटर की परिधि में सीवर लाइन उपलब्ध होती है । चूंकि वहां 100 मीटर की परिधि में सीवर लाइन उपलब्ध है । अतः वहां के निवासियों से सीवरकर लिया जाता है ।

**जनपद आगरा में नील गायों से किसानों की फसलों को क्षति**

195–श्री विजय सिंह राणा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में नील गायों के द्वारा किसानों की फसल की तबाही को देखकर वहां नील गाय के शिकार के लाइसेंस जारी किये गये ? यदि हां, तो कब और कितने, साथ ही नील गायों को पकड़ कर बाड़ों में रखे जाने की भी कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो इस व्यवस्था को

कब से लागू किया जायगा और इस हेतु क्या जिला स्तर पर कोई आरक्षित उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो कब और कितनी, और नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जिला प्रशासन, आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा जनपद में नील-गायों द्वारा किसानों की फसल की तबाही करने के संबंध में नीलगायों को नष्ट करने हेतु कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है ।

नीलगायों को पकड़कर बाड़ों में रखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और न नील-गायों को पकड़कर बाड़े में रखे जाने की कोई योजना है । अतः जिला स्तर पर कोई धनराशि उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य श्री रणजीत के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

यह विधि की विडम्बना है कि सामान्यतः हमको सम्माननीय वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायकों, विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या, निधन के दुःखद समाचारों से अवगत होना पड़ता है । मुझे अत्यन्त खेद और दुःख इस बात का उल्लेख करना पड़ रहा है कि सम्माननीय सदस्य श्री रणजीत जी, जो इस विधान सभा के सदस्य थे, कल 23 जून, 1988 को [illegible] में हत्या किये जाने के कारण निधन हो गया । श्री रणजीत जी सौम्य स्वभाव के सक्रिय समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ थे । वह जिला सहकारी बैंक, [illegible] के डायरेक्टर तथा सहकारी गन्ना समिति, गौरी बाजार के अध्यक्ष भी रहे । उन्होंने ग्रामीण जनता की काफी प्रमुख के रूप में सेवा की, ग्राम प्रधान के रूप में रहकर सेवा की तथा राजनीतिक जीवन में लोगों को सहयोग किया, उससे वह लोगों के दिलों में लगातार ऊंचे ही उठते गये । हमें अत्यन्त खेद है कि ऐसे एक युवा विधायक का निधन अकस्मात दुःखद परिस्थितियों में हुआ और इस प्रकार केवल देवरिया जनपद को ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश को एक अच्छे कार्यकर्ता, समाजसेवी एवं राजनीतिक साथी की सेवाओं से वंचित होना पड़ा । वह प्रथम बार मार्च, 1985 में सामान्य निर्वाचन में गौरीबाजार, देवरिया से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्रीमन् मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप कृपया इस सदन की ओर मेरे दल की शोक सम्वेदनाओं को, श्री रणजीत जी के परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने सत्ता पक्ष की तरफ से जो श्रद्धांजलियां व्यक्त की हैं, हमारे इस माननीय सदन के सदस्य श्री रणजीत जी के प्रति [illegible], मैं उनसे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं । [ x x x ] रणजीत जी के संबंध में मुझे कहना है कि माननीय रणजीत जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम प्रधानी से की, ग्राम प्रधान चुने जाने के बाद वह ब्लाक प्रमुख चुने गये, उसके बाद

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:-[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वह प्रथम बार इस सदन के सदस्य चुनकर हमारे बीच में आये । उनकी हत्या के बाद मैं स्वयं वहां पर गया था और हमने इस बात की हकीकत को जाना और सारा क्षेत्र इस हकीकत को जानता है कि उनकी हत्या का कारण उनकी लोकप्रियता थी । माननीय रणजीत जी का घर गौरीबाजार थाने के सामने था और थाने से 50 गज की दूरी पर ही उनकी हत्या हुयी, लेकिन वहां की पुलिस कम से कम एक घन्टे के बाद वहां पहुंची । ऐसे माननीय सदस्य, जो 40 वर्ष की अल्पायु में हत्या का शिकार हुए और अपने पीछे अपने दो अवयस्क पुत्र और पांच पुत्रियों को छोड़कर हमसे विदा हो गये और वह आज हमारे बीच में नहीं हैं । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि माननीय रणजीत जी समय-समय पर, इस सदन के अन्दर अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को बड़ी कुशलता और प्रखरता के साथ उठाते रहते थे, ऐसे व्यक्ति के निधन से, देवरिया जनपद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी और मेरे दल की संवेदनाओं को माननीय रणजीत जी के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं नेता सदन और माननीय श्री यादव जी से अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय श्री रणजीत सिंह जी के निधन के सम्बन्ध में आपसे व माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उनका एक मामला इसी सदन में आया था । एक दरोगा के साथ उनकी रंजिस थी। उनका मामला विशेषाधिकार समिति में रखा गया था और मैं भी उस कमेटी का सदस्य था । श्री रणजीत सिंह जी के भी बयान हुए और उस दरोगा के भी बयान हुए, लेकिन उस समिति में मेरी अनसुनी की गई । मैं इस धारणा का था कि कभी न कभी श्री रणजीत सिंह जी की हत्या कर दी जायेगी। एक बार उस दरोगा ने उन्हें मोटर साइकिल से उतारकर मारा-पीटा था । हमारे विधायकों के साथ पुलिस का इस प्रकार का व्यवहार रहता है और इस सदन में अनसुनी कर दी जाती है। यदि इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ हम कुछ नहीं कर पायेंगे तो ऐसी हत्याओं का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे नये मुख्य मंत्री जी, जो हमारे मित्र भी हैं, उनसे कहूंगा कि श्री रणजीत सिंह जी की हत्या की जांच भी आप करवा रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे ये शोक संवेदना के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, स्व0 रणजीत सिंह जी इस विधान सभा में सदस्य चुनकर आये थे, उस समय सौभाग्य से माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी यहां पर मुख्य मंत्री थे। जैसा कि माननीय श्री राम शरण दास जी ने बताया कि एक दरोगा का उनके साथ बड़ी तेजी से विवाद हुआ और उस दरोगा के कारनामों को हम यहां सदन में लाये और आपने कृपा कर उसका स्थानान्तरण कर दिया था। आज सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं । इसका एक कारण यह है कि अधिकांश माननीय विधायकों को वह तरजीह नहीं देते, जो उन्हें दी जानी चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जाता है। आज ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और जो वह चाहती है, अन्ततोगत्वा वहीं होता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दरोगा का स्थानान्तरण कर दिया, लेकिन स्थानान्तरण के बाद फिर दो साल के अन्दर वह दरोगा वहीं आ गया। श्री रणजीत सिंह जी की हत्या दिन-दहाड़े की गई थी और उनकी हत्या में उस दरोगा की भी साजिश है। आपने केवल मुल्जिमों को तो पकड़ लिया और एक खानापूरी कर दी और कहने लगे कि हमने इतनी तत्परता से काम किया। मान्यवर, एक बार नहीं अनेक बार श्री रणजीत जी ने प्रार्थना-पत्र दिये थे कि हमारी जान को खतरा है। उस दरोगा ने उनकी कथनी को चरितार्थ कर दिया। आज यह केवल खानापूरी करने के कारण ही समाज में और राजनैतिक जीवन में ह्रास आ रहा है और इस तरह की कठिनाइयां आ रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप उस दरोगा के खिलाफ 120-बी के तहत कार्यवाही करेंगे। दूसरा, यह कि अगर वह दरोगा वहां से हटाया गया था फिर 2 साल के अन्दर फिर उसी जिले में कैसे आ गया इसे आप देखें। यह एक गम्भीर विषय है।

मुझे उम्मीद है कि आप केवल यहां शोक संवेदना ही नहीं व्यक्त करेंगे बल्कि इस पर कार्यवाही भी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो स्वर्गीय कल्याल की हत्या हुई, इनाकी हुई और इसी तरह से इस विधान सभा में कई विधायकों की संवेदना देनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा इस पर कार्यवाही होनी चाहिये। आपने घोषणा की थी कि 50 हजार रु0 उनके परिवार को दिया जायगा, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उनके परिवार को रुपया नहीं दिया जा सका। जून का यह मामला है, अक्टूबर आ गया लेकिन वह रुपया उनके परिवार को आज तक नहीं मिला। उनका छोटा सा पुत्र जो 12-14 साल का है, 3-4 दिन पहले मुझसे सचिवालय में मिला था। मैं आग्रह करूंगा कि यह धन उनके परिवार को दिलवायें और उस दरोगा के खिलाफ पूरे कागजात आपके सचिवालय में मौजूद हैं, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करायें तभी हम उनको सही सम्वेदना दे पायेंगे और भविष्य में नजीर कायम करेंगे कि दरोगा और छोटे-मोटे अफसर ऐसी हिम्मत न कर सकें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

स्वर्गीय श्री रणजीत जी के निधन के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय श्री तिवारी जी, नेता विरोधी दल, राम शरण जी और श्री रेवती रमण सिंह द्वारा व्यक्त किये गये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

यह बात सही है कि जो इस संसार में आया है, उसे जाना है और यह संवेदना व्यक्त करने का कर्मकाण्ड भी होता रहेगा लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिस ढंग से श्री रणजीत सिंह की हत्या की गयी, वह अत्यन्त चिन्ता की बात है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के प्रशासन पर वह एक कलंक है कि यह सरकार एक जनप्रतिनिधि की रक्षा करने में असफल रही। सरकार को इस बात की जानकारी थी कि उनके प्राणों पर संकट है, एक पुलिस कर्मी उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। थाने के बाहर उनके घर के पास हत्या कर दी जाय, इससे ज्यादा चिन्ता की बात नहीं हो सकती। इसके साथ ही मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह ग्रामीण अंचल की धरती से जुड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए नेताओं में से थे, वह विधायक भी रहे। वह निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने वाले समाजसेवी थे। उनके न रहने से प्रदेश के सामाजिक जीवन में जो रिक्तता उत्पन्न हुई है, उसको भरना कठिन है। मैं अपने और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी यह भावनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मित्रसेन–

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो स्वर्गीय श्री रणजीत जी के निधन के सम्बन्ध में संवेदना के भाव व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जिस प्रकार से रणजीत जी की हत्या हुई है, वह हम सब के लिये चिन्ता की बात है। विशेषकर आपको इस पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं। अगर इसी प्रकार होता रहा कि जो हमारे रक्षक हैं, वह भक्षक बन जायं तो रक्षा की समस्या हो जायगी कि किससे उम्मीद की जाय। श्री रणजीत जी की हत्या की जिम्मेदार अगर पुलिस है तो यह शासन के लिये कलंक की बात है। इससे सरकार के प्रति न केवल अविश्वास पैदा होता है बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल होती है। सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए कि जो समाज की सेवा करते हैं और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिये हर समय संघर्ष करते हैं, उनकी हत्या में अगर पुलिस की शिरकत हो जाय तो यह इस शासन के लिये अत्यन्त शर्म की बात है।

स्वर्गीय रणजीत सिंह जी के बारे में जितना शोक व्यक्त किया जाय, कम है। वह अपनी आधी जिन्दगी में ही इस संसार से चले गये। अपने क्षेत्र में उनको अपनी आधी जिन्दगी और जो सेवा करने का अवसर मिलता, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। नीचे की ग्रामीण अंचल की जनता की समस्याओं से वह जुड़े हुए थे। वे गांव प्रधान रहे प्रमुख रहे और बैंक की सहकारिता समिति में भी रहे, वे सीढ़ी दर सीढ़ी उठे थे। उनकी समाज सेवा की पकड़ जनता के बीच रही है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी संवेदना के शब्द उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौशिक रमा शंकर–

माननीय श्री रणजीत जी के बारे में अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय रणजीत सिंह की हत्या जिस प्रकार से हुई वह सारी बातें बहुत स्पष्ट हैं और हमारे प्रदेश में राजनीतिक वातावरण और सामाजिक सेवाओं में लगे हुए जो लोग हैं उनके साथ जिस प्रकार से हिंसा का व्यवहार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हम सभी लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये हम इस बढ़ती हुई हिंसा को रोकें।

मान्यवर, स्वर्गीय रणजीत जी एक अच्छे और मझे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन बहुत नीचे की राजनीति से शुरू किया था और वे प्रदेश की राजनीति में बढ़ते-बढ़ते आगे आये थे। मान्यवर, उनके निधन से हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो रिक्तता आयी है उसको भर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने और अपने दल की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त

परिवार तक आप हमारी सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय नेता विरोधी दल ने तथा माननीय अन्य दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार श्री रणजीत सिंह के निधन के बारे में व्यक्त किये हैं, उनमें मैं अपने को और सब निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो योगदान रहा है उससे सभी लोग परिचित हैं। उनकी हत्या से प्रदेश की शान्ति-व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है प्रदेश की शान्ति व्यवस्था प्रश्न चिन्ह बन कर रह गयी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी सम्वेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री देव कुमार यादव–

हर मृत्यु का समाचार बहुत दुखद होता है लेकिन जिनके जीवन का अन्त हत्या से होता है वह बहुत गहरा आघात व्यक्ति के हृदय में छोड़ जाती है। मान्यवर, श्री रणजीत जी का निधन जिन दुखद परिस्थितियों में हुआ वह केवल उनके परिवार के लिये ही नहीं बल्कि न केवल उनके क्षेत्र और जनपद के लिये बल्कि हमारे देश और प्रदेश के समस्त लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये बहुत बड़ा आघात है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर जिस तरह से सार्वजनिक जीवन में लोगों के जीवन के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार और अपराधकारी व्यक्तियों की ताकतें बढ़ रही हैं, उसको बहुत गम्भीरतापूर्वक लेना होगा। मान्यवर, हम लोग प्रति दिन के जीवन में सार्वजनिक क्षेत्रों में घूमते हैं, सार्वजनिक जीवन के हित में काम करते हैं, किस तरह से आज सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा है, वे लोग किस प्रकार से हमलों का शिकार हो रहे हैं, उनको पुलिस और भ्रष्टाचारी अधिकारियों तथा समाज-विरोधी तत्वों से विरोध करना पड़ता है सार्वजनिक जीवन में, ऐसे तत्व जब उनको समाज में बर्दाश्त नहीं करते हैं तो शान्ति-व्यवस्था के रक्षक यही पुलिस वाले उनसे असन्तुष्ट होकर उनके भक्षक बन जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं और उनके जीवन को ही समाप्त कर देते हैं।

यह मान्यवर, बहुत चिन्ता का विषय है और सदन में पहली ही बार नहीं, अभी जो सदस्य बैठे हैं, उनमें से कई सदस्यों ने शंका व्यक्त की है कि उनके जीवन को खतरा है तो ऐसे प्रकरणों की गम्भीरता के लिए सरकार द्वारा प्रभावशाली कार्य किये जाने चाहिए। जिन जनपदों में ऐसी घटनायें हों, वहां की पुलिस को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिला अधिकारियों को संवैधानिक रूप से उत्तर-दायी ठहराया जाना चाहिए। हम लोग सदन में बार बार यही संवेदनायें व्यक्त करते हैं, मैं शासन से आग्रह करता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे। मैं माननीय रणजीत सिंह के निधन पर अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करके इस आशय से आग्रह करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री फजलुल बारी–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य नेताओं ने जो रणजीत जी के कत्ल के संबंध में अपने ख्यालातों का इजहार किया है, मैं कहना चाहता हूं कि जो दुनिया में पैदा हुआ है, उसकी मौत यकीनन होती है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय रणजीत जी की मृत्यु हुई है, वह बड़े दुख की चीज है । उनका चेहरा आज भी नजर के सामने घूम जाता है । मुझे वह दिन याद है जब उन्होंने पुलिस कर्मियों के खिलाफ इसी सदन में प्रश्न उठाया था । इस कत्ल में जो स्वर्गीय रणजीत जी का हुआ है, उसमें देवरिया के बड़े पुलिस अफसरों का हाथ था, यह आम जनता कह रही है, बच्चा बच्चा बोल रहा है । बड़े अफसर जिनकी रिश्तेदारियां बड़े-बड़े राजनैतिक लोगों से हैं, उन्होंने कराया है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा है ।

जैसा कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा, कि 120-बी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जब ढके हुए मामले पर सरकार चला सकती है, तो खुले हुए मामले में 120-बी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । वहां के पुलिस अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है । सदन में इस तरह की बहुत सी संवेदनायें आती रहती हैं, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी के संबंध में सोचना चाहिए । बहुत से सदस्य बराबर इस बात को कहते रहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उनकी जिन्दगी को बचाने का कोई इन्तजाम नहीं होता है और हम यहां पर दो मिनट का साइलेंस कर लेते हैं और घर चले जाते हैं । डेढ़ लाख से ज्यादा वोटों से चुनकर आये हुए आदमी के जीवन की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं, और अगर जनता में असुरक्षा उत्पन्न हो जायेगी तो जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जायेगा । तो मैं चाहूंगा कि आप इस ओर तवज्जह दें । इन शब्दों के साथ मैं श्री रणजीत सिंह के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी गम की भावनायें उनके परिवार तक पहुंचा दी जायें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने श्री रणजीत सिंह के निधन के बारे में जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को सहमत करता हूं । माननीय रणजीत सिंह मेरे जनपद के थे, उनका विधान सभाई क्षेत्र मेरे क्षेत्र से संलग्न है । स्व0 रणजीत सिंह जी ने इस तरीके की आशंका उन्होंने इस विधान सभा में नियम 301 के अन्तर्गत पिछली बार व्यक्त की थी कि उनकी हत्या देवरिया जनपद की पुलिस आपराधिक तत्वों की साजिश से करना चाहती है । उसके पश्चात उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई और वह मामला विशेषाधिकार समिति में भी गया । उसके बाद भी उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी कि उनकी हत्या होने की आशंका है । उसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो गैंडो उन्हें दिया था उसको भी वापस ले लिया । इस प्रकार एक तरफ तो माननीय सदस्य यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी हत्या हो जायेगी और दूसरी तरफ सरकार ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनकी सुरक्षा के लिए शैडो पुलिस कर्मी की जो सुविधा दी थी उसे वापस ले लिया, इसका क्या औचित्य था ?

मान्यवर, साढ़े छः बजे शाम को सरेआम यह हत्या हुई । गर्मी के दिन थे, सूर्य की रोशनी में दिन दहाड़े थाने से 50 मीटर की दूरी पर यह हत्या करने के बाद हत्यारा जब मोटर साइकिल से भागता है और जनता यह बताती है कि उस दिशा में वह गया है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए विपरीत दिशा में जाती है । इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की मंशा हत्यारों को पकड़ने की नहीं थी । सवा आठ बजे कसया में मुझे वायरलेस द्वारा सूचना मिली कि उनकी हत्या हो गयी है उसके बाद पौने 9 बजे तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई । हत्या के 5 घंटे बाद तक पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर नहीं गये । सारा पुलिस प्रशासन वहां पर मूक दर्शक बना देखता रहा । अपने नेता के विछोह में जनता उग्र थी, आक्रोश में थी, पत्थरबाजी कर रही थी । जिला प्रशासन वायरलेस से यह सूचना प्राप्त कर रहा था कि वहां पर जनता आक्रोश में है । किन्तु घटनास्थल पर जाने से भयभीत थे । ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे हत्यारों को पकड़ा जा सके और उसकी छान-बीन कर सके । इसके लिए जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक 11 बजे तक घटना-स्थल पर नहीं गये । इससे साफ जाहिर है कि इस सरकार की नौकरशाही जनप्रति-निधियों के साथ किस तरह का उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है । एक तरफ माननीय सदस्यों की इस तरह से निर्मम हत्या की जाती है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए । मेरा निवेदन है कि इस मामले में जिन अधिकारियों ने उदासीनता बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्य-वाही होनी चाहिए । सरकार ने एक प्राविधान किया है कि किसी भी दरोगा की नियुक्ति उसके गृह रेंज में नहीं होगी जिसके लिए उन्होंने शिकायत भी की थी । वही पुलिस अधिकारी उसी रेंज का रहने वाला था । माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय किन्तु उनका वहां से स्थानान्तरण नहीं हुआ । वह उसी रेंज में लगातार 3 वर्षों तक रहा और बाद में वे इससे साजिश के शिकार हुए । विधान सभा के गत सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि इस सत्र में उसे स्थानान्तारित कर दिया जायेगा किन्तु उसे अब तक हटाया नहीं गया ।

मान्यवर, माननीय रणजीत सिंह ग्राम सभा से विधान सभा तक पहुंचे । पांच साल वह ब्लाक प्रमुख भी थे । वे जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष तथा गन्ना समितियों के निदेशक भी थे । उनके परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत ही शोचनीय है। वे एक अत्यन्त गरीब परिवार के थे । उनके परिवार की आजीविका चलाना कठिन हो गया है । जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया कि उनके दो बच्चे और 5 नाबालिग पुत्रियां हैं । उनका परिवार कैसे चलेगा यह कहना मुश्किल है । मैं उनकी विशेष परिस्थितियों में, उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनके परिवार के लिए पेंशन की व्यवस्था करें जिससे उनका परिवार अपनी आजीविका चला सके । मान्यवर, सैयद मोदी का हत्या कांड हुआ, सी0 बी0 आई0 उसकी जांच कर रहा है । उसको एक राजनैतिक शेप दे दिया गया है । माननीय रणजीत सिंह जी की हत्या आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई लेकिन उसको छिपाने की कोशिश

की जा रही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन माननीय सदस्य की हत्या के क्या कारण हैं इसके लिए आप सी0 बी0 आई0 से जांच करवा दें । रणजीत सिंह जुझारू और संघर्ष शील नेता थे । उनकी हत्या से मेरे जनपद की अपूरणीय क्षति हुई है इन शब्दों के साथ आपसे आग्रह है कि आप हमारी इन शोक-संतप्त संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दें तथा ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को यह महान दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें । धन्यवाद ।

(डाक्टर संजय सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

[xxx] (व्यवधान) ।

यह क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठें । निधन के निदेश के सिलसिले में .... यह उसका अवसर नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मैं किसी विवाद की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन इन्होंने माननीय सदस्य के लिए कातिल कहा है । यह इस सदन के लिए गरिमापूर्ण बात नहीं है । इस तरह के अप्रासंगिक, अमर्यादित तथा असंसदीय शब्दों का प्रयोग यहां पर नहीं होना चाहिए । आपसे प्रार्थना है कि ऐसे जो शब्द कहे गये हैं उन्हें आप कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो उन्होंने कहा है वह कतई मुनासिब नहीं है ।

*डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, स्व0 रणजीत जी जो देवरिया से इस सम्मानित सदन के सदस्य थे के संबंध में जो संवेदना माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य विरोधी पक्ष के माननीय नेताओं ने प्रकट की है मैं भी अपने को उससे जोड़ता हूं । माननीय नेता सदन से विशेषकर आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह की माननीय रेवती रमण सिंह जी तथा माननीय शाही जी ने बातें कहीं हैं कि इस सम्मानित सदन के सदस्य होते हुए जिनके जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो निश्चितरूप से साधारण आम जनता के जीवन को किस प्रकार हम सुरक्षित करने का ठेका ले सकते हैं । मैं चाहूंगा कि जो भी मांग स्व0 रणजीत सिंह जी के बारे में की गयी है उस पर अवश्य विचार करें और जो भी कठोर से कठोर दंड अपराधियों को दिया जाय उसकी व्यवस्था करें । स्व0 रणजीत जी के शोक संतप्त परिवार तक हमारी तरफ से और हमारे साथियों की तरफ से शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

---

नोट :–[ xxx ] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**श्री अध्यक्ष–**

स्व0 रणजीत जी को 26 जून, 1988 को गोली का निशाना बनाये जाने से निधन हो गया । वह 2 जून, 1942 को पैदा हुए थे और 1985 के चुनाव में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर चुने गये थे । वह जिला देवरिया के रहने वाले थे । जो विचार आप सब ने उनके संबंध में व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं और जो बातें माननीय रेवती रमण सिंह और माननीय सूर्य प्रताप शाही ने कही हैं मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उस पर विचार करेगी और आप सब की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचायी जायेगी । अब आप दो मिनट उनके सम्मान में खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

**उ0 प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्व श्री ब्रज मोहन लाल शास्त्री, भैरवदत्त धूलिया, विद्याभूषण, अवधेश चन्द्र सिंह, बदल राम, बसंत लाल, रणंजय सिंह, मलखान सिंह, तेज बहादुर तथा श्री ब्रज गोपाल सक्सेना के निधन पर शोकोद्गार**

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मुझे बहुत खेद और दुख के साथ सम्मानित भूतपूर्व विधायक जिन्होंने समय-समय पर इस सदन की शोभा बढ़ाई उनके निधन के समाचार देने को बाध्य होना पड़ रहा है । मुझे अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सम्मानित ब्रजमोहन लाल शास्त्री, सम्मानित भैरव दत्त धूलिया, सम्मानित विद्याभूषण, सम्मानित अवधेश चन्द्र सिंह, सम्मानित बदल राम, सम्मानित बसंत लाल, सम्मानित रणंजय सिंह, सम्मानित मलखान सिंह, सम्मानित तेज बहादुर, सम्मानित ब्रज गोपाल सक्सेना इस संसार में नहीं रहे । स्व0 ब्रजमोहन लाल शास्त्री इस विधान सभा के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे । मुझे स्वयं बरेली सेन्ट्रल जेल में उनके प्रथम दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ जब वह विशेष आज्ञा लेकर तनहो में आये और आशीर्वाद देकर चले गये । तब हमें उनसे बहुत प्रेरणा उनकी वाणी से प्राप्त हुई । तब से लेकर आज तक निरन्तर वह एक अत्यन्त कर्मठ नेता के रूप में सार्वजनिक जीवन में कार्य करते रहे ।

1946 में वह जिला बरेली से कांग्रेस टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये । वह श्री चन्द्र शेखर आजाद, अमर शहीद के संपर्क में रहे और एक क्रांतिकारी भी रहे थे । दो वर्ष निरन्तर कारावास में रहे । श्री लालबहादुर शास्त्री जी तथा पं0 कमलापति त्रिपाठी जैसे महान व्यक्ति आपके निकट सहयोगी थे । उनके निधन से हमने एक अग्रिम पंक्ति का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भैरव दत्त धूलिया का निधन 5 जुलाई, 1988 को कोटद्वार में हुआ । वह लगभग 87 वर्ष के थे । उनका जन्म 1901 में जिला गढ़वाल के ग्राम मदनपुरपट्टी लंगूर पल्ला में हुआ था । वह एक पत्रकार भी थे । उन्हें 1942 के आन्दोलन के दौरान क्रांतिकारी साहित्य छापने व बांटने के कारण 7 वर्षों की सजा दी गयी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धूलिया वर्ष 1967 के सामान्य निर्वाचन में पहली बार लैंसडाउन (गढ़वाल) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वह अत्यन्त निर्भीक और समाजसेवी थे । उनके निधन से गढ़वाल ने ही नहीं बल्कि प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं महान स्वतंत्रता सेनानी खो दिया ।

श्रीमन्, सम्मानित विद्याभूषण जी का निधन मुजफ्फरनगर में दिनांक 13-7-88 को हो गया । वह लगभग 55 वर्ष के थे । उनका जन्म 22 सितम्बर, 1933 को हुआ था । वह 1980 के निर्वाचन में प्रथमबार मुजफ्फरनगर निर्वाचन क्षेत्र से उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वह वर्ष 1980 से 1984 तक राज्य मंत्रिमंडल में नगर विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों के मंत्री रहे जिनमें अपनी प्रशासनिक क्षमता उन्होंने दिखाई । वह एक दीर्घ समय तक नगर पालिका मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष 4–5 वर्षों तक रहे । उन्होंने न केवल राजनीतिक जीवन में बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की और एक सफल उद्योगपति रहे । उनके निधन से पूरे प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्रीमन्, भूतपूर्व श्री अवधेश चन्द्र सिंह जी का निधन उनके गृह निवास फर्रुखाबाद में दिनांक 13-8-88 को हो गया । वह लगभग 74 वर्ष के थे । उनका जन्म 1914 में हुआ था । वह सर्वप्रथम 1952 के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र भोजपुर, फर्रुखाबाद से चुने गये । वह 1952 के बाद 1957 में पुनः चुने गये थे । इसके अलावा वे लोकसभा के सदस्य भी रहे । वह 1952 और 1957 में अत्यन्त प्रभावशाली समाजसेवियों में थे । एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में सारे उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक आदर रहा । वे अपने जिला बोर्ड एवं विकास खंड के सदस्य और ब्लाकप्रमुख भी रहे थे । उनके निधन से फर्रुखाबाद जनपद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री बदलराम जी का दिनांक 28-8-88 को बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में निधन हो गया । वह लगभग 36 साल के थे । वह टाडा जनपद फैजाबाद के रहने वाले थे । वह 1967 के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री थे । उन्होंने समया-समय पर अपने को शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध रखा । उनके निधन से जनपद फैजाबाद ने एक प्रभावशाली नेता को खो दिया ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री बसन्त लाल जी का निधन झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में 8-8-1988 को हो गया । वह लगभग 78 वर्ष के थे । उनका जन्म 21 नवम्बर, 1910 को हुआ था । वह 1952 के सामान्य निर्वाचन में पहली बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनपद जालौन से उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और तबसे लगातार 1962, 1967 एवं 1969 में वहां से वे विजयी होते रहे ।

श्रीमन्, सन् 1952 से उनके साथ मेरा परिचय रहा है । उनका मधुर व्यक्तित्व और यहां विधान सभा में उनका योगदान हमारे लिए चिरस्मरणीय रहेगा । वह नोटीफाइड एरिया कमेटी के भी चेयरमैन रहे और वह अनेक शिक्षा संस्थाओं

से भी जुड़े रहे । उनके निधन से जालौन और बुन्देलखंड ने दीर्घकाल से समाज सेवा में लगे हुए एक राजनेता को खो दिया है ।

श्रीमन्, सम्मानित रणंजय सिंह जी का निधन दिनांक 5 अगस्त, 1988 को रामनगर कोट, अमेठी में हो गया । वह 87 वर्ष के थे । श्री रणंजय सिंह सर्वप्रथम सन् 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्दलीय सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए । तदुपरान्त वह 1969 और 74 में सामान्य निर्वाचन में भी इस विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए । इसके अलावा वह 1957 से 1962 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के तथा 1962 से 67 तक लोकसभा के भी सदस्य रहे । वह 1926 से 30 तक केन्द्रीय विधान सभा, केन्द्रीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के भी सदस्य रहे । किन्तु उन्होंने 1930 से नमक कानून सत्याग्रह के संबंध में केन्द्रीय विधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था । उन्होंने भूदान में अपनी 3 हजार एकड़ जमीन दे दी थी । इसी प्रकार जो तमाम शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें उन्होंने अपनी बहुमूल्य और सक्रिय योगदान दिया । उन्होंने बच्चों के लिए दयानन्द बाल मंदिर का भी निर्माण कराया । उन्होंने अनेक शिक्षा और समाजसेवी संस्थाओं की संस्थापना की थी । रणंजय सिंह की मृत्यु से एक महान् समाजसेवी, शिक्षा प्रेमी और एक कुशल और अनुभवी राजनेता को हमने अपने बीच से खो दिया है ।

श्री मलिखान सिंह जी का निधन दिनांक 22-7-88 को बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में हो गया और उस समय वह 58 वर्ष की अवस्था के थे । वह मैनपुरी जनपद के रहने वाले थे और इस सदन में उन्होंने शासन का भी प्रतिनिधित्व किया था और बनारसीदास मंत्रिमंडल में वह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पद पर नियुक्त किये गये थे । सर्वप्रथम वर्ष 1957 में, सामान्य निर्वाचन में वह मैनपुरी से भारतीय जनसंघ के टिकट पर इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे । तदुपरान्त 1967, व 1969 के चुनावों में भी वह उसी क्षेत्र से जनसंघ के टिकट पर इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । फिर 1977 के चुनाव में चौथी बार वह जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे । वह सहकारी बैंक के संचालक भी रहे । वह सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के भी यहां सभापति मनोनीत किये गये थे । उनके निधन से जिला मैनपुरी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया है ।

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य श्री तेज बहादुर जी का निधन 30 जुलाई, 88 को वाराणसी में हो गया । श्री तेज बहादुर सर्वप्रथम 1952 के सामान्य निर्वाचन में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये । 1957 में भी वह विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । तत्पश्चात् वह एम0 एल0 सी0 भी रहे । उन्होंने दीर्घकाल तक उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा की । वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे और 1962 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अन्त तक उसके सदस्य बने रहे । उनसे मेरी व्यक्तिगत मित्रता थी । उनका गम्भीर स्वभाव, पैनी दृष्टि, पैने प्रश्न व उनके अनुभव और जनता के प्रति उनकी समर्पण की भावना सदैव हमें प्रभावित करती थी । ऐसे जननेता के निधन से जनपद आजमगढ़ ने एक कुशल और योग्य नेता खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ब्रज गोपाल सक्सेना का पहली सितम्बर, 1988 को निधन हो गया । वह इस समय 84 वर्ष के थे । श्री सक्सेना 1957 के सामान्य निर्वाचन में महोबा, जनपद हमीरपुर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान किया था और वह पं0 जवाहरलाल नेहरू के एक साथी के रूप में लगातार सक्रिय रहे । वह महोबा नगरपालिका के अध्यक्ष तथा सहकारी बैंक हमीरपुर के सभापति भी रहे । उन्होंने अपने बुन्देलखण्ड के आर्थिक विकास के लिए सदैव प्रयास किया । वह अपने क्षेत्र में 'बाबू जी' के नाम से विख्यात रहे । श्री सक्सेना के निधन से जिला हमीरपुर और बुन्देलखंड ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है । श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए उनके शोक संतप्त परिवारजनों को मेरी ओर से शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने जिन 10 सम्मानित भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के लिए शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं स्वंय को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, माननीय बृज मोहन लाल शास्त्री हमारे पड़ोसी जिले बरेली के निवासी थे । वैसे मुझे उनके साथ इस सदन में बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं समय-समय पर सुनता रहा हूं कि उन्होंने क्रान्तिकारी जीवन और गांधीवादी जीवन, दोनों तरह का जीवन-यापन किया और देश और प्रदेश की सेवा की । श्री भैरव दत्त धूलिया जिनकी आयु 87 वर्ष की थी वह भी उसी पीढ़ी के हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया । हमारे प्रदेश को उनके न रहने से बहुत क्षति हुई है । श्री विद्या भूषण जी इस विधान सभा में मंत्री जी भी रहे हैं । उनके साथ इस सदन में बैठने का अवसर मुझे मिला है । वह एक बड़े उद्योगपति के साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी थे । मुजफ्फरनगर जिले के लिए उनकी सेवायें बहुत सराहनीय रही हैं । श्री विद्या भूषण जी ने अपने चार साल के कार्यकाल में एक मंत्री की हैसियत से जो प्रदेश की सेवायें की वह बहुत सराहनीय हैं ।

श्री अवधेश चन्द्र सिंह जी 1952 में फर्रुखाबाद से चुनकर आए मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय नहीं था । वह निकटवर्ती जिले के निवासी थे वह बहुत बड़े समाजसेवी थे उनके न रहने से फर्रुखाबाद को बहुत बड़ी क्षति हुई है । श्री बदल राम जी 1967 में विधान सभा के सदस्य हुए । मैं उस समय सदन का सदस्य नहीं था, जो व्यक्ति फैजाबाद जनपद में जाता है और उनके विषय में जानकारी करता है, तो हर व्यक्ति उनकी बात प्रशंसा के साथ करता है । उन्होंने देश और प्रदेश के लिए सराहनीय सेवा की है । श्री वसंतलाल जालौन जिले से इस विधान सभा के सदस्य रहे वह बहुत ही कर्मठ और समाजसेवी नेता थे । श्री रणजय सिंह जी का जहां तक सवाल है जिनका स्वर्गवास हाल ही में हुआ है वह इस विधान सभा के माननीय सदस्य संजय सिंह जी के पिताजी थे ।

श्री रणंजय सिंह राजा परिवार में जन्म लेने के बाद भी बहुत सादगी से रहते थे । वह उत्तर प्रदेश विधान सभा में कई बार चुनकर आए । वह विधान सभा,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोकसभा और केन्द्रीय विधान सभा तथा विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । उनके निधन से उत्तर प्रदेश की बहुत क्षति हुई है । श्री मलिखान सिंह चार बार इस विधान सभा के सदस्य चुनकर आए । उनका चार बार चुनकर आना ही उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है कि वह कितने लोकप्रिय थे । वह बनारसी दास जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे उस समय मैं भी सदस्य था ।

वह बहुत ही मृदुभाषी और बहुत कुशल और कर्मठ व्यक्ति थे । जब वह आते थे तो हमसे मिलते थे । हमें भरोसा नहीं था कि माननीय मलिखान सिंह जी इतनी जल्दी हमारे बीच से उठ जायेंगे । वह 58 साल के थे । उनके हमारे बीच से चले जाने से केवल मैनपुरी जिले के ही नहीं बल्कि अड़ोस-पड़ोस के जिलों के लोग भी यह एहसास करते हैं कि उन्होंने अपने बीच से एक कर्मठ नेता को खो दिया है ।

माननीय तेज बहादुर जी हमारी इस विधान सभा में 1952, 1957 में चुन कर आये थे । मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं था । उनके निधन से वाराणसी जनपद को बहुत बड़ी क्षति हुयी है और वहां की जनता ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । भूतपूर्व सदस्य माननीय ब्रज गोपाल सक्सेना जी का निधन 1-9-1988 को हो गया वह 84 वर्ष के थे । वह उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी कुर्बानी की थी । माननीय सक्सेना जी ने समाज की तरक्की के लिए बहुत बड़ा योगदान किया । उन्होंने विधान सभा के अलावा अनेक अन्य पदों को भी सुशोभित किया है और जनपद हमीरपुर की बड़ी सेवा की है । उनके निधन से हमीरपुर जनपद के लोगों ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । मान्यवर, जितने भी यह हमारे भूतपूर्व माननीय सदस्य हैं और जिनके निधन के संबंध में माननीय तिवारी जी ने अपनी संवेदनायें व्यक्त की हैं, मैं भी अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन महान आत्माओं के प्रति अपनी श्रध्दांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी इन शोक संवेदनाओं को हमारे और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री राम शरण दास—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय यादव जी ने जो विचार इन माननीय भूतपूर्व सदस्यों के स्वर्गवास के संबंध में व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री तेज बहादुर जी, श्री मलिखान सिंह जी, श्री अवधेश चन्द्र जी, श्री विद्या भूषण जी, श्री ब्रज गोपाल सक्सेना जी, श्री बदल राम जी, श्री भैरव दत्त धूलिया जी, श्री रणजंय सिंह जी, श्री बसंत लाल जी, श्री ब्रजमोहन लाल जी, यह जो भूतपूर्व व्यक्ति हैं इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूं, कुछ लोगों के साथ मेरा अच्छी तरह से उठना-बैठना रहा है । यह सभी लोग अपने-अपने जनपदों के नेता रहे हैं और समाजसेवी रहे हैं । इनके निधन से जो क्षति हुई है उसका पूरा होना जरा असंभव है । माननीय मलखान सिंह जी इस सदन के कई बार सदस्य रहे हैं । वह खाद्य मंत्री भी रहे हैं, बनारसी दास जी की सरकार में । वह एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत अच्छे व्यक्ति थे । हमारे उनके अच्छे संबंध थे, वह बड़े भले आदमी थे ।

माननीय विद्या भूषण जी मेरे जनपद से मिले हुए जनपद के थे । जब वह इस सदन के सदस्य थे उस समय मैं दूसरे सदन का सदस्य था । कभी-कभी मेरी उनसे मुलाकात हो जाया करती थी । उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं जिनके लिए मुजफ्फरनगर की जनता उनकी याद करती है और आगे भी करती रहेगी । श्री बदल राम जी, हमारी पार्टी, (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी) के थे । वह सन् 1967 में इस विधान सभा में आये । वह एक गरीब हरिजन कार्यकर्ता थे । फैजाबाद जिले के हर गांव के लोग उन्हें जानते हैं और उन्हें याद करते हैं । मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके निधन से दुख हुआ है ।

मान्यवर, राजा रणजंय सिंह जी से मेरा परिचय था । जब वह 69 की असेंबली में यहां थे तो कई दफे मैं उनसे मिला । विभिन्न अवसरों पर उनसे मिलना होता था । वह बहुत मधुर भाषी थे । वह गांधीवादी और उच्चकोटी के आर्य समाजी थे । अमेठी में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में उनका बहुत बड़ा स्थान था । जिन भूतपूर्व माननीय सदस्यों के प्रति हम आज यहां पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनका अपने-अपने जनपदों में कुछ न कुछ उल्लेखनीय योगदान रहा है । मान्यवर, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त दुःख का अवसर है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रदेश के गौरव को बढ़ाने में योगदान दिया, जिनसे हम सब प्रेरणा लेते थे, आज वे हमारे बीच से चले गये । माननीय बृज मोहन लाल शास्त्री, माननीय भैरोदत्त धूलिया, माननीय विद्या भूषण, माननीय अवधेश चन्द्र सिंह, माननीय बदल राम, माननीय बसंत लाल, माननीय मलिखान सिंह, माननीय तेज बहादुर, माननीय बृज गोपाल सक्सेना, माननीय राजा रणंजय सिंह के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय राम शरण दास जी ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

माननीय मलिखान सिंह से हमारा बहुत ही नजदीक से संबंध था । चार बार वह इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे । उनका सामाजिक जीवन में बड़ा ही योगदान रहा । वह राजनैतिक क्षेत्र में बड़े ही क्रियाशील रहे । वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े ही लोकप्रिय रहे । मान्यवर, राजा रणजंय सिंह का स्मरण करना अत्यन्त आवश्यक है ।

मान्यवर, मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था 1952-53 में, उस समय मैं पहली बार इस आदरणीय सदन की कार्यवाही देखने के लिए आया । मुझे याद है कि उस दिन गो-वध निषेधक के संबंध में चर्चा थी इस आदरणीय सदन में, उस विधेयक को माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने रखा था । उस समय राजा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रणजंय सिंह जी का भाषण मैंने सुना था । उनका भाषण बड़ा ही ओजस्वी था । मुझे आज भी याद है कि उनका पूरा जीवन महर्षि दयानन्द के आदर्शों पर बीता और उन्होंने देव भाषा संस्कृत के विकास के लिए अपनी सक्रिय भूमिका अदा की । पूरे प्रदेश में, देश में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं का चारों तरफ जय-जयकार हो रहा है । यह केवल राजा परिवार में जन्म लेने के कारण ही सम्मान नहीं था, बल्कि आजादी की लड़ाई में जो उनका योगदान रहा और नमक सत्याग्रह में जो उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, वह स्मरणीय है । जीवन-पर्यन्त वह राष्ट्र और समाज को समर्पित रहे ।

इन सभी दिवंगत विभूतियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए, मेरी आपसे आग्रह है कि मेरी और मेरे दल की संवेदनाएं उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री मित्रसेन—

माननीय मंत्री सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने स्वर्गीय-दुर्गामोहन दास शास्त्री, भैरवदत्त धूलिया, विद्याभूषण, अवधेश चन्द्र सिंह, बदल राम, [illegible], मलिखान सिंह, तेज बहादुर सिंह और [illegible] सक्सेना और राजा रणजंय सिंह के बारे में जो शोकोद्गार यहां व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल की ओर से सम्बद्ध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि ये विभूतियां जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, इनकी सेवायें हमारे देश और प्रदेश के लिए बड़ी मूल्यवान और अविस्मरणीय रहेंगी. उनकी सेवाओं से हमें सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए । स्वर्गीय राजा रणजंय सिंह जी को [illegible] हमें शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में देखने को मिलीं, वह आदर्शमूर्ति हैं ।

इसी प्रकार से हमारे स्वर्गीय माननीय सदस्य जो हमारे इस प्रदेश की बड़ी भारी सेवा कर चुके हैं, आज जो हमारे बीच में नहीं हैं, एक आदर्श हैं । वह आज हमारे बीच में नहीं हैं और ऐसी महान विभूतियों के उठ जाने से जो रिक्तता आई है वह निकट भविष्य में पूरी होना नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे और हमारे दल की ओर से शोक संवेदना के शब्द उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री अशोक रमाशंकर—

स्वर्गीय दुर्गामोहन दास शास्त्री जी, भैरव दत्त धूलिया जी, विद्या भूषण जी, अवधेश चन्द्र जी, बदल राम जी, बसन्त लाल जी, रणञ्जय सिंह जी, मलिखान सिंह जी, तेज बहादुर सिंह जी और बृज गोपाल सक्सेना जी के निधन पर जो शोकोद्गार और विचार [illegible] हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल की ओर सम्बद्ध करता हूं । मलिखान सिंह जी हमारे साथ [illegible] में रहे और हम सहयोगी के रूप में उनके साथ काम करने का मौका हमको मिला । वह सहज ही मृदु और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे । उनके तथा उन सभी लोगों के जो राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी रहे थे, जो चले गये हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में शून्य पैदा हुआ है और उसका पूरा होना बड़ा मुश्किल है ।

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, श्री रणन्जय सिंह जी ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, न केवल सामाजिक क्षेत्र में वरन् शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य सेवा हमारे उत्तर प्रदेश को, हिन्दी साहित्य को और शिक्षा जगत की, की है । इन लोगों के चले जाने से हमारे राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में जो शून्यता आई है उसकी पूर्ति बहुत ही मुश्किल से होगी । मान्यवर, इन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन सभी के शोकसंतप्त परिवारों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार स्वर्गीय श्री बृज मोहन लाल शास्त्री, भैरव दत्त धूलिया जी, विद्या भूषण जी, अवधेश चन्द्र सिंह जी, बदल राम जी, बसन्त लाल जी, रणन्जय सिंह जी, मालिखान सिंह जी, तेज बहादुर सिंह जी और बृज गोपाल सक्सेना जी के बारे में व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और विधानसभा सदस्य समुदाय को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से शोकोद्गार इन सबके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री अजेय कुमार यादव–

जिन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने अपने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनके विचारों से अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इन विभिन्न विशिष्ट विभूतियों ने अपने त्याग, तपस्या और असंख्य बलिदानों से देश को आजादी में और आजादी के पश्चात इस देश के लोकतंत्र और देश के निर्माण में जो योगदान दिया उसके लिए उनको इस प्रदेश और देश की जनता कभी भूल नहीं सकती है ।

मान्यवर, माननीय रणन्जय सिंह जी तथा माननीय तेज बहादुर सिंह जी ने अपने जीवन में जिस प्रकार से सारे लोगों को प्रभावित किया विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से, सामाजिक सेवाओं के माध्यम से और तेज बहादुर जी ने मेहनतकश जनता के लिए जिस तरह से संघर्ष किया उसके लिए यह प्रदेश सदैव उनका ऋणी रहेगा । स्वर्गीय सक्सेना जी बुन्देलखण्ड के निवासी थे और उन्होंने उस पिछड़े हुए अंचल के लिए पूरे जीवन की आहुतियां दीं । उनका एक स्वप्न था जो अब तक पूरा नहीं हुआ कि वह पिछड़ा प्रदेश, पिछड़ा अंचल कम पानी की जगह और रोजगार धन्धे के संदर्भ में स्वतः अपने पैरों खड़ा होगा । उनका सपना आज भी पूरा नहीं हुआ ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि मा0 सदस्य ने गढ़वाल और बुन्देलखण्ड में जो संघर्ष किया है, उन क्षेत्रों की जनता के जीवन का स्तर जब तक अच्छा नहीं होता है, तब तक सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिये नहीं हो सकती है । मैं संजीदा करता हूं और मान्यवर आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन अमर शहीदों के स्वप्नों को साकार करने के लिये हर सम्भव प्रयास करना चाहिए । मैं आग्रह करूंगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को यह शोक संवेदनाएं भेजने की कृपा करें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मा0 अवधेश चन्द्र सिंह जी के निधन पर श्री तिवारी जी, मा0 नेता विरोधी दल और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, पूर्व इसके कि मैं मा0 सदस्य श्री अवधेश चन्द्र सिंह जी के व्यक्तित्व को प्रतिष्ठापित करूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य राजनेताओं से भिन्न व्यक्तित्व और कृतित्व का जैसा समन्वय श्री अवधेश चन्द्र सिंह जी में था वैसा दूसरों में दुर्लभता से मिलता है । वे पुरानी पीढ़ी के गांधीवादी और सच्चे समाजवादी नेता थे । उनके निधन के बाद एक सीधा और सच्चा, सौम्य और कुशल समाजसेवी जनपद फर्रुखाबाद ने खो दिया । वे मध्य उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक हस्ती थे । दो बार सन् 52 और 57 में, जिन्होंने इस सदन को गौरवान्वित किया था और जिनका राजनीतिक जीवन, जिला परिषद् की सदस्यता, ब्लाक प्रमुख से प्रारम्भ हुआ और विधान सभा से लेकर, उन्होंने देश की सर्वोच्च संस्था संसद को भी दो बार सुशोभित किया था । वह एक कुशल कृषक थे और कृषि के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान आज भी फर्रुखाबाद की जनता को मिला है ।

उन्होंने वहां की जनता से कितना लाड़ प्यार पाया था इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे जहां पैदा हुए थे, जहां को सड़क का उन्होंने निर्माण करवाया था, वहां उनके नाम पर "अवध गांव" नामक कस्बा बसा है । वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के पड़ोस में रहते थे । निधन के बाद वे बाद वे अपने पीछे एक योग्य पुत्र छोड़ गये हैं । मैं समझता हूं कि उनके निधन के बाद फर्रुखाबाद को जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति कठिन है । उन्होंने गांधी दर्शन देखा ही नहीं आत्मसात भी किया था, उन्हें सौम्यता से प्यार था । एक जमींदार परिवार में जन्म लेने के बाद भी और एक अंग्रेज शासन में डिप्टी एस0 पी0 का पुत्र होने के बाद भी जिन्होंने गरीबों की दीनों की, निर्धनों की पीड़ा को, वंचित को, कसक को, चुभन को समझा था और उसको दूर करने के लिए संघर्ष किया था ऐसे थे अवधेश चन्द्र सिंह जी । उनके निधन के बाद न केवल मेरे जनपद की बड़ी हानि हुई है, बल्कि पूरे प्रदेश की हुई है । वह ए0 आई0 सी0 सी0 के सदस्य रहे थे । इस सदन में जिन लोगों ने उनके प्रति शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपनी संवेदनाओं को उनसे सम्बद्ध करते हुए अपने क्षेत्र की जनता की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को यह गहन दुख वहन करने की शक्ति प्रदान करें । मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी ये संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें ।

*डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, आपी मा0 नेता सदन और नेता विरोधी दल और अन्य सम्मानित हमारे नेताओं ने स्व0 श्री बसंत लाल, भैरव दत्त धूलिया, बृज मोहन लाल शास्त्री, बदन राम, बृज गोपाल शर्मा, विद्या भूषण, रणंजय सिंह आदि विभिन्न मा0 सदस्यों के बारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में जो शोक संवेदनायें इस सदन में व्यक्त की हैं । मैं भी अपने को उनकी भावना से जोड़ता हूं । मुझे इस बात का गर्व है कि स्व0 रणंजय सिंह जी मेरे पूज्य पिता थे । बचपन से ही वैदिक प्रचार, शिक्षा प्रसार और समाज सुधार के सिद्धांतों पर उन्होंने अपने जीवन को ढाला । सादा जीवन उच्च विचार की कहावत को वे पूरे जीवन तक चरितार्थ करते रहे । बड़े परिवार में पैदा होने के बावजूद, वे अंग्रेजों के खिलाफ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ, क्रांतिकारियों के साथ, लड़ते रहे । लगभग 50 वर्षों तक विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा आदि के सदस्य रहे । गोवध आंदोलन में, समाज सुधार और हर आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया । मान्यवर, अमेठी आज भी उनके शिक्षा के कार्यक्रमों से, तमाम शिक्षण संस्थाओं की वजह से, छोटी काशी कहलाती है । आज माननीय तिवारी जी ने और विपक्ष के सभी नेताओं ने जो उनके बारे में सद्विचार रखे हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि जो भी हमारी स्वर्गीय विभूतियां नहीं हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

भूतपूर्व सदस्य मा0 बृज मोहनलाल शास्त्री जी, मा0 भैरव दत्त धूलिया जी, मा0 विद्या भूषण जी, मा0 अवधेश चन्द्र सिंह जी, मा0 बदल राम जी, मा0 बसंत लाल जी, मा0 रणंजय सिंह जी, मा0 मलिखान सिंह जी, मा0 तेज बहादुर जी, मा0 बृज गोपाल सक्सेना जी-यह हस्तियां हमारे बीच में नहीं रहीं। मा0 बृज मोहन लाल शास्त्री जी का निधन 28 मई, 1988 को हुआ, उनका जन्म 1902 में बरेली में हुआ था । सन् 1946 में कांग्रेस के टिकट पर बरेली से चुने गये थे । मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया । मा0 भैरव दत्त धूलिया जी का निधन 5 जुलाई, 1988 को कोटद्वार में हो गया । उनका जन्म 1901 में हुआ था । सन् 1967 में लैंसडाउन गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार निर्वाचित हुए थे । आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुने गये थे । शराबबंदी और छूआछूत को दूर करने के आंदोलनों में वे हिस्सा लेते थे।

माननीय विद्या भूषण जी का निधन 13 जुलाई, 1988 को मुजफ्फरनगर में हो गया । सन् 1933 में उनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था । 1980 में मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुने गये । 1980 से 1984 तक वे मंत्री भी रहे । मा0 अवधेश चन्द्र सिंह का निधन 13 अगस्त, 1988 को फर्रुखाबाद में हो गया । उनका जन्म 1914 में हुआ था। 1952 और 1957 में कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गये थे। वे एम0 पी0 भी रहे । मा0 बदल राम जी का निधन लखनऊ में 28 अगस्त, 1988 को हो गया । फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था । 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से यह चुने गये थे । जिला बोर्ड के भी आप सदस्य रहे । मा0 बसंत लाल जी का निधन 8 अगस्त, 1988 को झांसी में हो गया । उनका जन्म 21 नवम्बर, 1910 को हुआ था । 1952, 1962, 1967 एवं 1969 में जालौन से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे।

मा0 रणंजय सिंह जी का निधन 5 अगस्त, 1988 को अमेठी में हो गया । श्री सिंह का जन्म 29 अप्रैल, 1901 में अमेठी में हुआ था । 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गये थे । 1969 में जनसंघ पार्टी से चुने गये । 1974

में कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुने गये थे । 1957 से 1962 तक आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के भी सदस्य रहे तथा 1962-67 तक लोक सभा के भी सदस्य रहे । 1926 से 1930 तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे ।

श्री मलिखान सिंह का दिनांक 22 जुलाई, 1988 को लखनऊ में निधन हुआ, उनका जन्म 20 मई, 1930 को जिला मैनपुरी में हुआ था । वह वर्ष 1957, 1967, 1969 के सामान्य निर्वाचनों में जनसंघ के टिकट पर चुनकर विधान सभा में आये, इसके बाद वर्ष 1977 में चौथी बार जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य बने । बनारसी दास मंत्रिमंडल में वह मंत्री पद पर भी रहे ।

माननीय तेज बहादुर जी का निधन दिनांक 30 जुलाई, 1988 को वाराणसी में हुआ। उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था, वह वर्ष 1952-1957 के सामान्य निर्वाचन में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य बनकर आये । वह एम0 एल0 सी0 भी रहे । इसके अतिरिक्त उन्होंने कांग्रेस के सत्याग्रह में भी भाग लिया और जेल गये ।

श्री ब्रज गोपाल सक्सेना जी का निधन दिनांक 1-9-1988 को हुआ, उनका हमीरपुर में 2 मार्च, 1905 को हुआ था । वर्ष 1957 में वह विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये । उन्होंने नेहरू जी के साथ स्वतन्त्रता की लड़ाई में भी भाग लिया, वह अन्य अनेक संस्थाओं से भी जुड़े रहे ।

जैसा कि आप सभी माननीय सदस्यों ने इन महान विभूतियों के निधन पर अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं और यह इत्तिफाक की बात है कि माननीय रणंजय सिंह के निधन के प्रस्ताव के सिलसिले में उनके बेटे यहां पर मौजूद हैं, आप सभी लोगों की शोक संवेदनायें, इन लोगों के परिवारों तक पहुंचाई जायेंगी । आइये, हम दो मिनट मौन खड़े होकर उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

**पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद जियाउलहक, बैडमिन्टन खिलाड़ी सैय्यद मोदी फिल्म अभिनेता श्री राजकपूर तथा साहित्यकार श्री वियोगी हरि के निधन पर शोकोद्गार**

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, इस सदन में परिपाटी रही है कि समय-समय पर जिन अति विशिष्ट, विशिष्ट महानुभावों का निधन हुआ है, उनके प्रति इस सदन में शोक संवेदना व्यक्त की जायें । इसी संदर्भ में मुझे 4 महा विशिष्ट व्यक्तियों के निधन की सूचना देते हुये खेद होता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद जियाउलहक का दिनांक 17 अगस्त, 1988 को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उनका उत्तर प्रदेश से संबंध इसलिए भी रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सैनिक शिक्षा रायल मिलिट्री एकादमी, देहरादून में प्राप्त की थी । वर्ष 1945 में वह अविभाजित भारत की सेना में कमीशंड आफिसर थे । लगभग 17 वर्षों तक पाकिस्तान में उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुये 1964 में लेफ्टीनेंट कर्नल के रूप में स्टाफ कालेज, क्वेटा की कमान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संभाली । उन्होंने 16 सितम्बर, 1978 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया वह लगभग 11 वर्षों तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे ।

श्रीमन्, मुझे अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैडमिन्टन खिलाड़ी सैय्यद मोदी को दिनांक 28 जुलाई, 1988 को हत्या होने के कारण वह हम लोगों को छोड़कर चले गये । उनका जन्म 31 दिसम्बर, 1962 को सरदार नगर, जिला गोरखपुर में हुआ था। वह बचपन से ही बैडमिन्टन के प्रति समर्पित थे और 8 वर्ष तक बैडमिन्टन के राष्ट्रीय चैम्पियन रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें भी जीतीं । उन्हें अर्जुन पुरस्कार व "कामनवेल्थ पुरस्कार" से भी सम्मानित किया गया था । उनके निधन से देश ने एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रतिभाशाली मृदुभाषी एवं समर्पित खिलाड़ी को खो दिया है ।

श्रीमान् फिल्म अभिनेता श्री राजकपूर चार दशकों से भी अधिक समय तक हिन्दी सिनेमा पर छाये रहे । ऐसे महान कलाकार का जन्म 14 दिसम्बर, 1924 को हुआ था और दिनांक 2 जून, 1988 को दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका निधन हो गया । दस वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने फिल्म जीवन शुरू किया इसके लिये उन्हें काफी मेहनत व प्रयास करना पड़ा । एक अभिनेता के रूप में उन्होंने लगभग 48 फिल्मों में काम किया। अपनी मेहनत, लगन व ईमानदारी के बल पर ही उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की । रूस व यूरोप के अन्य देशों में भी लोग उनकी फिल्मों को बड़े चाव से देखते थे । दिनांक 2 मई, 1988 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें सबसे बड़े पुरस्कार "दादा साहब फाल्के पुरस्कार" से सम्मानित किया गया । श्री राजकपूर के निधन से भारत ने ही नहीं, अपितु विदेशी संसार ने एक महान संवेदनशील फिल्म अभिनेता को खो दिया है ।

श्रीमन्, श्री वियोगी हरि, हिन्दी साहित्य के एक महान लेखक थे । 92 वर्ष की अवस्था में 9 मई, 1988 को दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान पर उनका निधन हो गया था । उन्होंने लगभग 150 पुस्तकें लिखीं । उन्होंने ब्रजभाषा में भी अनेकों पुस्तकें लिखीं । वीर सतसई पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ । गुरु ग्रन्थ साहिब का उन्होंने हिन्दी में अनुवाद किया । साहित्य साधना के बाद 1932 में महात्मा गांधी जी के साथ वह जुड़ गये । गांधी द्वारा उनसे "हरिजन सेवक" पत्रिका के लिए सम्पादन कार्य कराया गया । श्री वियोगी हरि स्वयं में एक संस्था थे । उन्होंने सदैव हिन्दी साहित्य व भारतीय साहित्य की सेवा की । वह हमेशा स्मरण किये जायेंगे । उनके निधन से हिन्दी साहित्य का दैदीप्यमान नक्षत्र अंतरिक्ष में विलीन हो गया । मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि हमारी ओर से संवेदना के ये भाव शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मोहम्मद जियाउल हक का निधन 17 अगस्त, 1988 को एक विमान दुर्घटना में हो गया। 1977 में भुट्टो को प्रधान मंत्री पद से अपदस्थ करके वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने । 11 वर्ष तक वहां के राष्ट्रपति रहे । पाकिस्तान की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता की जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की, उसे पाकिस्तान की जनता भली प्रकार जानती होगी । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से संवेदना के ये भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, जहां तक हमारे तीन अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सवाल है, जिनके बारे में माननीय श्री तिवारी जी ने जो संवेदना व्यक्त की है, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। सैयद मोदी 8 साल तक बैडमिन्टन के राष्ट्रीय चैम्पियन रहे । बैडमिन्टन के क्षेत्र में 26 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो ख्याति अर्जित की, यह सौभाग्य बिरले लोगों को ही मिल पाता है। सैयद मोदी के निधन से बैडमिन्टन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिसे निकट भविष्य में पूरा करना बहुत मुश्किल है। जहां तक फिल्म अभिनेता राजकपूर का प्रश्न है, उनकी मृत्यु 64 वर्ष की अवस्था में हुई । वह काफी लम्बे समय तक बीमार रहे। जीवन-मरण से वह जूझते रहे। जैसा कि माननीय श्री तिवारी जी ने कहा कि उन्होंने 48 फिल्मों में काम किया । राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए । फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे, तो अचानक वह अस्वस्थ्य हो गए । उसके बाद वह एक लम्बी बीमारी के बाद इस दुनिया से चले गए। उनके निधन से एक प्रतिभा ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के फिल्मी जगत में एक सूनापन पैदा हो गया है । जहां तक श्री वियोगी हरि का सम्बन्ध है वह एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । उन्होंने केवल 150 पुस्तकें ही नहीं लिखीं अपितु गुरु ग्रन्थ साहिब का हिन्दी में अनुवाद भी किया । हिन्दी साहित्य में कवि के रूप में भी उन्होंने सेवा की । हिन्दी साहित्य में उन्हें हमेशा स्मरण किया जायेगा। उनके निधन से हिन्दी साहित्य में एक दैदीप्यमान नक्षत्र ही हमारे बीच से चला गया है । उनके निधन से हमारे देश को एक बड़ी क्षति हुई है । आज हम ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं । मेरी राय में "अमर उजाला" के सम्पादक श्री डोरी लाल अग्रवाल, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से हमारे प्रदेश व देश की सेवा की, . . . अगर उनके लिए भी श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित किये जाते तो अच्छा होता । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा और मेरे दल की संवेदना का संदेश उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम शरण दास–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और श्री यादव जी से अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया उल हक की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई और श्री राजकपूर जी, जो फिल्मी जगत के बहुत बड़े कलाकार थे, वह स्वयं ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार, उनके पिता जी, उनके भाई और उनके लड़के बच्चे ये सब अच्छे कलाकार हैं। एक ऐसे कलाकार, जिनकी बड़ी अच्छी ख्याति अपने देश में और दूसरे देशों में थी, हमारे बीच से चले गये हैं। यह हमारे देश के लिये क्षति है।

सैय्यद मोदी, एक नौजवान और होनहार खिलाड़ी बैडमिन्टन का राष्ट्रीय चैम्पियन उसकी लखनऊ राजधानी में सबके रहते हुए, जिस तरह से उनकी हत्या की गयी है, हम सभी का सर सारी दुनिया के खिलाड़ियों के सामने नीचा हो जाता है। कोई जगह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे लिये नहीं रही कि कहां अपना मुंह छिपायें। हमारे देश और प्रदेश के प्रशासन को सोचना होगा कि इस तरह के होनहार खिलाड़ी, जिनके देश की ख्याति बढ़ती है, देश का नाम पैदा होता है, अगर उनकी भी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर किसकी रक्षा करेंगे ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजनीति से दूर रहते हुए इस मामले की छानबीन ठीक तरह से करायें । इसमें हम और सारा देश भ्रम में है । इतना ही इशारा काफी समझता हूं। सैय्यद मोदी के जो सही हत्यारे हैं, उनको जरूर सजा दिलायें। आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित भी करें। बड़ी तकलीफ है कि जिन जिन की तरफ हमारी नजर जाती है कि ये कुछ करेंगे, वे बीच में खत्म कर दिये जाते हैं और जो कुछ करके नहीं देते हैं, करोड़ों रुपया बरबाद करके आ जाते हैं, हमारा मुंह काला करते हैं संसार में, उन्हीं को हम तरजीह देते हैं। अच्छे लोगों के लिये हम कुछ करते नहीं हैं और जो अच्छे नहीं हैं, उनको दुनिया में भेजते हैं। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी से कह भी दिया था कि जो हमारे देश को दूसरे देशों में बदनाम करते हैं, उनके लिये भी कुछ होना चाहिए। इतना ही कहकर सैय्यद मोदी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री वियोगी हरि, जो हमारी पहली पीढ़ी के गिने-चुने गांधीवादी रहे हैं, लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं और जिनके आचरण से कुछ सीखना चाहिये, अपनी 92 वर्ष की उम्र में हमारे बीच नहीं रहे। उम्र काफी पायी लेकिन अच्छे आदमियों के जाने से तकलीफ हुआ करती है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से इन सभी महानुभावों की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय तिवारी जी ने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किये और साथ में उन्होंने यह भी कहा, परिपाटी का उल्लेख किया कि यह संसदीय परिपाटी है कि विशिष्ट जन जब हमारे बीच से अभिभूत होते हैं तो हमें यहां पर उनके बारे में शोक प्रस्ताव रखना चाहिये । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि परिपाटी यह भी है कि सदन के जो माननीय सदस्य रहे हों उनको छोड़ कर विशिष्ट जनों के लिये शोक प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रतिपक्ष से भी विचार-विमर्श कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रतिपक्ष से विचार विनिमय नहीं हुआ होगा तभी जब माननीय नेता विरोधी दल अभी जब शोक प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो मैंने उनका भाषण सुना जिसमें उन्होंने किसी महान व्यक्ति का नाम लेकर कहा कि इस शोक प्रस्ताव में अच्छा होता कि उनका भी नाम जोड़ लिया जाता। इसी प्रकार से मैं भी कहता हूं कि अच्छा होता कि आज जो शोक प्रस्ताव विशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में यहां रखे जा रहे हैं उनमें श्री डोरी लाल अग्रवाल का भी नाम जोड़ लिया जाता।

अब मैं जो भावनायें यहां पर विशिष्ट व अति विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मा0 नेता विरोधी दल ने तथा अन्य दल के नेताओं ने व्यक्त की हैं उनसे अपने को और अपने दल को जोड़ता हूं । मान्यवर, निधन तो निधन ही है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वर्गीय राष्ट्रपति मोहम्मद जियाउल हक हमारे पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्रपति थे जिनकी कि अस्वाभाविक मौत हुई। यह भारतीय संस्कृति की उदारता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके दोष का उल्लेख नहीं करती है। पाकिस्तान का हमारे देश के साथ क्या रवैया रहा है, इसके लिये स्वयं प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने स्वयं ही कहा है कि पाकिस्तान से प्रशिक्षण पाये हुए हमारे देश के आतंकवादी लोगों का निधन पर निधन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में किसी का नाम न लेकर मैं स्वर्गीय जियाउल हक के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से सम्वेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी सम्वेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

स्वर्गीय श्री राजकपूर, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, हमारे यहां कहा गया है कि अपने कर्मों से आदमी जब विशिष्ट स्थान ग्रहण करता है तो उसे नर से नारायण की पदवी दे दी जाती है। स्वर्गीय राजकपूर ने मात्र दसवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी, यह उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने सामान्य जीवन से उठ कर फिल्म जगत में राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त की और इतनी अधिक प्रगति की। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आदमी में लगन हो, कट्टर परिश्रम करने का उत्साह हो तो यहां आदमी आगे से आगे बढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी सम्वेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैय्यद मोदी का भी उल्लेख किया गया है। यह अत्यन्त दुखद बात है कि अपने राष्ट्र का तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति, जिसकी हत्या राजधानी लखनऊ में 28 जुलाई, 1988 को कर दी गयी और हमारी सरकार अभी तक असफल है उसके हत्यारों को पकड़ पाने में। जितना अधिक दुख हमें सैयद मोदी के निधन से है उससे अधिक दुख हमें इस पर भी है कि सरकार अभी तक उसके हत्यारे को ढूंढ़ नहीं पायी है। मेरी शासन से प्रार्थना है कि राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ करके सैयद मोदी के हत्यारे को पता लगाने की कोशिश करे और उसे उचित दण्ड दिलाये। मैं अपनी श्रद्धांजलि अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उस नव-युवक के प्रति अर्पित करता हूं और शासन से प्रार्थना करता हूं कि उस जघन्य हत्यारे का शीघ्र ही पता लगाने का प्रयास करे।

स्वर्गीय श्री वियोगी हरि की रचनाओं को मैंने पढ़ा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दीन-दुखियों के प्रति अपनी सम्वेदनायें प्रकट की हैं। जहां विषमता है, शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, वे महात्मा गांधी को समर्पित थे। उनका हर साहित्य दीन-दुखियों की ममता से ओत-प्रोत है। उनके चले जाने से दीन-दुखियों की ममता का अन्त हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मित्रसेन–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने और अन्य दलों के नेताओं ने कुछ विशिष्ट व्यक्तिओं के सम्बन्ध में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और जो कुछ भावना

उन्होंने व्यक्त की है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । जिन विशिष्ट व्यक्तिओं का उल्लेख किया गया है, उन्होंने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है और उनके न रहने से बहुत बड़ी रिक्तता आ गयी है और शायद यह रिक्तता निकट भविष्य में पूरी न हो । हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

*श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, सर्वश्री जियाउल हक, सैयद मोदी, राज कपूर और वियोगी हरि के निधन पर जो शोकोद्गार और विचार माननीय मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन है कि हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी, फिल्म अभिनेता राजकपूर और प्रसिद्ध साहित्यकार और महात्मा गांधी के साथी वियोगी हरि के निधन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और निर्दलीय विधायक समुदाय को भी सम्बद्ध करता हूं । मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, जनरल जियाउल हक, सैयद मोदी, राज कपूर तथा वियोगी हरि के सम्बन्ध में जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें और श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, नेता सदन ने तथा अन्य नेताओं ने कुछ अतिविशिष्ट व्यक्तियों के निधन की सूचना दी, जिनके सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सम्मानित नेताओं ने अपनी संवेदनायें व्यक्त कीं, जिनमें स्वर्गीय जियाउल हक, जिनके बारे में हम लोगों के बीच कभी-कभी थोड़े मतभेद रहे हैं, चाहे वह पंजाब की बात रही हो या और कोई बात रही हो, लेकिन उन्होंने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जहां कि मुजाहदीन वहां की आजादी के लिये लड़ रहे थे, विदेशी फौजों के भेजने के बावजूद भी उन्होंने वहां के मुजाहदीनों की मदद की और उनको ताकत दी, यह प्रसन्नता की बात है । श्री राज कपूर जो कि इस देश के ही नहीं दुनिया में उनकी कला की प्रशंसा हुई है । उन्होंने ऐसी तमाम फिल्में बनायीं जिनको आज और आने वाली

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय में लोग याद करेंगे । श्री वियोगी हरि जिन्होंने साहित्य के काव्य जगत में जो शिक्षा दी, वह अवश्यमेव ही नवजवानों के लिये अनुकरणीय है ।

स्वर्गीय सैय्द मोदी जो कि मेरे बहुत ही घनिष्ट मित्र थे उनकी इतनी कम उम्र में हत्या हुई । पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जन्मे एक साधारण परिवार के बिना किसी खास मदद के बावजूद उन्होंने अपने प्रदेश में ही नही, देश में ही नहीं पूरी दुनियां में नाम किया और कई सालों तक इस देश में बैडमिंटन जगत में सर्वोच्च स्थान पर बने रहे । उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि प्रकाश पादुकोण जो 9 साल तक इस देश के इस क्षेत्र में चैम्पियन रहे उनको ये कंपीट करना चाहते थे । लेकिन परम पिता परमात्मा को यह मंजूर नहीं था और पिछली 28 जुलाई को उनकी हत्या हो गयी और आज इस देश के ही नहीं बल्कि पूरे खेल जगत में उनके निधन से एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, एक बहुत बड़ा गैप हुआ है जो कि एक अच्छे और नेक इन्सान से यह स्थान भरा जायेगा, ऐसी जल्दी आशा नहीं है ।

मैं इस सदन के माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं और माननीय तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि स्वर्गीय सैय्यद मोदी के नाम पर उन्होंने कम्पीटिशन रखा है इस प्रदेश में, और उसके लिए एक लाख रुपया पुरस्कार रखा है । यह सभी खिलाड़ियों की तरफ से प्रशंसनीय बात है । मैं इस सदन और माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से यह चाहता हूं कि उनकी विधवा पत्नी और उनके परिवार को इस सदन के हमारे नेताओं की भावनायें, मेरी और मेरे साथियों की भावनायें उन तक पंहुचा दी जायं ।

## अमर उजाला के सम्पादक श्री डोरी लाल अग्रवाल के निधन पर शोकोद्गार

**मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)**–

श्रीमन्, एक सुझाव यह आया था कि विशिष्ट व्यक्तियों में हमारे डोरी लाल अग्रवाल जी भी थे जो कि "अमर उजाला" के संस्थापक और संपादक थे , उनके निधन पर भी हमारे सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की जाय । श्रीमन्, अवश्य ही श्री डोरी लाल जी कृतित्व के धनी थे और उन्होंने जिस प्रकार पल-पल और कण-कण करके, श्रम करके अमर उजाला की स्थापना की, पत्रकारिता और सम्पादन जगत में एक कीर्तिमान स्थापित किया उसके लिए वे दीर्घकाल तक स्मरण किये जाते रहेंगे । अमर उजाला के साथ उनकी कीर्ति भी अमर रहेगी । हम सब उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे । वे न केवल एक पत्रकार और सम्पादक ही थे बल्कि एक निर्भीक समाज सेवी भी थे और वे मुझ जैसे लोगों को भी समय-समय पर सलाह भी दिया करते थे । उनके निधन से न केवल पत्रकारिता जगत में बल्कि समस्त सम्पादक जगत को और उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन को भी अपूर्णीय क्षति पहुंची है । मुझे उनके अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन आगरा में उनकी शव यात्रा में शामिल होने का मुझे अवसर मिला । किस प्रकार वहां जन-जन दुखी था । वहां पर वह सबसे अग्रणी व्यक्ति थे । ऐसे समय में हम एक साहित्यकार, संस्थापक, संपादक, पत्रकार के प्रति सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि वे हमारे सुझाव को सदन में ले आये। माननीय डोरी लाल जी अग्रवाल "अमर उजाला" के संपादक और संस्थापक थे। उन्होंने जिस पत्र को बरेली, आगरा, मेरठ मंडलों में विशेष रूप से प्रकाशित कराया वह "अमर उजाला" अखबार इन सारे मंडलों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह उनके दिमाग की उपज थी कि स्थानीय समाचारों के अलावा देश विदेशों के समाचार भी किसी प्रकार उनके समाचार पत्र से ओझल न हों। श्री डोरी लाल अग्रवाल जी का कार्यकाल न केवल संपादक का ही था बल्कि वह एक अच्छे समाजसेवी थे। एक अच्छे सम्पादक की रूप में अपने किसी की परवाह किये बिना सत्यार्थ या विचार प्रगट होने दिखाई भाव से वह पत्रकारिता करते थे, यह उनका सबसे बड़ा लक्षण था। इसी भावना से वह समाचार पत्र को पेश करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के सन्दर्भ में मैं अपनी अनुभव अपेक्षा कि सारे मेरे और मेरे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री रामनरेश यादव–

मान्यवर, यह अच्छा हुआ कि माननीय यादव जी की तरफ से भूल सुधार हुआ। हमें खेद है कि कार्य मंत्रणा समिति में हम स्व0 अग्रवाल जी को याद भूल गये। उनके भूल सुधार के लिये हम आभारी हैं और समय पर याद दिला दी। माननीय डोरी लाल अग्रवाल बहुत अच्छे संपादक रहे। करीब-करीब सभी जो राजनीति करते हैं उनसे परिचित रहे हैं। वह हमारे नेता डा0 कोहिया के बहुत नजदीकी रहे हैं इसी कारण हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं आगरा जाता था तो उनसे जरूर मिलकर आता था और जब वह यहां आते थे और गेस्ट हाउस में ठहरते थे तो यहां भी उनसे मुलाकात हो जाती थी। जिस तरह से "अमर उजाला" को उन्होंने चलाया उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरे समाचार भी निकलते हैं लेकिन "अमर उजाला" जो हमारे सहारनपुर के निकट मेरठ से निकलता है उसमें गांव-गांव के छोटे से छोटे समाचार भी उसमें आ जाते हैं, गांव-गांव में लोग समाचार पत्र को पढ़ते हैं। इस तरह की खबरें निकाल कर उन्होंने बहुत ही जन-सेवा की है और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। मैं अपना और अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना भेजने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी स्व0 श्यामबन्धु डोरी लाल अग्रवाल जी के सम्मान में जो शोकोद्गार माननीय तिवारी जी ने, माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय राम शरण दास जी ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, अग्रवाल जी का सम्मान उनके व्यक्तित्व की महानता केवल इसमें नहीं है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वह एक पत्रकार थे बल्कि उनका मूल्यांकन इस दृष्टि से करना आवश्यक है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने उच्च आदर्श और श्रेष्ठ मानदण्ड भी स्थापित किए, वह व्यक्तित्व के धनी थे। विभिन्न विचारों के लोग जो उनके विचारों से मतभेद भी रखते थे। ऐसा महान व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया। पत्रकारिता में उनका स्थान ऊंचा था। "अमर उजाला" में जो निष्पक्ष आचरण उनका रहा वह सदा स्मरण किया जायेगा। उनके चले जाने से जो रिक्तता पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाजसेवा के क्षेत्र में आई है वह अपूरणीय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी क्षतिपूर्ति करने की ताकत हमें मिले। इन शब्दों के साथ मैं अपने और अपने दल की संवेदना अर्पित करता हूं और हमारे संवेदना के स्वर उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, स्व0 डोरी लाल अग्रवाल जी एक साहित्यकार एवं कुशल एवं निष्पक्ष पत्रकार हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन के संबंध में जो विचार माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधीदल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी सहानुभूति भेजने का कष्ट करें।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, स्वर्गीय डोरी लाल अग्रवाल जी ने हिन्दी अखबार उन स्थानों से शुरू किया जहां के समाचार हिन्दी पत्रों में नहीं आते थे जो बनारस या लखनऊ या दिल्ली से निकलता रहा हो लेकिन उस क्षेत्र की खबर नहीं आती थीं। मुरादाबाद, बरेली, मैनपुरी, एटा, बिजनौर आदि ऐसे जिले रहे हैं जहां की खबरें न तो दिल्ली के अखबार दे पाते और न बनारस एवं लखनऊ के अखबार ही। इस बहुत बड़ी कमी को दूर किया स्व0 डोरी लाल अग्रवाल जी ने और उन तमाम जिलों में जहां उन्होंने खबरों को शुरू किया। वह एक निर्भीक पत्रकार तो थे ही लेकिन साथ ही गजब की राजनीतिक सूझ-बूझ थी और सामाजिक कार्यों में वह बड़ी दिलचस्पी रखते थे। हम सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता के लोग जब उनसे बात करने जाते थे तो उनसे बड़ा उत्साह और प्रेरणा मिलती थी। उनके चले जाने से जो क्षति हिन्दी पत्रकारिता को तथा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कुछ सीखने और समझने के मामले में हुई है उसकी पूर्ति होना शीघ्र संभव नहीं है।

मान्यवर, पत्रकारिता के संबंध में स्वर्गीय डोरी लाल अग्रवाल के बारे में जो नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की आप कृपा करें।

श्री राम वासरे वर्मा–

मान्यवर, पत्रकारिता के सम्बन्ध में स्वर्गीय डोरी लाल अग्रवाल के बारे में जो

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शोकोद्गार मा0 मुख्य मंत्री जी ने, मा0 नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी ओर से आप श्रद्धा के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, स्व0 डोरी लाल अग्रवाल एक प्रखर बुद्धि के पत्रकार थे । उन्होंने पत्रकारिता जगत में, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में जो आदर्श उपस्थित किये हैं वह प्रदेश की जनता के लिये और युवकों के लिये प्रेरणा के श्रोत रहेंगे । उन्होंने "अमर उजाला" के नाम जो समाचार-पत्र का प्रकाशन शुरू किया था उनके निधन के बाद अनन्त समय तक "अमर उजाला" रहेगा और प्रदेश की जनता को, शोषित और पीड़ित जगता को सामाजिक न्याय दिलाने में संघर्ष करता रहेगा । इन शब्दों के साथ जो भावनायें मा0 मुख्य मंत्री जी ने और मा0 नेता विरोधी दल ने एवं अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी संवेदनायें उनके दु:खी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और मा0 अन्य नेताओं ने जो स्वर्गीय डोरी लाल अग्रवाल जी के प्रति शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री डोरी लाल अग्रवाल जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिन्दी जगत की जो सेवा समाचार-पत्र के माध्यम से किया है वह हमेशा चिरस्मरणीय रहेगी । मान्यवर, वह चतुर्मुखी प्रतिभा के एक ऊंचे पत्रकार थे और उन्होंने निर्भिकता और निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता की जिससे उनका नाम पत्रकारिता जगत में हमेशा याद किया जायेगा । उनके निधन से जो पत्रकारिता जगत में क्षति हुई है वह अपूर्णीय है । श्री डोरी लाल जी चतुर्थमुखी प्रतिभा के धनी थे ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शोक संवेदनायें "अमर उजाला" के सम्पादक के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने अभी जो सूचना दी श्री डोरी लाल जी के लिए, अपनी संवेदना व्यक्त की माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सम्मानित नेताओं ने, मैं भी उनसे अपने को जोड़ता हूं। स्वर्गीय श्री डोरी लाल एक स्वतंत्र और मजबूत पत्रकार तो थे ही, बल्कि स्वतन्त्रता की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था । वह नौजवानों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे, और "अमर उजाला" जो उनका पत्र है, वह एक ऐसा संगठन है, जिसके माध्यम से आज भी निष्पक्ष और स्वतंत्र समाचार जन-जन को मिल रहे हैं और इस प्रकार उसके द्वारा जो सेवा हो रही है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अवश्यमेव आज के समय में वह बहुत बड़ा साधन है। मैं अपनी और अपने साथियों की ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को हम सभी की भावना पहुंचा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बदन सिंह–

माननीय, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो श्री डोरी लाल जी के निधन पर अपने शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और विशेषतः चूंकि श्री डोरी लाल जी आगरा के रहने वाले थे, हम लोग उनके जीवन के विषय में इस प्रकार की जानकारी रखते हैं कि श्री डोरी लाल जी के सम्पर्क में जो भी व्यक्ति आया, उसने यह महसूस किया कि डोरी लाल जी सबसे अधिक आत्मीयता मुझसे ही रखते हैं। मैं समझता हूं कि श्री डोरी लाल जी ने स्वतन्त्र पत्रकार की हैसियत से जो मसाल और [illegible] की [illegible] थी यह अपूर्णीय क्षति पूरी नहीं होती है। मैं यह मानता हूं कि श्री डोरी लाल जी ने "अमर उजाला" की संस्थापना कर और उसका प्रचार करके जो सेवा [illegible] की की है, वह शायद बहुत से अखबार नहीं कर पाये हैं। डोरी लाल जी हमारे ऊपर विशेष कर कृपा रखते थे और तहसील कुरावली की प्रमाणिक जानकारी के लिए हमसे ही सदैव पुष्टि किया करते थे और हमसे पूछवाते थे कि क्या [illegible] ने [illegible] में [illegible] कहते हैं। मैं मानता हूं कि उनके निधन के बाद से उनके पुत्रों ने 'अमर उजाला' को इस कुशलता पूर्वक संभाल लिया है कि हम आशा करते हैं कि वह इस प्रकार से समाज की और राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। आप मेरी शोक संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचा देने का कष्ट करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

इस माननीय सदन ने यदि श्री डोरी लाल जी के प्रति, जो अति विशिष्ट थे, श्रद्धांजलि अर्पित न की होती तो यह बड़ी भूल हुई होती। आगरा और विशेष रूप से और हमारा प्रदेश डोरी लाल जी को खोकर सूनापन महसूस कर रहा है। मेरे लगभग 35 साल से हमारे उनके साथ बड़े निकट के सम्बन्ध रहे हैं और हमने आगरा में उनको बड़े नजदीक से देखा है। मामूली सी हैसियत से वर्षों पहिले एक कोठरी में बैठकर उन्होंने पत्रकार जगत में प्रवेश किया और उसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं, एक मिशन मानकर उसमें काम किया। उनका "अमर उजाला" जिसका प्रकाश पूरे देश और प्रदेश में फैला, वही उनका धर्म था, मिशन था। हम लोग इस बात को जानते हैं, और जो लाखों लोग आगरा, मेरठ और बरेली से निकलने वाले उनके अखबार को देखते हैं, तो उनके अखबार पढ़ने के बाद भी बिना 'अमर उजाला' पढ़े उनकी भूख नहीं मिटती है। पत्रकारिता और हिन्दी जगत की उन्होंने जो महान सेवा की, वह उनके वर्षों तक प्रदेश और देश की जनता द्वारा याद की जाती रहेगी। उनके निधन से एक महामानव असाधारण प्रतिभा के धनी और भारत माँ के एक अप्रतिम सपूत हमसे खो दिया है। मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूं।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

डी डोरी लाल जी के निधन से आगरा में बड़ा शोक था बरेली में हजारों लोग उनके निधन का समाचार सुनकर प्रेस गए। लगभग 19 वर्ष पहले जब से बरेली में अमर उजाला शुरू हुआ था। डोरी लाल जी से मेरे भी संबंध रहे वह पिता तुल्य थे। उन्होंने पिता का प्यार दिया उनके निधन से पत्रकारिता के जगत में बहुत बड़ी क्षति हुई है। बहुत बड़े समाज सेवी हमारे बीच में नहीं रहे साथ ही साथ एक नेक इंसान भी हमारे बीच से उठ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य नेताओं ने जो विचार डोरी लाल जी के प्रति व्यक्त किए हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं तथा श्रद्धांजली अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद जियाउल हक, सैय्यद मोदी फिल्म अभिनेता राजकपूर, वियोगी हरि तथा डोरी लाल जी के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद जियाउल हक जी का निधन 17 अगस्त, 1988 को एक विमान दुर्घटना में हो गया। जनरल जियाउल हक का जन्म 12 अगस्त, 1924 को जालंधर में हुआ था। यह 11 साल तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। सैय्यद मोदी की हत्या दिनांक 28 जुलाई, 1988 को गोली मारकर कर दी गई। हमारी नाक के नीचे यह घटना हुई। सैय्यद मोदी का जन्म 31 दिसम्बर, 1962 को गोरखपुर में हुआ था। यह राष्ट्रीय बैडमिन्टन खिलाड़ी थे। इन्होंने 'अर्जुन पुरस्कार' तथा 'कामनवेल्थ' पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके निधन से हमारे प्रदेश को बहुत क्षति हुई है। फिल्म अभिनेता राजकपूर का निधन 2 जून, 1988 को दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में हुआ। श्री राजकपूर का जन्म 14 दिसम्बर, 1924 को हुआ था। श्री वियोगी हरि जी का निधन दिनांक 9 मई, 88 को हुआ था। वियोगी हरि हिन्दी साहित्य के लेखक, पत्रकार और महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे। डोरी लाल जी के न रहने से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी क्षति हुई है। हम चाहते हैं कि उनका 'अमर उजाला' हमेशा उजाला करता रहे। आपके विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। आप सबकी भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जाएंगी।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 24 मिनट पर मंगलवार, 4-10-1988/अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
3 अक्टूबर, 1988

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

एम्बेसडर कार नं0 यू0 एच0 के0 2525 पर पी0ओ0एल0 व्यय का विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1—मे0 काजी नूरुल हसन-हामीद हसन-इटावा | 22221.52 रु0 | जिला ग्राम्य विकास अभिकरण |
| 2—मे0 आटो मोबाइल्स, कानपुर | 77.40 ,, | ,, |
| 3—मे0 भारत मोटर्स, पार्टस, इलाहाबाद | 395.00 ,, | ,, |
| 4—मे0 जैन आटो मोबाइल्स, कानपुर | 80.00 ,, | ,, |
| 5—मे0 आटो मोबाइल्स, कानपुर | 40.03 ,, | ,, |
| 6—मे0 ब्रिज आटोमोबाइल्स, इलाहाबाद | 79.00 ,, | ,, |
| 7—मे0 जैन सर्विस स्टेशन, लखनऊ | 331.43 ,, | ,, |
| 8—मे0 उत्तर प्रदेश पेट्रोल सर्विस, लखनऊ | 315.60 ,, | ,, |
| 9—मे0 सर्विस स्टेशन, लखनऊ | 362.96 ,, | ,, |
| 10—मे0 परदेश सर्विस स्टेशन, लखनऊ | 276.15 ,, | ,, |
| 11—मे0 पुष्पांजलि पेट्रोल पम्प, नई दिल्ली | 185.75 ,, | ,, |
| 12—मे0 दिल्ली डीजल्स, दिल्ली | 408.65 ,, | ,, |
| 13—मे0 उ0 प्र0 पेट्रोल सर्विस स्टेशन, लखनऊ | 236.70 ,, | ,, |
| 14— ,, ,, ,, | 284.10 ,, | ,, |
| 15—मे0 रञ्जन सर्विस स्टेशन, लखनऊ | 350.00 ,, | ,, |
| योग | 25644.29 रु0 | |

विधान सभा प्रदेश

अम्बेसडर कार नं0-यू0एच0के0 2525 के अनुरक्षण पर व्यय:—

| क्रम-संख्या | नाम फर्म व स्थान | धनराशि | भुगतान कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | मे0 राहिन आटो वर्क्स, इटावा | 2285.00 | जिला परिषद् इटावा |
| 2 | मे0 श्री गोपाल मोटर्स, आगरा | 4348.20 | ,, ,, |
| 3 | मे0 दीपक आटो इलैक्ट्रिक वर्क्स, इटावा | 147.00 | ,, ,, |
| 4 | मे0 श्री गोपाल मोटर्स, आगरा | 294.00 | जिला ग्राम्य विकास अभिकरण |
| 5 | मे0 नेशनल मोटर वर्क्स, इटावा | 892.50 | ,, ,, |
| 6 | मे0 फाइन स्प्रे0, इटावा | 65.00 | ,, ,, |
| 7 | मे0 फ्रेंड्स आटो मोटर, लखनऊ | 28.00 | ,, ,, |
| 8 | मे0 राहिन आटो वर्क्स, इटावा | 6973.50 | ,, ,, |
| 9 | मे0 रेनबो आटो वर्क्स, इटावा | 174.20 | ,, ,, |
| 10 | मे0 शांती मोटर्स टायर ट्यूब रिपेयर्स इटावा | 30.00 | ,, ,, |
| 11 | मे0 शिवा मोटर्स, इटावा | 794.00 | ,, ,, |
| 12 | मे0 इमरान आटो मो0, इटावा | 195.00 | ,, ,, |
| 13 | मे0 आजाद मोटर्स, इटावा | 83.00 | ,, ,, |
| 14 | मे0 रेयन आटो मोटर्स, इटावा | 1502.00 | ,, ,, |
| 15 | मे0 एच0एफ0 टैक्सी स्टैंड, आगरा | 205.00 | ,, ,, |
| 16 | मे0 एल्विन वर्क्स शाप, लखनऊ | 15.00 | ,, ,, |
| 17 | मे0 अखलाक इंजीनियरिंग वर्क्स, इटावा | 56.00 | ,, ,, |
| 18 | मे0 आलम मोटर वर्क्स, इटावा | 70.00 | ,, ,, |
| 19 | मे0 गोस्वामी मोटर्स, इटावा | 34.41 | ,, ,, |
| 20 | मे0 गगन आटो मोटर्स, आगरा | 49.85 | ,, ,, |
| 21 | मे0 कार आटो मोबाइल्स, लखनऊ | 13.87 | ,, ,, |
| | योग | 19229.65 | |

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 88 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री बलबीर सिंह यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 33 के उत्तर का संलग्नक विकास क्षेत्रवार वर्ष 86-87 की फ्री बोरिंग सम्बन्धी सूचना।

| क्रम-संख्या | विकास खंड का नाम | बोरिंग संख्या | बोरिंग में लगे पाइप की मात्रा | भुगतान की गई मजदूरी आदि की धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | मी0 | रु0 |
| 1 | मैनपुरी | 100 | 1545.55 | 98,804.00 |
| 2 | करावली | 70 | 1218.80 | 68,707.00 |
| 3 | घिरोर | 108 | 2050.03 | 93,558.00 |
| 4 | बेवर | 113 | 1696.74 | 99,874.00 |
| 5 | किशनी | 90 | 1453.49 | 8,082.00 |
| 6 | जागीर | 120 | 189516 | 1,15,258.00 |
| 7 | सुल्तानगंज | 120 | 2331.05 | 99,651.00 |
| 8 | शिकोहाबाद | 98 | 1623.03 | 1,24,947.00 |
| 9 | मदनपुर | 90 | 1307.17 | 87,757.00 |
| 10 | अरांव | 85 | 1156.45 | 76,827.00 |
| 11 | करहल | 106 | 1882.45 | 1,01,323.00 |
| 12 | बरनाहल | 90 | 1595.75 | 82,887.00 |
| 13 | जसराना | 70 | 1202.14 | 65,107.00 |
| 14 | एका | 85 | 1745.60 | 45,498.20 |
| 15 | खैरगढ़ | 60 | 876.20 | 56,604.20 |
| | योग | 1405 | 23,579.61 | 12,94,884.40 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास क्षेत्रवार वर्ष 1987–88 की फी बोरिंग सम्बन्धी सूचना

| क्रम-संख्या | विकास खण्ड का नाम | बोरिंग सं0 | बोरिंग में लगे पाइप की मात्रा | मजदूरी आदि में भुगतान की गई धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| (ख) 1 | मैनपुरी .. .. .. .. .. | 144 | 2296.80 | 60,00.00 |
| 2 | कुरावली .. .. .. .. .. | 90 | 1440.00 | 23,525.00 |
| 3 | घिरोर .. .. .. .. .. | 90 | 1535.15 | 7,554.00 |
| 4 | बेवर .. .. .. .. .. | 90 | 1518.04 | 75,087.00 |
| 5 | किशनी .. .. .. .. .. | 90 | 11487.00 | 63,438.00 |
| 6 | जागीर .. .. .. .. .. | 148 | 2360.65 | 90,[illegible]77.00 |
| 7 | सुल्तानगंज .. .. .. .. .. | 120 | 2266.20 | — |
| 8 | शिकोहाबाद .. .. .. .. .. | 90 | 1469.65 | 1,06,228.00 |
| 9 | मदनपुर .. .. .. .. .. | 90 | 1350.00 | 55,370.00 |
| 10 | अरांव .. .. .. .. .. | 90 | 1147.50 | 80,458.00 |
| 11 | करहल .. .. .. .. .. | 90 | 1373.90 | 74,737.00 |
| 12 | बरनाहल .. .. .. .. .. | 90 | 1682.93 | 84,556.00 |
| 13 | जसराना .. .. .. .. .. | 90 | 1628.45 | 86,952.00 |
| 14 | एका .. .. .. .. .. | 90 | 1871.10 | 67,629.00 |
| 15 | खैरागढ़ .. .. .. .. .. | 90 | 1546.95 | 1,01,964.00 |
| | | 1492 | 24,954.32 | 9,78,475.[illegible]0 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता० प्र० सं० 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

| क्रम-संख्या | निकाय का नाम | वर्ष | मार्ग सुविधा | | | आवासीय सुविधा | | | सीवर सुविधा/ड्रेनेज सुविधा | | | जलकल सुविधा | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मांग | शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि | व्यय की गई धनराशि | मांग | शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि | व्यय की गई धनराशि | मांग | शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि | व्यय की गई धनराशि | मांग | शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि | व्यय की गई धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | नगरपालिका बलिया | 85-86 | 65.00 | 29.70 | 29.70 | रु० 19 लाख | 12.00 | नगरों के संगठित विकास योजना के अन्तर्गत बलिया नगर में अब तक कुल व्यय रु० 129.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | 86-87 | 31.00 | 17.70 | 17.70 | | 2.00 | | .. | 1.00 | 1.00 | .. | 2.00 | 2.00 31-3-88 तक |
| 2 | नगर क्षेत्र रसड़ा | 85-86 | 23.65 | 1.20 | 1.20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | 86-87 | 7.11 | 3.20 | 3.20 | .. | .. | .. | 8.50 नाली निर्माण हेतु | .. | .. | .. | .. | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3—नगर क्षेत्र बिल्थरा रोड | 85—86 | 19.51 | 0.80 | 0.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | 86—87 | 35.10 | 6.80 | 6.80 | .. | .. | .. | 2.00 | .. | 2.00 | .. | .. | .. | .. |
| | | | | 31—3—88 तक संभावित | | | | | | 31—3—88 तक संभावित | | | | |
| 4—नगर क्षेत्र सिकन्दरपुर | 85—86 | प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ | 0.50 | 0.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | 86—87 | 12.00 | 1.70 | 1.15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

## आडिट का सारांश

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय विधायक बस्ती के शिकायत दिनांक 26–10–87 के आधार पर खैर इन्टर कालेज, बस्ती के वित्तीय वर्ष 1986–87 के छात्र निधियों तथा अनुरक्षण निधि का विशेष सम्प्रेषण किया गया। विभिन्न छात्र निधियों में दिनांक 31 मार्च, 1977/ को बैंक पोस्टआफिस में खुले खातों में रु0 96267–80 अंतिम अवशेष तथा रु0 4733–83 तिजोरी में शेष रहा विभिन्न छात्र निधियों का अवशेष का विवरण निम्नवत् है।—

| | | वित्तीय स्थिति | | बैंक में | | तिजोरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रीड़ा निधि | .. | प्रारम्भिक शेष अंतिम शेष | 1–4–86 | 9290.77 | 9215.80 | 74.97 |
| | | अन्तिम शेष | 31–3–87 | 11184.13 | 9839.80 | 1344.33 |
| श्रव्य-दृश्य | .. | प्रारम्भिक शेष | 1–4–86 | 8166.95 | 7706.45 | 460.50 |
| | | अन्तिम शेष | 31–3–87 | 9003 33 | 8478.00 | 525.33 |
| स्काउट निधि | .. | प्रारिम्भक शेष | 1–4–86 | 6827.69 | 6812.00 | 15.69 |
| | | अन्तिम शेष | 31–3–87 | 6814.04 | 6699 00 | 115.04 |
| रेडक्रास निधि | .. | प्रारम्भिक शेष | 1–4–86 | 20459.59 | 20261.40 | 198.19 |
| | | अन्तिम शेष | 31–3–87 | 23325.20 | 22587.40 | 737.80 |
| जूनियर विज्ञान | .. | प्रारम्भिक शेष | 1–4–86 | 3272.85 | 3179.35 | 93.50 |
| | | अन्तिम शेष | 31–3–87 | 3336.60 | 3181.25 | 155.35 |
| विज्ञान निधि | .. | प्रारम्भिक शेष | 1–4–86 | 15528.23 | 15263.30 | 264.93 |
| | | अन्तिम शेष | 31–3–87 | 29083.83 | 27658.30 | 1425.53 |
| विकास कोष | .. | प्रारम्भिक कोष | 1–4–86 | 11289.22 | 11219.05 | 70.17 |
| | | अन्तिम शेष | 31–3–87 | 18254.50 | 17824.05 | 430.45 |
| वाचनालय कोष | .. | प्रारम्भिक शेष | 1–4–86 | 24012.63 | .. | .. |
| | | अन्तिम शेष | 31–4–87 | 34781.13 | 34435.12 | 346.01 |
| परीक्षा कोष | .. | प्रारम्भिक शेष | 1–4–86 | 5471.67 | 5471.67 | 398.12 |
| | | अन्तिम कोष | 31–3–87 | 10464.87 | 9611.49 | 853.38 |

सम्प्रेक्षण आख्या के अनुसार निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आई हैं।

(1) प्रामूत की आय जमा न किया जाना

प्रामूत की न्यूनतम वार्षिक आय रु0 1200-00 के स्थान पर रु0 600-00 ही वित्तीय वर्ष 1986-87 में जमा पाया गया।

परीक्षा कोष से अमान्य व्यय:--

श्री अब्दुल फजल सहायक अध्यापक के तथा श्री राम सेवक सहायक अध्यापक को रु0-250-10 तथा रु0-200-40 यात्रा भत्ता का भुगतान परी कोष से किया गया है जो इस मद से अमान्य है।

वाचनालय कोष से अमान्य व्यय:--

विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद हेतु विज्ञापन पर रु0 300-00 व्यय किया गया है जो इस मद से व्यय मान्य नहीं है।

क्रीड़ा निधि से अमान्य व्यय:--

श्री निजामुद्दीन को वित्तीय वर्ष 1986-87 में रु0-1760-00 का भुगतान किया गया है जो इस मद से मान्य नहीं है।

रेडक्रास कोष:--

वित्तीय वर्ष 1986-87 में रु0-2865-61 शुल्काय प्राप्त हुई जो कोष की पास बुक में जमा था नियमानुसार 50 प्रतिशत जिला रेडक्रास सोसाइटी में धनराशि जमा नहीं किया गया गौर न ही शेष 50 प्रतिशत रेडक्रास व सेन्ट जान एम्बुलेन्स से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय किया गया।

छात्रवृत्ति अवितरित रहना:--

रु0 2220-00 छात्र वृत्ति छात्रों को वित्तीय वर्ष 1986-87 से अवितरित रही है।

त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण:--

श्री हम्माद अली खां सहायक अध्यापक श्री यशपाल सिंह प्रवक्ता श्री सै0 इशरत हुसैन रिजवी (प्रवक्ता) श्री अली अकबर (स्नातक वेतनक्रम) श्री मो0 ताहा सिद्दीकी (स्नातक वेतनक्रम) श्री सादिक हुसैन (स्नातक वेतन क्रम) श्री राजेन्द्र सिंह (प्रवक्ता) श्री गुलाम अहमद सिद्दीकी (प्रवक्ता) श्री शशि नाथ पाण्डेय (प्रवक्ता) तथा श्री सै0 जैनुल आब्दीन रिजवी (प्रवक्ता) के वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण रहा।

आर0 एल0 शुक्ल
मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–78 के उत्तर का संलग्नक

| क्रमांक | जनपद | नाम नगरीय सहकारी बैंक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | लखनऊ .. | 1––लखनऊ अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ। |
| | | 2––मानसरोवर अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ। |
| | | 3––राजधानी नगरीय सहकारी बैंक लि0, लखनऊ। |
| | | 4––नेशनल मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ। |
| | | 5––अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ। |
| | | 6––हिन्द अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ। |
| 2 | लखीमपुर खीरी .. | 7––नगरीय सहकारी बैंक लि0, लखीमपुर खीरी। |
| 3 | प्रतापगढ़ .. | 8––नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, प्रतापगढ़। |
| 4 | गोरखपुर .. | 9––नगर सहकारी बैंक लि0, गोरखपुर। |
| 5 | बस्ती .. | 10––अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, बस्ती। |
| 6 | देवरिया .. | 11––नगर सहकारी बैंक लि0, देवरिया। |
| 7 | आजमगढ़ .. | 12––अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़। |
| 8 | वाराणसी .. | 13––नगरीय सहकारी बैंक लि0, लहुराबीर, वाराणसी। |
| 9 | इलाहाबाद .. | 14––अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, इलाहाबाद। |
| 10 | कानपुर .. | 15––यूनाइटेड मर्केन्टाइल कोआपरटिव बैंक लि0, कानपुर। |
| | | 16––ब्रहमावर्त कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि0, कानपुर। |
| 11 | नैनीताल .. | 17––कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, नैनीताल। |
| 12 | आगरा .. | 18––राधास्वामी अर्बन कोआपरटिव बैंक लि0, आगरा। |
| | | 19––फिरोजाबाद अर्बन कोआपरटिव बैंक लि0, आगरा। |
| | | 20––न्यू आगरा अर्बन कोआपरटिव बैंक लि0, आगरा। |
| 13 | मेरठ .. | 21––मर्कन्टाइल अर्बन कोआपरटिव बैंक लि0, मेरठ। |
| 14 | गाजियाबाद .. | 22––गाजियाबाद नगरीय सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद। |
| 15 | बिजनौर .. | 23––दि बिजनौर अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, बिजनौर। |
| 16 | देहरादून .. | 24––अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, देहरादून। |

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

टाउन एरिया कमेटी, बांसी, बस्ती के कक्षों एवं उनमें स्थित मोहल्लों के नाम की सूची।

| कक्ष की संख्या | कक्ष का नाम | कक्ष की सीमा व उनमें स्थित मोहल्लों के नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 1—निशात नगर | टाउन एरिया सीमा में बांसी इटवा मार्ग के उत्तर खेला-वन के मकान से मोती के मकान होते हुए राप्ती नदी के तट तक सड़क के मध्य से कोइलहवा, बेलबनवा सहजो महरवाजोत, टेलडिहवा, बरगाहडीह, बढ़यामगर सोनलर। |
| | 3—पशुपतिनगर | टाउन एरिया सीमा से दक्षिण बेलबनवा गांव से शीतला मंदिर होते हुए रास्ते के पश्चिम जोखन कलवार के मकान नदी बन्ध तक बलबनवा, देबियापुर। |
| | 3—अम्बेडकर नगर | कालेज चौराहा के श्री अब्दुल गनी उर्फ गांधी के मकान से होते हुए श्री भदेसर के मकान से रास्ते के पश्चिम जवाहिर के मकान से होते हुए रज्जाक के मकान के पुलिया तक पश्चिम भरसोहिया, बारी नगर, हरिजन नगर। |
| | 4—रानी लक्ष्मी नगर | गुलाम हुसेन के मकान से होतें हुए रास्ते के पूरब नार्मल स्कूल से पक्की सड़क होते हुए रानीगंज चौराहे से होते हुए अधारे पासी के मकान रास्ते के पूरब बम्भन नगर हरिजन नगर केवटनवा। |
| | 5—ईशानगर | सन्ने के मकान से होते हुए इकबाल नरायन के मकान दौला आदि के मकान होते हुए पक्की सड़क से ईदगाह नरकटवा नदी के तट तक फसादीनगर धोबीनगर चौक-बाजार बिन्दनगर। |
| | 6—गांधी नगर | सुदामा कलवार के मकान से सड़क के पूरब से होते हुए साहू के मंदिर से जहमद का मकान होते हुए वेचन कलवार के मकान से अधारें के मकान होते हूए माता जी के कुटी पक्की सड़क तक देवियापुर विन्दनगर। |
| | 7—इन्दरा नगर | राप्ती नदी पुल से बांसी नौगढ़ मार्ग से बांसी डुमरियागंज मार्ग के चौराहे से उत्तर प्रतापपुर पोखरे तक गंगुली गरगजवा, पुरैना प्रतापपुर टोला पुरवा। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8 | प्रतापनगर | डुमरियागंज-बांसी मार्ग टा0ए0 सीमा के दक्षिण से बिसमिल्लाह के मकान होते हुए थाना मस्जिद के दक्षिण पोस्ट आफिस होते हुए बांसी गोरखपुर मार्ग के चौरहे के उत्तर बांसी ब्लाक तक प्रतापपुर, चोहोरी जोत चगेरा खूनीपुर पुरवालामाफी रामगढ़ । |
| 9 | राजेन्द्र नगर | राप्ती पुल से टा0ए0 कार्यालय होते हुए गंगाराम के मकान तक, रास्ते के पश्चिम डा0 शम्भू शरन के दुकान से पश्चिम थाना कोतवाली होते हुए बस स्टेशन चौराहे से बांसी नौगढ़ मार्ग के पूरब राप्ती पुल तक। कचेहरी वार्ड पुरैना। |
| 10 | अकबर नगर | बदरूल के मकान से होते हुए सड़क के पश्चिम महादेव हलवाई के मकान से होते हुए जसवीर के मकान होते हुए गोपी के मकान से होते हुए टा0ए0 कार्यालय के पूरब नदी तक।<br>अग्रहरी, शाम्रिदपेशा, टेकघर, गोड़िया टोला। |
| 11 | टेकघर नगर | हसन खां के मकान होते हुए हरिश्चन्द्र मल्लाह के मकान के रास्ते के पश्चिम से होते हुए शीतला गुप्ता के मकान से चगेंरा मंदिर से दुलारे पटहरा का मकान होते हुए शांति देवी के मकान से महादेव मेहतर के मकान होते हुए चगेंरा पैलस व योगश त्रिपाठी के दूकान तक सड़क के पश्चिम।<br>टेकघर कचेहरी,खूनीपुर। |
| 12 | गौतमबुद्ध नगर | जलसा बेलबार के मकान से विन्देश्वरी का मकान होते हुए सत्यनारायन कुर्मी के मकान से डा0 चन्द्र शेखर त्रिपाठी के मकान से पूरब होते हुए मेहदावल रोड के उत्तर परगनाधिकारी निवास होते हुए जलसा बेलदार के मकान तक।<br>कानूनगोइयान, चगेंरा। |
| 13 | शास्त्री नगर | टा0 ए0 सीमा से सटे बांसी धानी मार्ग से उत्तर एवं लालबाबू के मकान से होते हुए मकबूल शेष के मकान होते हुए राप्ती नदी तक।<br>बगहवाकोमर, सोनारी, धर्मशाला। |
| 14 | राप्ती नगर | मेहदावल बांसी मार्ग से पूरब टा0 ए0 सीमा से डाक-बगला होते हुए बांसी धानी मार्ग के दक्षिण टा0ए0 सीमा तक।<br>सोनारी, रामगढ़, चगेंरा, धर्मशाला। |
| 15 | आजाद नगर | बांसी-बांसी मार्ग के पूरब टा0ए0 सीमा से बांसी-गोरखपुर मार्ग से दक्षिण बहमोल टा0ए0 सीमा तक।<br>बहवोल, रामगढ़, चगेंरा। |

अनुवाद पदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए अता 0 प्र 0 सं 0 159 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 98 पर)

सुभाष मार्ग के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों पर अब तक किये गये व्यय के विवरण की सूची।

| | |
|---|---|
| 1—बाऊन्ड्री वाल का निर्माण . . . . . | 47,89,07.47 |
| 2—बाल भवन का निर्माण . . . . . | 6,558.50 |
| 3—टिकट रूम का निर्माण . . . . . | 11,605.83 |
| 4—ड्रेनेज का निर्माण . . . . . | 22,728.16 |
| 5—फोव्वारे का निर्माण . . . . . | 11,304.00 |
| 6—ट्यूबवेल का निर्माण . . . . . | 31,980.40 |
| 7—लेक का निर्माण . . . . . | 3,55,280.22 |
| 8—फुटपाथ का निर्माण . . . . . | 1,04,504.34 |
| 9—पानी की लाईन डालना . . . . . | 29,213.85 |
| 10—विद्युतीकरण का कार्य . . . . . | 1,22,577.01 |
| 11—पैडल वोट—3 . . . . . | 30,000.00 |
| 12—खेलकूद का सामान . . . . . | 17,326.00 |
| 13—स्प्रिंग्लर . . . . . | 2,500.00 |
| 14—उद्यानीकरण का कार्य . . . . . | 20,398.00 |
| योग . . | 1,24,4883.78 |

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 187 का उत्तर पीछे पृष्ठ 109 पर)

लखनऊ विकास प्राधिकरण की लीज डीड शर्तें निम्नलिखित हैं:—

(1) पट्टे की अवधि 30 वर्ष होगी तथा किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्येक बार का 30–30 वर्ष के दो नवीनीकरण करने का प्राविधान रहेगा।

(2) पट्टेदार पट्टागत भूमि पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमानुसार 5 वर्ष के अन्दर भवन का निर्माण अवश्य करायेगा।

(3) पट्टेदार को भूखंड एवं उस पर निर्मित भवन की करों, परिव्ययों तथा भारों का भुगतान स्वयं वहन करना होगा।

(4) पट्टेदार भूखंड का उप-विभाजन नहीं कर सकेगा एवं भूखंड का हस्तांतरण विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेकर तथा नियमानुसार देय हस्तांतरण शुल्क जमा करके ही किया जा सकेगा।

(5) पट्टेदार भूखण्ड का लीज रैण्ट नियमित रूप से जमा करेगा एवं बकाया होने पर पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी अथवा बकाये की वसूली भू-राजस्व की भांति की जा सकेगी।

(6) पट्टेदार की मृत्यु अथवा हस्तांतरण होने पर उपयुक्त अभिलेखों के साथ सूचना लखनऊ विकास प्राधिकरण को देनी होगी।

(7) पट्टेदार पट्टागत भूमि पर भवन निर्माण के बाद उसे अच्छी हालत में रखेगा और विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक होने पर उसका निरीक्षण पट्टेदार को सूचना देकर किया जा सकेगा और यदि कोई मरम्मत योग्य कमी पाई जायेगी तो उसकी सूचना देकर पट्टेदार को दी जायेगी और पट्टेदार दिये गये समय में उसका सुधार करा लेगा।

(8) पट्टे का समय समाप्त होने पर अथवा बीच में समाप्त कर दिये जाने पर भूमि अथवा उस पर स्थित समस्त निर्माण का स्वत्व पट्टादाता में निहित हो जायेगा।

(9) पट्टेदार भूखण्ड का लीज रैण्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण में अथवा समय-समय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्थान पर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(10) पट्टेदार पट्टागत भूमि पर न तो स्वयं कोई वाणिज्य व्यापार करेगा और न किसी को ऐसा करने की अनुमति देगा। पट्टागत भूमि का उपयोग केवल व्यक्तिगत आवासीय भवन के लिये ही किया जायेगा।

(11) पटटागत भूमि का लीज रैण्ट दस वर्षों की अवधि का एक मुस्त लेकर 90 वर्ष के प्रीपेड लीज रैण्ट की सुविधा भी दी जा सकेगी।

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 190 का उत्तर पीछे पृष्ठ 116 पर)

जनपद टिहरी गढ़वाल में चालू हाईड्रम योजनाओं की सूची।

| क्रमांक | योजना का नाम | विकास खण्ड |
|---|---|---|
| 1 | नागली | चम्पा |
| 2 | सिल्लासौड़ | चम्पा |
| 3 | जाजल | नरेन्द्र नगर |
| 4 | कौड़ | नरेन्द्र नगर |
| 5 | खाड़ी | नरेन्द्र नगर |
| 6 | आमसेरा | नरेन्द्र नगर |
| 7 | बिडोनगांव | नरेन्द्र नगर |
| 8 | डांवचोरा | कीर्ति नगर |
| 9 | अमोली प्रथम | कीर्ति नगर |
| 10 | सेमी सेमला | कीर्ति नगर |
| 11 | बरसीला | कीर्ति नगर |
| 12 | पाली | कीर्ति नगर |
| 13 | अमोली द्वितीय | कीर्ति नगर |
| 14 | कोटीभांसो | जखोली |
| 15 | मझियाली | जखोली |
| 16 | मुयालगांव | जखोली |
| 17 | सुरासगांव | जखोली |
| 18 | जखन्याली प्रथम | जखोली |
| 19 | चामी प्रथम | जखोली |
| 20 | चांजी प्रथम | जखोली |
| 21 | जाख | जखोली |
| 22 | कफल्ड | देव प्रयाग |
| 23 | टोलूटकोली | देव प्रयाग |
| 24 | कांडी | जौनपुर |
| 25 | चामी द्वितीय | जखोली |
| 26 | खैराड़ | जौनपुर |
| 27 | बौसांड़ी | प्रतापनगर |
| 28 | ज्यादाणां | भिलंगना |
| 29 | देवज | भिलंगना |
| 30 | जखन्याली द्वितीय | जखोली |
| 31 | कफलाना | प्रताप नगर |
| 32 | मोटना | प्रताप नगर |

पी0एस0यू0पी0—एल0 211 वि0 सभा (346)—1989—813।